


सागर विकास योजना 2031



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित सागर नगर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र का प्रमुख नगर होने के साथ-साथ बुन्देलखण्ड का प्रवेश द्वार, भारत का हृदय जिला एवं राजस्व संभाग का मुख्यालय है। नगर, मध्य रेलवे की बीना-कटनी रेलमार्ग पर बीना से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होकर मुम्बई, नई दिल्ली, कलकत्ता एवं भोपाल जैसे प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। यह सड़क मार्ग से राज्य की राजधानी भोपाल से 195 किलोमीटर की दूरी पर तथा जबलपुर से 184 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सागर नगर की प्रमुख पहचान यहां पर स्थापित डॉ. हरिसिंह गौर (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज, शहर के मध्य स्थित लाखा बंजारा झील एवं यहां की बीड़ी उद्योग से जानी जाती है।

सागर नगर के सुनियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2031 की आवश्यकताओं को आधार मानकर विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं। इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं, आमोद-प्रमोद, यातायात परिवहन के साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं। यह योजना वर्ष 2031 की जनसंख्या 6.50 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है, एवं तदानुसार ही यातायात एवं अधोसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है।

सागर विकास योजना 2031 म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-34-14-32 दिनांक 17 जुलाई 2017 द्वारा अनुमोदित होकर अधिसूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 28 जुलाई 2017 से प्रभावशील की गई है।

मुझे आशा है कि सागर नगर के नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त क्रियान्वयन संस्थाएं, विकास योजना प्रस्तावों को मूर्त रूप देने में एवं नगर को विकसित करने में सहभागिता रखते हुए नगर को उसके स्वभाव के अनुरूप विकसित करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।



(राहुल जैन)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,
मध्य प्रदेश, भोपाल

योजना दल

संयुक्त संचालक

एस.के. महावर

विजय सावलकर

सहायक संचालक

सुनील जॉन मिन्ज

इन्दु त्रिपाठी

कर्मचारीगण

एम.एल. कौल

जे.एल. जाटव

एस.के. रेजा

एम.पी. बिलथरे

आर.बी. शर्मा

चुन्नी लाल सेन

एम.व्ही. भट्ट

मालती विश्वकर्मा

जयन्त शील

सर्वेश पिडिहा

म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के अधिकारी

डॉ. विवेक कटारे

शैलजा देसाई

विषय सूची

क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
	प्रस्तावना	i
	योजना दल	iii
	विषय सूची	v
	सारणी सूची	viii
	मानचित्रों की सूची	x
	अध्याय-1 नियोजन दृष्टिकोण	1-9
1.1	नियोजन एवं विकास संदर्भ	1
1.2	क्रियान्वयन परिदृश्य	2
1.3	योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन	3
1.4	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग	9
	अध्याय-2 विकास परिदृश्य एवं प्रस्तावित नगर संरचना	11-31
2.1	क्षेत्रीय परिदृश्य	11
2.2	व्यवसायिक संरचना	11
2.3	निवेश क्षेत्र	12
2.4	जनसंख्या परिवर्तन	14
2.5	योजना काल	15
2.6	भौतिक स्वरूप एवं ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि	15
2.7	नगर के मुख्य कार्यकलाप	16
2.8	योजना अवधारणा	16
2.9	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू आवंटन (2031)	17
2.10	असंगत भूमि उपयोग	29
2.11	ग्राम विकास	31
	अध्याय-3 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना	33-43
3.1	प्रस्तावित यातायात तंत्र	33
3.2	यातायात की वर्तमान स्थिति	33
3.3	प्रस्तावित यातायात प्रणाली	33

3.4	यातायात पद्धति में सुधार	38
3.5	सेवा एवं सुविधाएँ	40
3.6	भौतिक अधोसंरचना	42
अध्याय-4	विकास नियमन	45-198
4.1	प्रवृत्तशीलता	45
4.2	क्षेत्राधिकार	45
4.3	परिभाषाएँ	46
4.4	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	47
4.5	आवासीय उपयोग परिक्षेत्रों हेतु नियमन	48
4.6	वाणिज्यिक क्षेत्र	51
4.7	औद्योगिक परिक्षेत्र	55
4.8	अन्य सुविधाएँ	55
4.9	यातायात एवं परिवहन	57
4.10	यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक	58
4.11	मिश्रित उपयोग हेतु नियमन	59
4.12	उपयोग परिक्षेत्र के विकास नियमन	61
4.13	वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन	196
4.14	सामान्य अभिशंसाएँ	198
अध्याय-5	विकास योजना का क्रियान्वयन	199-208
5.1	विकास योजना का क्रियान्वयन	199
5.2	योजना क्रियान्वयन की नीति	200
5.3	पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम	201
5.4	नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना	201
5.5	योजना एवं कार्यक्रम	204
5.6	प्रथम चरण कार्यक्रम	205
5.7	योजना पर्यवेक्षण तंत्र	207
5.8	नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन	207
5.9	योजना की व्याख्या	208

परिशिष्ट	211–220
परिशिष्ट –1	211
परिशिष्ट –2	213
परिशिष्ट –3	214
परिशिष्ट –4	215
परिशिष्ट –5	216
परिशिष्ट –6	217
परिशिष्ट –7	218
परिशिष्ट –8	219

सारणी सूची

सारणी क्र. शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
1-सा-1 योजना क्रियान्वयन की स्थिति (2013)	3
1-सा-2 भूमि उपयोग उपान्तरण	4
1-स-3 क्रियान्वयन स्तर वाणिज्यिक	6
1-सा-4 क्रियान्वयन स्तर औद्योगिक	7
1-सा-5 क्रियान्वयन स्तर सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सेवा सुविधाएँ	8
2-सा-1 व्यवसायिक संरचना 2011	11
2-सा-2 निवेश क्षेत्र	12
2-सा-3 जनसंख्या परिवर्तन	14
2-सा-4 अनुमानित जनसंख्या	14
2-सा-5 भूमि उपयोग एवं भू आवंटन	18
2-सा-6 वाणिज्यिक केन्द्र	21
2-सा-7 गंदी बस्ती वार्ड	22
2-सा-8 आवासों की कमी	25
2-सा-9 अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता 2031	25
2-सा-10 आय समूह अनुसार रहवासी इकाईयों की आवश्यकता	26
2-सा-11 निवेश इकाईबार जनसंख्या एवं घनत्व	26
2-सा-12 सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सेवा सुविधाएँ	27
2-सा-13 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग	29
3-सा-1 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	34
3 सा-2 वर्तमान मार्गों हेतु प्रस्तावित चौड़ाई	36
4-सा-1 उपयोग परिक्षेत्र	47
4-सा-2 आवासीय भूखण्ड विकास नियमन	49
4-सा-3 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र के अभिन्यास हेतु नियमन	52
4-सा-4 उप विभाजित वाणिज्यिक भूखण्ड हेतु नियमन	53
4-सा-5 अनौपचारिक वर्ग के लिये योजना प्रावधान	54
4-सा-6 सुविधाओं के विकास मानक	55

4-सा-7	खुले स्थलों एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड	55
4-सा-8	निकास मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई	57
4-सा-9	सड़को के किनारे कार विराम हेतु स्थल का आकार	58
4-सा-10	यातायात/मैकेनिक नगर के मानक	58
4-सा-11	यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड	59
4-सा-12	उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति	61
4-सा-13	उपयोग परिसरों के नियोजन मापदंड एवं अन्य नियंत्रण	69
4-सा-14	उपयोग परिसरों के नियोजन मापदंड एवं अन्य नियंत्रण	111
4-सा-15	आवासीय विकास हेतु भूखंड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	197
4-सा-16	सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक हेतु विकास नियम	198
5-सा-1	योजना क्रियान्वयन की लागत-2031	200
5-सा-2	प्रथम चरण क्रियान्वयन लागत	206

मानचित्रों की सूची

क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
2.1	क्षेत्रीय बसाहट	12 अ
2.2	निवेश क्षेत्र	12 अ
2.3	वर्तमान भूमि उपयोग	18 अ
2.4	विकास योजना	20 अ
2.5	निवेश इकाईयां	20 अ
3.1	वर्तमान परिभ्रमण संरचना	38 अ
3.2	प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना	38 अ
5.1	प्रथम चरण	206 अ

नियोजन दृष्टिकोण

1.1 नियोजन एवं विकास संदर्भ

नगर विकास एक सतत गतिविधि है, जिसे व्यवस्थित दिशा देने हेतु, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में नगर के विभिन्न आयामों के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए, नगरवासियों के आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा के साथ नगर के सुनियोजित विकास के प्रयास किये जाते हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा लिए हुए, विंध्य पहाड़ियों के स्कंध पर स्थित सागर नगर, सर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, छावनी, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र एवं सागर तालाब के लिए मुख्य रूप से प्रदेश में एक विशिष्ट स्थान रखता है। नगर के चारों ओर तेंदुपत्ता के सधन वन हैं। तेंदुपत्ते का उपयोग इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण बीडी निर्माण घरेलु उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है।

बीडी बनाने वाले नगर में यह नगर अग्रणी है। लकड़ी के व्यवसाय लिए भी यह नगर विख्यात है। सागर नगर वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु होने के नाते एवं औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सागर नगर की विकास योजना वर्ष 2011 की अवधि के लिये 5.00 लाख की अनुमानित जनसंख्या के लिये तैयार की गई थी। सागर विकास योजना म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-99-बत्तीस-99, दिनांक 18 फरवरी 2000 के द्वारा अंगीकृत की गई थी जिसकी अधिसूचना म.प्र. राजपत्र भाग-एक क्रमांक-84, दिनांक 03 मार्च 2000 में प्रकाशित होने से यह विकास योजना 03 मार्च 2000 से प्रभावशील हुई थी।

सागर विकास योजना 2011 नगर के कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए इसे व्यवस्थित एवं सुनियोजित नगर बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। विकास योजना में, नगर को उच्च शैक्षणिक केन्द्र, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के क्षेत्रीय वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में विकसित करने एवं क्षेत्र में उपलब्ध कृषि एवं वनोपज को दृष्टिगत रखते हुए, नगर में इन उत्पादनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना को भी उचित स्थान दिया गया है ताकि नगर का औद्योगिक विकास हो सकें एवं यहाँ रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

नगर का वर्तमान भौतिक स्वरूप एवं आकार, नगर में मानव निर्मित अवरोधों तथा प्राकृतिक अवरोधों आधारित है।

नगर का विकास पूर्वी दिशा में स्थित विश्वविद्यालय की पहाड़ी एवं वन क्षेत्र तथा उत्तरी दिशा में रेल लाईन एवं छावनी क्षेत्र होने के कारण इसका विभाजन दो भागों में हो गया है। छावनी के दूसरी ओर का भाग सागर के उपनगर के रूप में हुआ है जिसमें मुख्य रूप से ग्राम रजाखेड़ी ग्राम मकरोनिया एवं ग्राम गंभीरिया में आवासीय विकास हुआ है एवं ग्राम सिंदगुआ में औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित होने से इसका विकास हुआ है। सागर का विकास उत्तर दिशा में, झांसी मार्ग पर, छावनी क्षेत्र होने से सीमित हो गया है, इसके फलस्वरूप नगर का विकास खुरई मार्ग पर विशेष रूप से हुआ है। भोपाल मार्ग पर भी विकास की गति सीमित है। दक्षिण में ग्राम तिली में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से इस दिशा में अब विकास की संभावना परिलक्षित होती है। गत दो तीन वर्षों में नरसिंहपुर मार्ग पर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय एवं तीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं एक फार्मसी महाविद्यालय की स्थापना से इस मार्ग पर उच्च शिक्षा संबंधी

और भी संस्थाए आने की संभावना परिलक्षित होती है। सभी दिशाओं में हो रहे विकास को दृष्टिगत रखते हुए नगर के भावी स्वरूप का निर्धारण निम्न अवधारणाओं पर आधारित रखा है :-

नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने के लिए नवीन प्रस्ताव विभिन्न क्षेत्रों में दिये गये है।

- भावी औद्योगिक विकास को दिशा प्रदान करने हेतु कृषि आधारित एवं रसायन आधारित औद्योगिक क्षेत्रों का निर्धारण।
- वर्तमान एवं भावी यातायात की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए, सक्षम परिभ्रमण संरचना।
- नगर के ठोस अपशिष्ट विसर्जन एवं प्रबंधन हेतु प्रावधान।
- नगर के पर्यावरण संतुलन एवं संरक्षण हेतु चारों ओर स्थित पहाड़ियों एवं प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में वृक्षारोपण भू-दृश्यकरण।
- नगर में बुंदेलखंड के उच्च शिक्षा केंद्र की स्थापना।
- नगर में बुंदेलखण्ड क्षेत्र के क्षेत्रीय वाणिज्यिक केंद्र की स्थापना।

1.2 क्रियान्वयन परिदृश्य

सागर नगर की विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत विस्तृत विकास प्रस्ताव तैयार कर नागरिकों की सक्रिय सहभागिता अर्जित करना लक्षित था, किन्तु अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। विकास योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया अनेकों बार गुणात्मक मूल्यां के संदर्भ में प्रभावित हुई है एवं यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से सार्वजनिक सेवा-सुविधाओं एवं अधोसंरचना के संदर्भ में परिलक्षित हुई है। अतः यह कहा जा सकता है कि विकास योजना प्रस्ताव को क्रियान्वयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप असंगत एवं अवांछनीय नगरीय विकास हुआ। कुछ क्षेत्रों में असम्बद्ध भूमि उपयोगों का अत्यधिक विस्तार, अवैध बस्तियों की संख्या में वृद्धि, अप्रभावित भू-उपयोग नियंत्रण, अपर्याप्त सामाजिक आधारभूत संरचना, भूमि की अपर्याप्त उपलब्धता एवं अपेक्षित भूमि का विकास नहीं हो पाना इत्यादि प्रमुख समस्या रही हैं। विशेषकर निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रबंधन के अभाव में योजना प्रभावित हुई है :-

- संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया।
- क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक समन्वय का अभाव।
- नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समय पर उपलब्ध न होना।
- निजी निवेश के लिए संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली का विकास न होना।
- योजना क्रियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन में पूर्व अनुभव के आधार पर संशोधन प्रणाली का विकास।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में अधिकांश क्षेत्रों में अवांछनीय अनाधिकृत कालोनियों का विकास, गंदी बस्तियों का विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना रहित क्षेत्रों का नगरीय विकास हुआ है।

1.3 योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन

सागर निवेश क्षेत्र में समाविष्ट 23472.17 हेक्टेयर भूमि में से विकास योजना 2011 में 4000.00 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोगों का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। उक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु 52,839 लाख रुपये का व्यय अनुमानित था। विकास योजना प्रस्तावों का क्रियान्वयन संबंधी मूल्यांकन भूमि उपयोगवार सारणी क्रमांक 1-सा-1 में दिया गया है –

सागर : योजना क्रियान्वयन की स्थिति (2013)

1-सा-1

क्रमांक	भूमि उपयोग का प्रकार	विकास योजना 2011 में भूमि आवंटन (हेक्ट. में)	विकसित क्षेत्र 2013 (हेक्ट. में)	उच्चावचन (-) (+)	क्रियान्वयन का स्तर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
1.	आवासीय	1835.00	1615.00	(-) 220	88.00
2.	वाणिज्यिक	250.00	132.00	(-) 118	52.80
3.	औद्योगिक	330.00	97.00	(-) 233	29.40
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	520.00	530.00	(+) 10	101.92
5.	आमोद-प्रमोद	395.00	40.00	(-) 355	10.12
6.	यातायात एवं परिवहन	670.00	320.00	(-) 350	47.76
योग :-		4000.00	2734.00	(-) 1266	55.00

स्रोत :- नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण।

टीप :- (1) उपरोक्त में रेल्वे क्षेत्र का क्षेत्रफल सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सागर विकास योजना 2011 के भूमि उपयोग विकास संबंधी प्रस्तावों का लगभग 55.00 प्रतिशत क्रियान्वयन हो पाया है। आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग के अंतर्गत क्रियान्वयन नगण्य है। यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत क्रियान्वयन अत्यन्त अल्प है, जबकि अन्य भू-उपयोगों में हुआ क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

सागर विकास योजना प्रभावशील होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23-क में विकास योजना में निम्न भूमि उपयोग उपान्तरित किये हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

सागर : भूमि उपयोग उपान्तरण

1-सा-2

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा	क्षेत्रफल हे. में	उपयोग	उपान्तरित भू-उपयोग	विकास की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	सिरोंजा	1 / 1, 1 / 19, 1 / 14, 1 / 32, 1 / 13, 1 / 42, 1 / 49, 1 / 50, 1 / 56, 1 / 50, 1 / 59, 2, 3, 19, 1 / 30, 1 / 38, 5 / 2, 11 / 4, 39 / 4, 1 / 33, 1 / 35, 1 / 57, 1 / 60, 10 / 1, 38 / 2	13.12	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक के अन्तर्गत (शैक्षणिक)	विकसित
2	सिरोंजा	153 / 2, 154 / 1, 155 / 1, 156 / 1, 157 / 1, 157 / 408, 154 / 2, 155 / 2, 56 / 3, 157 / 410 / 2, 159 / 3, 156 / 2, 158 / 409 / 2, 158 / 409 / 2,	4.11	पर्या- वरण वानिकी (प्राणी उद्यान)	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक के अन्तर्गत (शैक्षणिक)	विकसित
3	सिरोंजा	270, 271, 282, 299, 298 / 2, 259 / 5, 298 / 1, 302 / 1	4.08	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक के अन्तर्गत (शैक्षणिक)	विकसित
4	पथरिया जाट	820, 821, 822, 831, 832, 833, 834, 835	7.22	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक के अन्तर्गत (शैक्षणिक)	विकसित
5	बम्होरी रेगुंवा एवं बदोना	413,415, 417,418, बदोना, 383,387 / 1, 388	4.89	निम्न घनत्व आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक के अन्तर्गत (शैक्षणिक)	विकसित
6	पथरिया हाट	275 / 1, 275 / 2, 275 / 3, 275 / 4, 279	2.91	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक के अन्तर्गत (शैक्षणिक)	विकसित
7	लहदरा	283, 285, 286, 278, 280	1.315	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक के अन्तर्गत (शैक्षणिक)	अविकसित
8	बम्होरी रेगुंवा	447 / 2,448 / 2,448 / 3 448 / 4	1.457	निम्न घनत्व	आवासीय	विकसित

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा	क्षेत्रफल हे. में	उपयोग	उपान्तरित भू-उपयोग	विकास की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
				आवासीय		
9	ललई टौरी	3/1	1.69	सार्व-जनिक एवं अर्ध-सार्व-जनिक के अन्तर्गत (स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक)	आवासीय	विकसित
10	रजाखेडी	114./2 , 114/3 , 114/5 114/13 , 114/15 114/16	1.20	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्व-जनिक	आवासीय	अविकसित
11	कनेरादेव	196/6, 200/3, 203/2 203/4 , 204 , 208/2, 208/3, 208/4, 208/5, 206, 200/1, 201, 203/1, 209/3, 209/3/ग , 209/1, 209/4 , 209/8 209/ख , 209/3/ण, 188/1 , 195/5	11.783	निम्न घनत्व आवासीय	आवासीय	आंशिक विकसित

सागर नगर की जनसंख्या वर्ष 2001 के लिये 3.20 लाख एवं 2011 के लिये 5.00 लाख अनुमानित की गई थी। नगरीय क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या 4,11,981 के मान से विकसित भूमि उपयोग दर प्रति हजार जनसंख्या के लिए 6.63 हेक्टेयर है।

विभिन्न भूमि उपयोग के अंतर्गत क्रियान्वयन का विवरण इस प्रकार है :-

1.3.1 आवासीय

सागर विकास योजना 2011 में आवासीय उपयोग के अंतर्गत 1835,00 हेक्टेयर भूमि को विकसित करना प्रस्तावित था, जिसमें से 2013 तक आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान में 1615 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है, जो कि 88.00 प्रतिशत आता है। नगर के लिए विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका क्रियान्वयन संस्था है। म.प्र. गृह निर्माण मण्डल ने भी पिछले 10 वर्षों में सागर नगर के अंतर्गत किसी भी आवासीय योजना का विकास नहीं किया है। नगर विकास का प्रमुख दबाव छतरपुर मार्ग पर ग्राम रजाखेडी, ग्राम मकरोनिया, ग्राम गंभीरिया में, भोपाल मार्ग पर ग्राम बम्होरी रेंगुवा में, खुरई मार्ग पर

ग्राम करीला ,ग्राम गढौली खुर्द एवं तिली मार्ग पर ग्राम मेनपानी में है। उक्त ग्रामों एवं अन्य मार्गों पर कुछ निजी भू-स्वामियों को छोड़कर अधिकांश भूमि स्वामियों ने बिना अनुमति के अवैध कालोनियों का विकास किया है, जिससे इन क्षेत्रों में अप्राधिकृत भूमि उपयोग विकास के कारण भूमि उपयोग में परिवर्तन की मांग संबंधी दबाव निर्मित हुआ है।

1.3.2 वाणिज्यिक

सागर विकास योजना 2011 में वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 250 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी, जिसमें से वर्तमान में लगभग 132 हेक्टेयर भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ कार्यरत हैं, जो इस उपयोग के अंतर्गत 52.00 प्रतिशत विकास दर्शाता है। नगर के अंतर्गत नगर स्तर पर खुरई मार्ग पर 10 हेक्टेयर में गल्लामण्डी को छोड़ कर कोई भी प्रस्तावित वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास नहीं हुआ है। वाणिज्यिक विकास के रूप में नगर के प्रमुख मार्गों के दोनों ओर वाणिज्यिक दुकानों का निर्माण हुआ है। विकास योजना 2011 के प्रस्ताव अनुसार वर्तमान वाणिज्यिक विकास की स्थिति निम्नानुसार है:-

सागर : क्रियान्वयन स्तर वाणिज्यिक

1-सा-3

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2011 के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (हे. में)	वर्तमान स्थिति वर्ष 2013
1	2	3	4	5
1.	यातायात नगर यातायात नगर	निवेश इकाई क्रमांक-1 निवेश इकाई क्रमांक-7	15.00 12.00	अविकसित अविकसित
2.	कृषि उपज मण्डी उप मण्डी उप मण्डी	निवेश इकाई क्रमांक-1 निवेश इकाई क्रमांक.-3 निवेश इकाई क्रमांक -7	10.00 6.00 12.00	विकसित अविकसित अविकसित
3.	साप्ताहिक बाजार	निवेश इकाई क्रमांक-1,3,6 एवं 7	00.00	अविकसित
4.	गोदाम एवं शीतगृह	निवेश इकाई क्र.- 1 निवेश इकाई क्रमांक-7	12.00 12.00	अविकसित अविकसित
5.	भवन सामग्री प्रांगण एवं माल गोदाम	निवेश इकाई क्रमांक-1	18.00	अविकसित
6.	धास एवं पशु बाजार	निवेश इकाई क्रमांक-1	5.00	अविकसित
7.	कबाडी बाजार	निवेश इकाई क्रमांक-1	4.00	अविकसित
8.	नगर स्तर के बाजार	निवेश इकाई क्रमांक-5 निवेश इकाई क्रमांक-2	10.00	अविकसित

1.3.3 औद्योगिक

सागर विकास योजना 2011 में औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत 330.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी, इसमें से वर्तमान में 97 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का उपयोग हो रहा है जो कि विकसित क्षेत्र का 29.40 प्रतिशत है।

सागर : क्रियान्वयन स्तर औद्योगिक

1-सा-4

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2011के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	वर्तमान स्थिति वर्ष 2013
1	2	3	4	5
1	सामान्य उद्योग			
(अ)	सिदगुवों औद्योगिक प्रक्षेत्र	निवेश इकाई क्रमांक-6	126.00	अविकसित
(ब)	ग्राम रजौआ	निवेश इकाई क्रमांक-1	40.00	अविकसित
2	कृषि आधारित उद्योग			
(अ)	खुरई -झाँसी बायपास मार्ग पर	निवेश इकाई क्रमांक-1	17.00	अविकसित
(ब)	छतरपुर-झाँसी बायपास मार्ग पर	निवेश इकाई क्रमांक-7	05.00	अविकसित
3	सेवा उद्योग			
(अ)	वर्तमान खुरई मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक-1	12.00	अविकसित
(ब)	मकरोनिया रेल मार्ग के किनारे	निवेश इकाई क्रमांक-5	05.00	अविकसित
4	टिम्बर उद्योग एवं बाजार			
(अ)	टिम्बर इस्टेट एवं टिम्बर मार्केट	निवेश इकाई क्रमांक-1	35.00	अविकसित

विकास योजना 2011 में ग्राम सिदगुवों निवेश इकाई क्र.-6 में लगभग 126.00 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक उपयोग प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का उद्योग विभाग द्वारा विकास किया जा चुका है। इस औद्योगिक क्षेत्र के अधिकांश भूखण्ड वर्तमान में रिक्त है, इसके अतिरिक्त निवेश इकाई क्र.-1 में कृषि आधारित उद्योग हेतु 15 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है जिसका विकास वर्तमान में नहीं हुआ है तथा उक्त क्षेत्र के भाग पर अवैध आवासीय विकास हुआ है। निवेश इकाई क्रमांक-1 में टिम्बर स्टेट एवं टिम्बर मार्केट हेतु 35 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी जिस पर भी कोई विकास नहीं हो सका।

1.3.4 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

विकास योजना 2011 में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु कुल 520.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से वर्तमान में 530 हेक्टेयर भूमि पर सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग विकसित है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 101.92 प्रतिशत है। पूर्व विकास योजना में डॉ हरिसिंहगौर विश्वविद्यालय का पूर्ण क्षेत्र गणना में नहीं लेने से विकास योजना में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

उपयोग हेतु प्रस्तावित क्षेत्र से अधिक विकास परिलक्षित होता है। विकास योजना में प्रस्तावित स्थल के अलावा लगभग 40 हेक्टेयर भूमि इस उपयोग के अंतर्गत विकसित हुई जो सभी कृषि उपयोग से उपान्तरण पश्चात हुए है।

सागर : क्रियान्वयन स्तर सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सेवा सुविधाएँ

1-सा-5

क्र.	उपयोग	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2011 अनुसार स्थिति	क्षेत्रफल हे. में	वर्तमान स्थिति 2013
1	2	3	4	5	6
1	स्वास्थ्य	जिला स्तरीय चिकित्सालय	निवेश इकाई क्रमांक-6	20.00	अविकसित
		स्वास्थ्य सुविधाएँ	निवेश इकाई क्रमांक-1	08.00	विकसित
		स्वास्थ्य सुविधाएँ	निवेश इकाई क्रमांक-7	02.00	अविकसित
2	शैक्षणिक	महाविद्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-1	10.00	अविकसित
		महाविद्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-3	04.00	विकसित
		महाविद्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-5	04.00	अविकसित
		महाविद्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-7	04.00	अविकसित
		कृषि महाविद्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-2	150.00	अविकसित
		मेडिकल कॉलेज	निवेश इकाई क्रमांक-3	30.00	अविकसित विकास योजना प्रस्तावों से अन्यत्र विकसित
		पुलिस प्रशिक्षण संस्थान	निवेश इकाई क्रमांक-2	90.00	अविकसित विकास योजना प्रस्तावों से अन्यत्र विकसित
3	कार्यालय	कार्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-1	25.00	अविकसित
		कार्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-3	04.00	अविकसित
		कार्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-4	05.00	अविकसित
		कार्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-5	08.00	अविकसित
		कार्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-6	18.00	अविकसित
		कार्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-7	06.00	अविकसित
		प्रशासकीय परिसर	निवेश इकाई क्रमांक-4	07.00	अविकसित

क्र.	उपयोग	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2011 अनुसार स्थिति	क्षेत्रफल हे. में	वर्तमान स्थिति 2013
1	2	3	4	5	6
		(संयुक्त कार्यालय भवन)			
		नगर पालिक निगम कार्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-1	02.00	अविकसित
4	सामाजिक / सांस्कृतिक	सामाजिक / सांस्कृतिक	निवेश इकाई क्रमांक-1	05.00	अविकसित
			निवेश इकाई क्रमांक-1	02.00	अविकसित
			निवेश इकाई क्रमांक-1	02.50	अविकसित
			निवेश इकाई क्रमांक-1	02.00	अविकसित

1.3.5 आमोद-प्रमोद

सागर विकास योजना 2011 में आमोद-प्रमोद उपयोग हेतु 395.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी जिसमें से केवल 40 हेक्टेयर क्षेत्र में पार्क एवं आमोद-प्रमोद गतिविधियाँ विकसित हुई, जो कि नगण्य है, प्रतिशत के मान से यह 10.12 प्रतिशत है।

1.3.6 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना 2011 में इस भूमि उपयोग के अंतर्गत 670 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी। अद्यतित सर्वेक्षण के अनुसार 320 हेक्टेयर क्षेत्र यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत विकसित है, प्रतिशत के मान से यह विकास 47.76 प्रतिशत है।

1.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

सागर विकास योजना 2011 में उल्लेखित असंगत भूमि उपयोगों को उनके स्थान से हटाकर उचित स्थानों पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव किये गये थे। लेकिन केवल कृषि उपज मण्डी के विस्तार हेतु 4.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी जिसका स्थल पर विकास हुआ है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भूमि उपयोग का स्थानांतरण के साथ पुर्नस्थापना नहीं हो सकी है।

विकास परिदृश्य एवं प्रस्तावित नगर संरचना

2.1 क्षेत्रीय परिदृश्य

सागर नगर रेलवे के बीना कटनी सेक्शन पर स्थित है। सागर से बीना लगभग 75 कि० मी० की दूरी पर स्थित है जहाँ से उत्तर एवं दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों के लिये रेल सेवा उपलब्ध है। रेल मार्ग के अतिरिक्त सागर नगर बुन्देलखण्ड क्षेत्र का प्रमुख नगर होने के साथ-साथ बुन्देलखण्ड का प्रवेश द्वार तथा राजस्व संभाग का मुख्यालय है। अन्य जिला मुख्यालयों से भी सागर सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। सागर से गुजरने वाले मार्ग निम्नानुसार है :-

1. सागर-झाँसी मार्ग (राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 26)
2. सागर-नरसिंहपुर मार्ग (राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 26)
3. सागर-खुरई-बीना मार्ग (राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 26-ए)
4. सागर-छतरपुर-कानपुर मार्ग (राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 86)
5. सागर-राहतगढ़-विदिशा-भोपाल मार्ग (राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 86)
6. सागर-सागर मार्ग (राज मार्ग क्रमांक 14)
7. सागर-रहली मार्ग (राज मार्ग क्रमांक 15-ए)
8. सागर-जैसीनगर मार्ग (राज मार्ग क्रमांक)

2.2 व्यवसायिक संरचना

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सागर नगरीय क्षेत्र में 1,03,016 श्रमिक कार्यरत हैं। जनसंख्या में अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 81.48 प्रतिशत श्रमिक अन्य विविध सेवा में कार्यरत है तथा 15.07 श्रमिक गृह उद्योग में कार्यरत है। नगर की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे 250 श्रमिक कार्यरत है जिससे प्रतीत होता है कि नगर में रोजगार के अवसरों की कमी है। नगर की वर्तमान व्यवसायिक संरचना 2011 सारणी क्रमांक 2-सा-1 में दी गई है।

सागर : व्यवसायिक संरचना 2011

2-सा-1

क्र.	श्रेणी / वर्ग	नगर समूह	प्रतिशत	सहभागिता दर (प्रति 1000 जनसंख्या)
1	2	3	4	5
1.	कृषक	1458	1.42	3.50
2.	खेतिहर मजदूर	2093	2.03	5.10
3.	गृह उद्योग	15524	15.07	37.70
4.	अन्य कार्य	83941	81.48	203.70
योग :-		1,03,016	100.00	250.00

स्रोत :- भारत की जनगणना 2011

2.3 निवेश क्षेत्र

सागर नगर हेतु सर्वप्रथम निवेश क्षेत्र का गठन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(1) अंतर्गत म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1996/2166/33/75 भोपाल दिनांक 24.07.1975 द्वारा हुआ था जिसमें 15 ग्राम सम्मिलित थे। निवेश क्षेत्र का पुर्नगठन म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3348/4684/बत्तीस/77 दिनांक 02.09.1977 द्वारा किया गया, जिसमें 1 अतिरिक्त ग्राम गौर नगर को सागर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। सागर नगर के द्रुत गति विकास को ध्यान में रखते हुए शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16 (3) 86-बत्तीस दिनांक 25 जनवरी 1993 (परिशिष्ट-4) द्वारा 19 अतिरिक्त ग्रामों को शामिल करते हुए निवेश क्षेत्र में वृद्धि की गई। निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम/क्षेत्र का विवरण सारणी क्रमांक 2-सा-2 अनुसार है:-


सागर : निवेश क्षेत्र

2-सा-2

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्ट.में)	जनसंख्या 2011
1	2	3	4
1.	रतौना	540.71	1229
2.	लहदरा	217.03	459
3.	बमौरी रैंगुवा	758.00	3620
4.	हफसिली	242.20	718
5.	अमावनी	210.33	670
6.	पथरिया हाट	90.25	1478
7.	गढौली खुर्द	208.00	1926
8.	बिहारीपुरा	394.73	578
9.	बरारु	104.12	3567
10.	पटकुई	106.94	1566
11.	सेमराबाग	444.18	2992
12.	जिन्दा	366.57	674
13.	बामोरा	38.57	622
14.	बहेरिया गदगद	158.04	1930
15.	गंभीरिया	140.95	126
16.	पथरिया रैयतवारी	161.03	520
17.	अर्जुनी	60.00	355
18.	आमेट	544.33	1506
19.	रजौआ	1305.66	2514
20.	बधोना	764.48	2694
21.	नरवानी	298.00	1251
22.	सिदगुवां	659.00	2478

सागर

2.1 क्षेत्रीय बसाहट



क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्ट.में)	जनसंख्या 2011
1	2	3	4
23	बम्हौरी दूढर	968.00	2943
24	केरबना	1052.00	4121
25	रुसल्ला	318.00	1742
26	आमाखुर्द	112.00	258
27.	खिरिया ताजखां	140.33	108
28.	बाछलोन	426.90	2241
29.	बेरखेरी माफी	114.32	322
30.	गुडा	338.00	913
31	लिधोरा हाट	358.00	1244
32.	बडतूमा	336.00	2752
33.	पथरिया जाट	843.00	4555
34.	सिरौंजा	446.00	2083
35.	बम्हौरी बीका	853.10	2367
36.	खेजराबाग	563.53	965
37.	मेनपानी	610.31	1599
38	पगारा	756.53	2871
39.	कुडारी	748.67	2392
	योग (अ)	16832.21	66999
(ब)	बाह्य वृद्धि		
40	मकरानिया बुजुर्ग	431.58	23861
41	रजाखेडी	354.00	24232
42	कपुरिया	130.67	1902
43	भैसा	278.11	5144
44	गौर नगर	435.60	1260
45	छावनी क्षेत्र	1635.00	40513
योग-	योग (ब)	3264.96	96921
	नगर पालिक निगम क्षेत्र (स)	3375.00	274556
	निवेश क्षेत्र योग=(अ)+(ब)+(स)	23472.17	438467

स्रोत :- जनगणना 2011

2.3.1 नगर पालिक निगम क्षेत्र

सागर को जनवरी 1981 में नगर पालिक निगम की श्रेणी प्राप्त हुई। वर्तमान में नगर पालिक निगम सीमा के अन्तर्गत 3375 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है जो 48 वार्डों में विभक्त है।

2.4 जनसंख्या परिवर्तन

सागर नगर की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 4,11,981 है। वर्ष 1951 में नगर की जनसंख्या 80068 थी। वर्ष 1961 से 1971 के दशक की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, जबकि यह वृद्धि दर वर्ष 1991 से 2001 के मध्य न्यूनतम रही है। सारणी 2-सा-3 में नगर की जनसंख्या एवं दशक वृद्धि दर्शायी गयी है :-

सागर : जनसंख्या परिवर्तन

2-सा-3

क्र.	वर्ष	जनसंख्या (नगर पालिक निगम)	छावनी क्षेत्र	बाह्य वृद्धि क्षेत्र (छावनी छोडकर)	नगर समूह	दशक वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6	7
1.	1951	66,442	13,626	—	80,068	—
2.	1961	84,372	19,185	1,119	1,04,676	30.73
3.	1971	1,18,574	27,343	8,868	1,54,785	47.87
4.	1981	1,60,392	32,709	14,378	2,07,479	34.04
5.	1991	1,95,346	37,135	24,638	2,57,119	23.97
6.	2001	2,32,133	30,832	30,922	3,08,922	20.14
7.	2011	2,73,357	40,513	96,912	4,11,981	33.36

स्रोत :- जनगणना 2011

2.4.1 अनुमानित जनसंख्या

अनुमोदित सागर विकास योजना 2011, 5.00 लाख आबादी के लिये तैयार की गयी थी। तथापि पिछले दशक 2001-2011 में नगर में विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तीव्रता से हुई है जिससे की नगर में आसपास के क्षेत्रों से यहाँ जनसंख्या का आगमन हुआ है। अतः अनुमान है कि आगामी वर्षों में यह जनसंख्या वृद्धि दर यथावत रहेगी। अतः वर्ष 2001 की दशक वृद्धि दर 20.14 एवं वर्ष 2011 की दशक वृद्धि दर 33.36 के आधार पर सागर विकास योजना 2031 के प्रस्ताव के लिये 6.50 लाख जनसंख्या अनुमानित की गई है। योजना काल हेतु प्रक्षेपित जनसंख्या का अनुमान वर्तमान में प्रचलित निम्न चार विधियों से किया गया है जिसका विवरण सारणी 2-सा-4 अनुसार है।

सागर : अनुमानित जनसंख्या

2-सा-4

क्रमांक	विधि का प्रकार	जनसंख्या लाखों में		
		2011	2021	2031
1	अर्थमेटिक इन्क्रिज मेथड	4.12	4.77	5.40
2	इन्क्रिमेन्टल इन्क्रिज मेथड	4.12	4.93	5.74
3	ज्योमेट्रिकल इन्क्रिज मेथड	4.12	5.26	6.73

4	यूनाइटेड नेशन फार्मुला	4.12	5.44	7.18
औसत जनसंख्या		4.12	5.10	6.26
योजना काल 2031 के लिये मान्य जनसंख्या 6.50 लाख				

2.4.2 अनुमानित व्यवसायिक संरचना

वर्ष 2011 में सागर नगर में सहभागिता दर 250 है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रति एक हजार व्यक्तियों के पीछे कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 250 है। अनुमानित है कि वर्ष 2031 तक नगर में प्रति 1000 जनसंख्या में 250 कार्यरत व्यक्तियों के आधार पर लगभग 1,62,500 कार्यरत होना अनुमानित है।

2.5 योजना काल

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है, इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर, भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। सागर नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2031 तक कालावधि नियत की गई है। अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण, उपरोक्त कालावधि हेतु किया गया है, लेकिन इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।

विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते क्योंकि नगर विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होंगे। अतः सागर विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी, विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

2.6 भौतिक स्वरूप एवं ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

सागर नगर दक्षिण के ट्रेप रॉक एवं विंध्य पहाड़ियों से बनें पठार पर स्थित है। नगर में कई पहाड़ियाँ हैं, जिसके अधिकांश क्षेत्र पर जहाँ बसाहट हो चुकी है वहीं पहाड़ियों के कारण नगर के भौतिक विस्तार में कुछ हद तक रूकावट निर्मित हुई है जिससे नगर की मार्ग संरचना प्रभावित हुई है। इस कारण नगर का प्रमुख विकास समतल भाग में अधिक हुआ है।

सागर तालाब लाखा बंजारा द्वारा 16 वीं शताब्दी में निर्मित कराया गया था। तालाब का वर्तमान क्षेत्रफल 137 हेक्टेयर है जबकि वर्षाकाल में तालाब का जल विस्तार क्षेत्र 347 हेक्टेयर हो जाता है। इस तालाब ने नगर के विस्तार को दिशा प्रदान करने तथा नगर के वर्तमान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तालाब के कारण आसपास के क्षेत्र का भू-जल स्तर संवर्धन हुआ है। वर्तमान में इसका उपयोग आमोद-प्रमोद गतिविधियों एवं जल विहार के लिये किया जा रहा है।

सागर नगर का इतिहास ईसवी सन् 1660 से प्रारंभ होता है जबकि प्रारंभिक बसाहट वर्ष 1735 के पश्चात् प्रारंभ हुई अंग्रेजों द्वारा कमिश्नरी का मुख्यालय एवं सेना हेतु छावनी की स्थापना से नगर के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। वर्ष 1889 में रेल मार्ग से जुड़ने पर इसका अन्य नगरों से सम्पर्क स्थापित हुआ। विश्वविद्यालय स्थापित होने से जहाँ नगर का गौरव बढ़ा वही विकास की गति भी प्राप्त हुई,

वर्ष 1956 में जिला एवं वर्ष 1973 से सागर राजस्व संभाग का संभागीय मुख्यालय बन जाने के कारण नगर के विकास को गति मिली।

2.6.1 जलवायु

नगर का अधिकतम तापमान 48.00 डिग्री सेल्सियस मई माह में रहता है। नगर का औसत अधिकतम तापमान 40.60 डिग्री सेल्सियस मई में तथा औसत न्यूनतम तापमान 11.20 डिग्री सेल्सियस दिसम्बर में रहता है। वर्षा काल में औसतन 1100 मिली मीटर वर्षा होती है। हवा का प्रवाह विशेष रूप से पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा से होता है।

2.7 नगर के मुख्य कार्यकलाप

नगर के प्रमुख कार्यकलाप प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों से मूलतः प्रभावित है। जिला मुख्यालय होने के साथ नगर, सागर राजस्व संभाग का संभागीय मुख्यालय भी है। अतः जिला एवं संभागीय स्तरीय सभी प्रशासकीय गतिविधियों का केन्द्र है। सर हरिसिंह विश्वविद्यालय स्थित होने से देश के प्रमुख शिक्षा केन्द्रों में से एक है। उक्त के अलावा जवाहरलाल नेहरू पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में प्रदेश पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नगर बुन्देलखण्ड क्षेत्र का सबसे बड़े व्यापार एवं परिवहन का केन्द्र है जिसमें मुख्यतः कृषि उत्पाद, भवन निर्माण सामग्री, किराना सामग्री आदि का थोक व्यापार होता है।

2.8 योजना अवधारणा

सागर का वर्तमान भौतिक स्वरूप एवं आकार, नगर में स्थित तालाब, पहाड़ियाँ एवं छावनी क्षेत्र पर आधारित है। इन भौतिक बंधनों के कारण, नगर का वर्तमान स्वरूप मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में हो रहे विकास पर आधारित है :-

पुराना नगर (मध्य क्षेत्र)

मकरोनियाँ उपनगर

खुरई मार्ग

मेनपानी मार्ग

वर्तमान में हो रहे विकास की दशा को दृष्टिगत रखते हुए, नगर के भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण इन्हीं आधार पर सुदृढ़ किया गया है, इसके फलस्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। उपरोक्त के अतिरिक्त, इन क्षेत्रों को प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप से जोड़े जाने की भी आवश्यकता है ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह संबंध एवं युक्तियुक्त सामन्जस्य स्थापित किया जा सके ताकि नगर का विकास एकीकृत रूप में हो सकेगा।

वर्तमान में मुख्य मार्गों के शहर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात एवं पर्यावरण समस्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रमुख मार्गों को प्रस्तावित बायपास के द्वारा आपस में जोड़ा गया है। ताकि ईंधन व समय आदि की बचत हो सके, इसके अतिरिक्त सीधे यातायात का नगरीय यातायात से पृथक्करण भी संभव हो सकेगा।

नगर की जल समस्या के निराकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में भू-जल स्तर संवर्धन क्षेत्र एवं स्थित तालाबों के विकास की योजना प्रस्तावित की गई है, इसके अतिरिक्त नगर के पर्यावरण उन्नयन हेतु स्थित पहाड़ियों पर वृक्षारोपण तथा तालाब का जल तटीय विकास भी प्रस्तावित किया गया है।

नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में, प्रस्तावित क्षेत्रों में इस हेतु उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण हो सके। नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर की सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है। नगर में भावी औद्योगिक विकास को दिशा प्रदान करने की दृष्टि से कृषि आधारित एवं अन्य उद्योगों हेतु उचित प्रावधान किया गया है।

नगर के आबादी क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नवीन प्रस्ताव :

- वर्तमान एवं भावी यातायात की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम परिभ्रमण संरचना।
- भावी औद्योगिक विकास को दिशा प्रदान करने हेतु कृषि आधारित एवं रसायन आधारित औद्योगिक क्षेत्रों का निर्धारण।
- वर्तमान एवं भावी यातायात की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए, सक्षम परिभ्रमण संरचना।
- नगर के ठोस अवशिष्ट विसर्जन एवं प्रबंधन हेतु प्रावधान।
- नगर के पर्यावरण संतुलन एवं संरक्षण हेतु चारों ओर स्थित पहाड़ियों एवं प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में वृक्षारोपण भू-दृश्यकरण।
- नगर को बुंदेलखंड का उच्च शिक्षा केंद्र की स्थापना।
- बुंदेलखंड क्षेत्र का क्षेत्रीय वाणिज्यिक केन्द्र की स्थापना।
- नगर में स्थित तालाब एवं नालों के संरक्षण हेतु तालाबों एवं नालों किनारे वृक्षारोपण का प्रस्ताव।

2.9 प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन (2031)

सागर विकास योजना 2031 में पूर्व में प्रस्तावित निवेश इकाइयों के पुनर्निर्माण को सम्मिलित कर नगर नियोजन की अवधारणा तैयार की गई है। सागर विकास योजना को सात निवेश इकाइयों में विभक्त किया गया है। विकास योजना में इन निवेश इकाइयों को आधार मानकर विकास प्रस्ताव दिये गये हैं। ये निवेश इकाइयों वाणिज्यिक, आवासीय, शिक्षा, स्वास्थ्य, आमोद-प्रमोद की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगी। प्रत्येक निवेश इकाई को मुख्य कार्य केंद्र एवं यातायात संरचना से युक्तियुक्त रूप से जोड़ा गया है ताकि ये निवेश इकाइयों सुविधाओं सहित आत्मनिर्भर हो सकें।

2.9.1 भूमि का वितरण

सागर विकास योजना 2011 में विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत भूमि उपयोगिता दर 8.00 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति प्रस्तावित थी, जिसके विरुद्ध सागर विकास योजना 2031 में विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत भूमि उपयोगिता दर 10.86 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति प्रस्तावित है जिसका मुख्य कारण सागर में

पहाड़ी, वन के साथ साथ जल क्षेत्रों की अधिकता है। भूमि उपयोग वितरण संबंधी विवरण सारणी 2-सा-5 अनुसार है :-

भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन (2031)

2-सा-5

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित विकास (2011)			वर्तमान विकसित क्षेत्र (2013)			प्रस्तावित विकास (2031) (वर्तमान विकास सहित)		
		क्षेत्रफल (हेक्टर . में)	प्रतिशत	भूमि उपयोग दर	क्षेत्रफल (हेक्टर . में)	प्रतिशत	भूमि उपयोग दर	क्षेत्रफल (हेक्टर . में)	प्रतिशत	भूमि उपयोग दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आवासीय	1835	46.0	3.67	1615	59.07	3.92	4890	55.82	7.52
2.	वाणिज्यिक	250	6.0	0.50	132	4.83	0.32	360	4.11	0.55
3.	औद्योगिक	330	8.0	0.66	97	3.55	0.23	530	06.05	0.82
4.	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिताएँ	520	13.0	1.04	530	19.39	1.28	1250	14.27	1.92
5.	आमोद-प्रमोद	395	10.0	0.79	40	1.46	0.10	730	8.33	1.12
6.	यातायात एवं परिवहन	670	17.0	1.34	320	11.70	0.78	1000	11.42	1.54
योग :-		4000	100.0	8.00	2734	100.00	6.63	8760	100.00	13.48


टीप :-

- वर्ष 2031 की जनसंख्या 6.50 लाख अनुमानित है।
- भूमि उपयोग/आवंटन दर हेक्टेयर प्रति 1000 जनसंख्या।

उपरोक्त सारणी में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोगिता दर 6.63 प्रति 1000 जनसंख्या की तुलना में वर्ष 2021 के लिए 12.13 हेक्टेयर प्रति 1000 जनसंख्या की दर से भूमि आवंटन प्रस्तावित किया गया है। निवेश क्षेत्र में पहाड़ियों, तालाबों वन क्षेत्रों की अधिकता के कारण निरंतर नगरीय विकास सम्भव न होने से प्रस्तावित भूमि उपयोगिता दर अधिक आ रही है।

सागर विकास योजना 2011 में यह दर 8.00 ली गई थी। विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भूमि उपयोग के आधार पर नगर का औसत सकल घनत्व 82 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर तथा औसत आवासीय घनत्व 158 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर आता है।

सागर 2.3 वर्तमान भूमिउपयोग



- आवासीय
- वाणिज्यिक
- औद्योगिक
- सार्वजनिक/अर्ध सार्वजनिक
- सार्वजनिक सेवा एवं सुविधाएँ
- आमोद प्रमोद
- आरक्षित वन
- पहाड़ी क्षेत्र
- यातायात एवं परिवहन
- सड़के एवं गलियाँ
- बस स्थानक
- रेल्वे लाईन
- रेल्वे स्टेशन
- ओवर ब्रिज
- कृषि
- नदी/नाले/तालाब
- निवेश क्षेत्र सीमा
- ग्राम सीमा
- नगर पालिक निगम सीमा



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

सागर विकास योजना 2031 में विकास योजना 2011 की मूल अवधारणा, वर्तमान विकसित क्षेत्र की भावी विकास की प्रवृत्ति एवं प्रकार इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अनुमानित भावी जनसंख्या को समायोजित करने के उद्देश्य से भू-उपयोग आधारित नियोजन प्रस्तावों को सकल वास्तविक क्षेत्रफल दर्शित ये प्रस्ताव दिये जा रहे हैं।

2.9.2 जनसंख्या वितरण

सागर विकास योजना 2011 में निवेश क्षेत्र को सात निवेश इकाइयों में विभक्त किया गया था। विकास योजना 2031 के प्रस्तावों में भी सागर निवेश क्षेत्र को सात स्वसक्षम निवेश इकाइयों में विभक्त किया गया है।

(अ) निवेश इकाई क्रमांक-1

इस निवेश इकाई में निवेश क्षेत्र की दक्षिण में बीना की और रेल लाइन, उत्तर-पश्चिम में निवेश क्षेत्र सीमा तथा पूर्व में छावनी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा स्थित है, जिसमें प्रमुख रूप से सिन्धी केंप, भगवानगंज विठ्ठल नगर आदि आवासीय क्षेत्र, खुरई मार्ग तथा झांसी-खुरई बायपास पर स्थित औद्योगिक प्रक्षेत्र आते हैं। निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 4536 हेक्टेयर है।

(ब) निवेश इकाई क्रमांक-2

इस निवेश इकाई के उत्तर में बीना की और की रेल लाइन, दक्षिण- पश्चिम में निवेश क्षेत्र सीमा तथा दक्षिणी पूर्व में धरमसी मार्ग एवं छावनी क्षेत्र स्थित है, इसमें वर्तमान नगर का मध्य क्षेत्र (गुजराती बाजार, कटरा, बडा बाजार, शुक्रवारी, शनिचरी) तथा अन्य पुरानी बसाहट है। मध्य क्षेत्र में मुख्यतः वाणिज्यिक, आवासीय तथा अन्य मिश्रित भू-उपयोग विद्यमान है। निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 2990 हेक्टेयर है।

(स) निवेश इकाई क्रमांक-3

इस निवेश इकाई के उत्तर पश्चिम में धरमसी मार्ग, दक्षिण में निवेश क्षेत्र की सीमा तथा पूर्व में तिली अस्पताल मार्ग स्थित है, इसमें मुख्यतः काकागंज तिली ग्राम आवासीय क्षेत्र के रूप में तथा सागर तालाब स्थित है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 2386 हेक्टेयर है।

(द) निवेश इकाई क्रमांक-4

इस निवेश इकाई के उत्तर में तिली अस्पताल मार्ग, दक्षिण एवं उत्तर में छावनी क्षेत्र सीमा तथा पूर्व में नरसिंहपुर मार्ग स्थित है। निवेश इकाई में गोपालगंज विश्वविद्यालय, सिविल लाईन, न्यू कालोनी, मनोरमा कालोनी आवासीय क्षेत्र तथा जिलाध्यक्ष, आयुक्त, जिला न्यायालय जैसे प्रशासकीय कार्यालय समाविष्ट है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 3133 हेक्टेयर है।

(इ) निवेश इकाई क्रमांक-5

इस निवेश इकाई के पश्चिम में नरसिंहपुर मार्ग, दक्षिण एवं पूर्व में निवेश क्षेत्र सीमा तथा उत्तर में कटनी की और की रेल लाइन स्थित हैं। निवेश इकाई में मुख्यतः मकरोनिया पद्माकर नगर झांसी मार्ग का आवासीय क्षेत्र तथा एस. ए. एफ. मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल कार्यालय स्थित है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 3072 हेक्टेयर है।

(ड) निवेश इकाई क्रमांक-6

इस निवेश इकाई के दक्षिण में कटनी की ओर की रेल्वे लाइन, पूर्व में निवेश क्षेत्र सीमा तथा उत्तर पश्चिम में छतरपुर मार्ग स्थित है, इसमें मुख्यतः गंभीरिया स्थित इंजीनियरिंग कालेज तथा सिद्धगुवां स्थित औद्योगिक प्रक्षेत्र है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 2755 हेक्टेयर है।

(फ) निवेश इकाई क्रमांक-7

इस इकाई के उत्तर पूर्व में छतरपुर मार्ग, उत्तर में निवेश क्षेत्र सीमा, दक्षिण पश्चिम में छावनी क्षेत्र तथा दक्षिण में रेल्वे लाईन स्थित है, इस इकाई का कुल क्षेत्रफल 2965 हेक्टेयर है जिसमें मुख्यतः कृषि क्षेत्र सम्मिलित है।

2.9.3 प्रमुख कार्य केन्द्र

सागर नगर संभाग स्तरीय प्रशासनिक केन्द्र है, जहाँ पर राज्य शासन के सभी संभागीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय है। वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों/कार्य केन्द्रों की स्थिति तथा आवासीय क्षेत्रों से उनके मध्य दूरी कम हो तथा वे आपस में परिवहन की दृष्टि से भी सुसंबद्ध हों, उनमें सेवा सुविधाएं उपलब्ध हो, इसका समुचित ध्यान रखते हुए विकास योजना में प्रस्ताव दिये गये हैं।

(1) **कार्यालय** :- सागर नगर संभागीय मुख्यालय होने के कारण संभागीय आयुक्त कार्यालय एवं जिलाध्यक्ष कार्यालय एक ही परिसर में स्थित है। इन कार्यालयों के अलावा शासकीय कार्यालय गोपालगंज, मनोरमा कालोनी, एवं तिली क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र में स्थित है। जिलाध्यक्ष कार्यालय के नजदीक संयुक्त कार्यालय भवन बनाना प्रस्तावित है जिसमें कार्यालयों को स्थानांतरित किया जा सकता है, इसके अलावा गौर भवन से डी.आय.जी. मार्ग पर उपलब्ध शासकीय भूमि पर भी शासकीय कार्यालय प्रस्तावित है।


(2) **औद्योगिक** :- औद्योगिक इकाईयों के विकास की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सागर विकास योजना 2031 में निवेश इकाई क्रमांक-6 ग्राम सिद्धगुवां में लगभग 141 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई थी। औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा इस क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। इस औद्योगिक केन्द्र के अतिरिक्त ग्राम रजौआ योजना निवेश इकाई क्रमांक-02 में 40 हेक्टेयर प्रस्तावित की गई है।

ग्राम हफसिली में खुरई मार्ग 15 हेक्टेयर भूमि एवं निवेश इकाई क्रमांक-07 में ग्राम बाछलोन में 58 हेक्टेयर भूमि सामान्य उद्योग हेतु प्रस्तावित की है।

कृषि आधारित उद्योगों हेतु निवेश इकाई क्रमांक-01 में खुरई-झांसी बायपास मार्ग पर 17 हेक्टेयर भूमि एवं निवेश इकाई क्रमांक-07 में 05 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

सेवा उद्योग के अन्तर्गत निवेश इकाई क्रमांक-01 में खुरई मार्ग पर 12.00 हेक्टेयर एवं निवेश इकाई क्रमांक-05 में 05 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो मकरोनिया रेल्वे स्टेशन एवं यार्ड की सुविधा प्राप्त होगी।

सागोन की लकड़ी का व्यापार एवं आरा मशीन उद्योग वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है। सभी को संगठित करने के उद्देश्य से पूर्व अनुमोदित विकास योजना में खुरई-झांसी बायपास पर निवेश इकाई क्रमांक-1 में 35.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी उस प्रस्तावित स्थल पर विकास नहीं हो सका। अतः पुनः उसी प्रस्ताव को यथावत रखते हुए प्रस्ताव दिये गए हैं।



वर्तमान प्रस्तावित

RESIDENTIAL		आवासीय
GENERAL	[Yellow]	सामान्य
LOWER DENSITY	[Light Yellow]	निम्न घनत्व
COMMERCIAL		वाणिज्यिक
GENERAL	[Blue]	सामान्य
SPECIALISED	[Light Blue]	विशेषीकृत
TRANSPORT NAGAR	[Blue with T]	यातायात नगर
INDUSTRIAL		औद्योगिक
GENERAL	[Purple]	सामान्य
AGRICULTURAL & FOREST BASED	[Green with diagonal lines]	कृषि एवं वन आधारित
PUBLIC & SEMI PUBLIC	[Red]	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES	[Pink]	सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं
TRANSPORTATION		यातायात एवं परिवहन
ROAD	[Road symbols]	सड़के एवं गलियौं
BUS STAND	[Bus stand symbol]	बस स्थानक
PICKUP STATION	[Pickup station symbol]	पिकअप स्टेशन
RAILWAY STATION	[Railway station symbol]	रेल्वे स्टेशन
RAILWAYLINE	[Railway line symbol]	रेल्वे लाईन
RECREATIONAL		आमोद प्रमोद
CITY PARK	[Park symbol]	नगर उद्यान
STADIUM/ PLAY GROUND	[Stadium symbol]	स्टेडियम/ खेल मैदान
MELA GROUND	[Mela ground symbol]	मैला मैदान
ENVIRONMENTAL FORESTRY	[Forest symbol]	पर्यावरण वानिकी
RESERVED FOREST	[Green]	आरक्षित वन
AGRICULTURAL		कृषि
GENERAL	[Light Green]	सामान्य
WATERBODIES	[Blue]	जलाशय
BOUNDARIES		सीमाएं
PLANNING BOUNDARY	[Thick black line]	निवेश क्षेत्र सीमा
VILLAGE BOUNDARY	[Thin black line]	ग्राम सीमा
MUNICIPAL BOUNDARY	[Red dashed line]	नगर पालिका सीमा
MUNICIPAL CORPORATION BOUNDARY	[Red dotted line]	नगर निगम सीमा



1:16,000



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल

[Signature]
सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
म० प्र० भोपाल

[Signature]
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म. प्र. भोपाल

[Signature]
Additional Director
Town & Country Planning
BHOHAL (M.P.)

[Signature]
Director,
Town and Country Planning
M. P. Bhopal

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

नोट:- यह मानचित्र केवल नगर तथा ग्राम निवेश के आंतरिक उपयोग हेतु है, ताकि सागर का सुनियोजित विकास, विकास प्रस्तावों की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए किया जा सके। इस मानचित्र में दर्शित भूमि उपयोग प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के हैं। इन भू उपयोगों का उपयोग स्थल सत्यापन, स्थल पर विकास की सम्भावना/ व्यवहारिकता/ तकनीकी रूप से उपयुक्तता तथा भू उपयोग प्रस्ताव का स्थल पर नगर तथा ग्राम निवेश/ कलेक्टर कार्यालय/ भूमि स्वामी की उपस्थिति में सीमांकन कर किया जावेगा।

(3) वाणिज्यिक क्षेत्र

सागर में मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ गौर मूर्ति से राधाकृष्ण टाकीज के बीच मध्यक्षेत्र में स्थित हैं, इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन मार्ग, सिविल लाईन चौराहा एवं मकरोनिया चौराहा के आसपास संचालित है।

उपरोक्त विद्यमान वाणिज्यिक विकास को समाहित करते हुए वाणिज्यिक उपयोग के अधीन 95.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई हैं। पूर्व में प्रकाशित विकास योजना में निम्नलिखित व्यावसायिक गतिविधियों हेतु भूमि प्रस्तावित की गई थी लेकिन योजना काल में इन प्रयोजनों हेतु प्रस्तावित स्थलों का विकास नहीं हो सका है, अतः पुनरीक्षित विकास योजना में इन कार्य केंद्रों को यथावत प्रस्तावित किया गया है। वाणिज्यिक क्षेत्र का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सागर : वाणिज्यिक केन्द्र

2-सा-6

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2031 के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
1	2	3	4
1.	यातायात नगर यातायात नगर	निवेश इकाई क्रमांक-1 निवेश इकाई क्रमांक-7	15.00 12.00
2.	कृषि उपज मण्डी उप मण्डी उप मण्डी	निवेश इकाई क्रमांक-1 निवेश इकाई क्रमांक.-3 निवेश इकाई क्रमांक -7	10.00 6.00 12.00
3.	साप्ताहिक बाजार	निवेश इकाई क्रमांक-1,3,6, एवं 7	00.00
4.	गोदाम एवं शीतगृह	निवेश इकाई क्र.- 1 निवेश इकाई क्रमांक-7	12.00 12.00
5.	भवन सामग्री प्रांगण एवं माल गोदाम	निवेश इकाई क्रमांक-1	18.00
6.	घास एवं पशु बाजार	निवेश इकाई क्रमांक-1	5.00
7.	कबाडी बाजार	निवेश इकाई क्रमांक-1	4.00
8.	नगर स्तर के बाजार	निवेश इकाई क्रमांक-5 एवं क्रमांक-2	10.00

नोट :- वर्तमान अनाज मण्डी एवं उसका विस्तार वर्ष 2031 तक की आवश्यकता की पूर्ति करेगा।

स्रोत :- नगर तथा ग्राम निवेश।

2.9.4 आवासीय

विकास योजना का लक्ष्य नगर के विभिन्न आय वर्गों के लोगों की क्रय क्षमता के अनुरूप सभी के लिये आवासीय क्षेत्र उपलब्ध है। इस प्रकार के प्रावधान आश्रय गृह उपलब्ध कराने के अतिरिक्त नगरवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा जीवन मूल्यों के उत्थान में सहायक होंगे। यह सशक्त सामुदायिक विकास करने का अवसर प्रदान करता है, तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का वाहक बनता है।

नगरीय संरचना के संदर्भ में आवास का विभिन्न कार्य केन्द्रों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक केन्द्रों से सशक्त स्थलीय संबंध है। किसी भी नगरीय क्षेत्र के लिये कार्यकेन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों एवं विभिन्न सुविधाओं

की सूक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए रिहायशी क्षेत्रों में उचित संरचना प्रदान करना सफल नगर विकास योजना की कुंजी है।

प्रत्येक आवासीय क्षेत्र रहवास आवश्यकताओं की पूर्ति अतिरिक्त आवास से प्रासंगिक अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिनमें निम्न सम्मिलित है :-

- पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवासीय क्षेत्र एवं आसान शर्तों पर आवंटन का प्रावधान।
- पानी, विद्युत एवं निस्तार जैसी जन उपयोगी सुविधाओं की सुगमता तथा वहन करने योग्य व्यवस्था का प्रावधान।
- सामाजिक सुविधाएँ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आमोद-प्रमोद आदि का प्रावधान।
- सामाजिक एवं सामुदायिक संगठन में प्रोन्नति करने वाली सक्षम आवासीय इकाईयों का प्रावधान।
- यातायात के साधनों एवं सुविधाओं, जो कार्यकेन्द्रों, शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं से उचित ढंग से संबद्ध हो की उपलब्धता।

(अ) गंदी बस्ती :-

मूलभूत आवश्यकता एवं सुविधाओं रहित समाज के अनौपचारिक मजदूर वर्ग की बसाहट गंदी बस्ती के नाम से पहचानी जाती है। सागर नगर में गंदी बस्तियों के कुल 12 वार्ड हैं, जिनमें 7183 मकानों में 16857 व्यक्ति निवास करते हैं। स्थानीय निकाय द्वारा इन क्षेत्रों में अधोसंरचना एवं पर्यावरण सुधार योजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। नगर स्थित गंदी बस्ती वार्डों का विवरण सारणी 2-सा-7 अनुसार है।

सागर : गंदी बस्ती वार्ड

2-सा-7

क्र.	गंदी बस्ती वार्ड का नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या	मकानों की संख्या
1	2	4	5	6
1.	घासी राम कालोनी	103	587	49
2.	झिरिया माता मंदिर गरिब बस्ती	82	347	36
3.	इंदिरा कालोनी	33	120	15
4.	जिलाध्यक्ष कार्यालय के पीछे	14	83	6
5.	क्रिश्चियन कालोनी बस्ती	22	76	9
6.	झांसी रोड बसुरियाना	117	630	52
7.	रिमझिरिया	104	562	48
8.	संजय नगर	104	584	51
9.	खाण्डेकर काम्प्लेक्स के पास गोपालगंज	68	382	32
10.	एम.एल.बी. स्कूल के पीछे वृन्दावन वार्ड	74	442	33
11	जुगयाना मोहल्ला	95	470	42

क्र.	गंदी बस्ती वार्ड का नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या	मकानों की संख्या
1	2	4	5	6
12.	शुक्रवारी वार्ड बस्ती-1	138	801	57
13.	दयानन्द वार्ड बस्ती	147	873	68
14	बसुरयाना तिलकगंज	84	488	39
15	मीट मार्केट गंदी बस्ती	32	171	14
16	गुलबीया गोदाम के पीछे भगवान गंज	90	453	41
17	रेल्वे स्टेशन के सामने	91	488	43
18	सलती बस्ती टंकी के पास	72	408	35
19	गुलाब होटल गंदी बस्ती	45	185	20
20	मालापुरा सुभाष नगर बस्ती	122	536	53
21	संतोष पुरा सुभाष नगर वार्ड गंदी बस्ती	199	1172	89
22	अप्सरा टाकीज के पास	33	189	14
23	खुशीपुरा गंदी बस्ती	192	1076	82
24	खुरई बस स्टेण्ड के पीछे	90	435	39
25	तुलसी नगर कम्पाउण्डर बगीचा के पास	121	707	58
26	बामनखेडी गंदी बस्ती भूतेश्वर क्षेत्र	132	674	63
27	करीला	448	2529	307
28	कसाई मण्डी गंदी बस्ती	206	816	92
29	स्वीपर कालोनी भगतसिंग गंदी बस्ती	234	1215	112
30	चिण्डीयाना बल्लभनगर	117	587	51
31	खनवारी पठा गंदी वस्ती	28	122	11
32	निगम मार्केट के पीछे नाला गंदी बस्ती	29	236	13
33	तकिया मस्जिद गंदी बस्ती कटरा	52	290	23
34	नगर नारायण मंदिर 32 के पीछे	25	94	11
35	कुरयाना मुहाल, रविशंकर वार्ड-32	118	827	53
36	ग्यादीन गंदी बस्ती, मोहननगर वार्ड-34	72	391	32
37	खितवारी मंदिर के पीछे गंदी ..बस्ती- 35	71	393	34
38	हरिजन गंदी बस्ती, लहदरा नाका-35	126	632	57
39	ग्यादीन गंदी बस्ती राजीव नगर-36 ग्यादीन गंदी बस्ती संतकबीर -37	93	555	38
40	ग्यादीन गंदी बस्ती विकेकानंद वार्ड-36	72	425	29
41	बरिया मुहाल बस्ती संतकबीर वार्ड-37	281	1512	143

क्र.	गंदी बस्ती वार्ड का नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या	मकानों की संख्या
1	2	4	5	6
42	गौड़ बाबा रोहन मार्ग, गंदी बस्ती-38	503	2632	309
43	भरका	64	324	29
44	पुरानी पुलिस लाईन, लक्ष्मीपुरा-42	178	823	93
45	कुरयाना बस्ती पुरब्याउ-43	34	206	13
46	आफत गंज	333	1760	158
47	अयोध्या बस्ती काकागंज-44	128	779	58
48	भटुआ बस्ती पंतनगर-45	76	409	34
49	दुबे तालाब	136	707	62
50	बागराज-तिली पहाडिया क्षेत्र	804	4406	530
51	धरमदास बाबा टोरिया-46	48	229	21
52	बीडी कालोनी गंदी बस्ती-47	182	905	81
53	किशोर न्यायालय	233	1175	107
54	श्मशान घाट के पीछे, धर्मश्री पुल-48	89	499	39
55	चौगुना बस्ती अंबेडकर वार्ड-48	205	1151	94
56	धरमपुरा बस्ती, पानी टंकी के पास-48	82	433	38
57	कनेरा देव	269	1714	142
58	सुलभ शौचालय के पास, धर्मश्री पुल-48	228	1142	118
	योग :-	7968	42889	4020

स्रोत :- नगर पालिका निगम, सागर

उपरोक्त गंदी बस्तियों में कुल 42,889 जनसंख्या निवासित है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 15.70 प्रतिशत है, गंदी बस्ती वार्डों के क्षेत्रों का पर्यावरण सुधार एवं उन्नयन किया जाकर मूलभूत सेवा सुविधाओं एवं अधोसंरचना विकास किया जाना प्रस्तावित है।

(ब) आवासीय इकाईयों की कमी एवं भावी आवश्यकता

जनगणना 2011 के अनुसार छावनी क्षेत्र को छोड़कर नगर पालिक निगम क्षेत्र में 39,534 आवासों में 52,833 परिवार निवास करते हैं, इस आधार पर औसत परिवार का आकार 5.98 व्यक्तियों का आता है। प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 13299 आवासों की कमी परिलक्षित होती है।

नगर के 35 वार्डों में 58 गंदी बस्तियों में 4030 आवास स्थित हैं जिनमें से 30 प्रतिशत आवासों के पुर्ननिर्माण की आवश्यकता है जिसे शामिल करते हुए 14,505 आवासों की कमी आंकलित की गई है जिसका विवरण सारणी 2-सा-8 अनुसार है :-

सागर : आवासों की कमी

2-सा-8

क्र.	विवरण	आवासीय इकाई		आवासों की कमी
		कुल	पुनर्स्थापना का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
1.	वर्ष 2011 तक आवासों की कमी	—	—	13,299
2.	गंदी बस्ती वार्डों के जीर्ण-शीर्ण आवास	4,020	30	1,206
योग :-				14,505

उपरोक्तानुसार वर्तमान में सागर नगर में लगभग 14,505 आवासों की कमी पायी गई। वर्ष 2021 की अनुमानित अतिरिक्त जनसंख्या के लिये आवासों की आवश्यकता एवं परिवारों का अनुमान सारणी 2-सा-9 में दिया गया है :-

सागर : अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता 2031

2-सा-9

क्र.	विवरण	आवासीय इकाईयों की आवश्यकता		
		2011	2021	2031
1	2	5	6	7
1.	जनसंख्या (लाख में)	4.12	5.25	6.50
2.	अतिरिक्त जनसंख्या (लाख में)	—	1.13	1.25
3.	औसत परिवार का आकार	5.98	5.50	5.00
4.	अतिरिक्त परिवार	—	20,545	25,000
5.	2021 में 85 प्रतिशत तथा वर्ष 2031 में 90 प्रतिशत परिवारों की आवास आवश्यकता	—	17,463	22,500
6.	वर्ष 2011 की आवासीय कमी को सम्मिलित करते हुए आवास आवश्यकता	14,505	31,968	54,468
7.	निवास योग्य रहवासी इकाईयों की प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की दर से पुनर्स्थापना	—	545	1090
8.	वर्ष 2011 की आवासों की कमी को सम्मिलित करते हुए कुल आवास आवश्यकता	—	32,513	55,558

वर्ष 2011 में औसत परिवार का आकार 5.98 है, अनुमानित है कि वर्ष 2021 में परिवार का औसत आकार 5.50 एवं 2031 तक परिवार का आकार 5.00 व्यक्ति तक पहुँच जायेगा। जनगणना 2011 के आधार

पर वर्तमान आवासों की कमी 14,505 को सम्मिलित करते हुए अनुमानित है कि वर्ष 2021 तक 32,513 तथा वर्ष 2031 तक 55,558 नवीन आवासीय इकाईयों की आवश्यकता होगी।

(स) आवासों का प्रकार

वर्ष 2031 की अनुमानित आवास आवश्यकता लगभग 30,943 होगी, जो समाज के सभी आय वर्ग को समाहित करेगी। यह प्रासंगिक है कि अनौपचारिक वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के परिप्रेक्ष्य में आवास आवश्यकता को विभक्त किया जावे। अतः आय वर्गवार अनुमानित आवास आवश्यकता का विवरण सारणी 2-सा-10 अनुसार है।

सागर : आय समूह अनुसार रहवासी इकाईयों की आवश्यकता

2-सा-10

क्र.	आय समूह	रहवासी आवश्यकता	
		प्रतिशत	संख्या
1	2	3	4
1.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	40	22,223
2.	निम्न आय वर्ग	30	16,667
3.	मध्यम आय वर्ग	25	13,890
4.	उच्च आय वर्ग	5	02,778
	योग :-	100	55,558

2.9.5 निवेश इकाईयों

निवेश क्षेत्र को सात निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है। इन निवेश इकाईयों में कुल 2475 हेक्टेयर का क्षेत्र आवासीय क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित है, इसमें व्यक्ति 151 प्रति हेक्टेयर आवासीय घनत्व रहेगा। निवेश इकाई वार जनसंख्या एवं घनत्व निम्न सारणी 2-सा-11 में दर्शाया गया है।

सागर : निवेश इकाई वार जनसंख्या एवं घनत्व

2-सा-11

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

निवेश इकाई क्रमांक	वर्तमान आवासीय क्षेत्र	प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र	कुल क्षेत्रफल आवासीय क्षेत्र	वर्तमान जनसंख्या	प्रस्तावित जनसंख्या	कुल जनसंख्या	औसत घनत्व जनसंख्या / हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	350	440	790	84010	37708	121718	154
2	390	700	1090	102980	21425	124405	114
3	250	520	770	62330	44564	106894	139
4	310	308	618	73170	33423	106593	172

5	410	225	635	111110	16283	127393	201
6	65	257	322	2710	19282	21992	68
7	60	605	665	1690	39315	41005	62
योग	1835	3055	4890	438000	212000	650000	133

2.9.6 सार्वजनिक-अर्द्ध सार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगितायें

विकास योजना 2031 में इस भू-उपयोग में 1250 हेक्टेयर क्षेत्र वर्तमान में विकसित क्षेत्र सहित प्रस्तावित है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 15.85 प्रतिशत है। इस भू-उपयोग के अंतर्गत प्रशासनिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक उपयोगिता संबंधी गतिविधियाँ आती हैं जिसका विवरण सारणी 2-सा-12 अनुसार है।

सागर : सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सेवा सुविधाएँ

2-सा-12

क्र.	उपयोग	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2031 अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	स्वास्थ्य	जिला स्तरीय चिकित्सालय	निवेश इकाई क्रमांक-6	20.00
		स्वास्थ्य सुविधाएँ	निवेश इकाई क्रमांक-1	08.00
		स्वास्थ्य सुविधाएँ	निवेश इकाई क्रमांक-7	02.00
2	शैक्षणिक	एजुकेशन हब	निवेश इकाई क्रमांक-4	50.00
		महाविद्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-1	10.00
		महाविद्यालय	निवेश	04.00
		महाविद्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-5	04.00
		महाविद्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-7	04.00
		कृषि महाविद्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-2	150.00
			निवेश इकाई क्रमांक-3	30.00
	निवेश इकाई क्रमांक-2	90.00		
3	कार्यालय	कार्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-1	25.00
			निवेश इकाई क्रमांक-3	04.00
			निवेश इकाई क्रमांक-4	05.00
			निवेश इकाई क्रमांक-5	08.00
			निवेश इकाई क्रमांक-6	18.00
			निवेश इकाई क्रमांक-7	06.00

क्र.	उपयोग	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2031 अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
		प्रशासकीय परिसर (संयुक्त कार्यालय भवन)	निवेश इकाई क्रमांक-4	07.00
		नगर पालिक निगम कार्यालय	निवेश इकाई क्रमांक-1	02.00
4	सामाजिक / सांस्कृतिक	सामाजिक / सांस्कृतिक	निवेश इकाई क्रमांक-1	05.00
			निवेश इकाई क्रमांक-1	02.00
			निवेश इकाई क्रमांक-1	02.50
			निवेश इकाई क्रमांक-1	02.00

2.9.7 आमोद-प्रमोद

नगरीय क्षेत्र में आमोद-प्रमोद संबंधी नगण्य है। यह गतिविधि मानव जीवन का अभिन्न सदैव अंग है, खुले स्थान, उद्यान एवं बगीचे खेल मैदान आदि नगरीय जीवन के लिए आवश्यक हैं, जिसके कारण नगर में स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण होता है। सड़क के किनारे एवं विकसित विभिन्न क्षेत्रों के मध्य हरित पट्टी निर्मित करने का प्रस्ताव है, इसी के साथ-साथ जल स्रोतों का संरक्षण करते हुए उनके किनारे भी वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

सागर नगर के पुराने खुले क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्थल विकसित/निर्मित नहीं किया जा सका है। वर्तमान भूमि उपयोग के अनुसार इस उपयोग के अन्तर्गत 40 हेक्टेयर भूमि उपयोग में लाई जा रही है, जो कि वर्तमान विकसित क्षेत्र का 1.46 प्रतिशत है जो कि नगण्य है।

इस उपयोग के अन्तर्गत योजनाकाल में 750.00 हेक्टेयर भूमि आमोद-प्रमोद हेतु आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है जो कुल क्षेत्र का 9.52 प्रतिशत है जिसमें रीजनल पार्क एवं पिकनिक स्पॉट, सिटी पार्क, स्टेडियम, मेला एवं प्रदर्शनी स्थल इत्यादि शामिल है।

(अ) रीजनल पार्क एवं पिकनिक स्पॉट

निवेश इकाई क्रमांक-5 में ग्राम राजनागर तालाब के पास का 40.00 हेक्टेयर क्षेत्र क्षेत्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है।

स) स्टेडियम

वर्तमान में निवेश इकाई क्रमांक-4 में वर्तमान नगर पालिक निगम का स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स विश्वविद्यालय का दो बड़े खेल मैदान उपलब्ध है तथा निवेश इकाई क्र.-3 में सागर तालाब (संजय झाइव्ह के पास) सेना द्वारा पानी पर खेले जाने वाले खेलों का संचालन किया जाता है।

निवेश इकाई क्रमांक-1 में निजी स्टेडियम संचालित है खुला स्टेडियम, इन्डोर स्टेडियम, तरण ताल एवं अन्य क्रीड़ा गतिविधियों का विकास प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त निवेश इकाई क्रमांक-2 के अंतर्गत 4.00 हेक्टेयर क्षेत्र में खेल संकुल एवं उद्यान प्रस्तावित है।

(द) मेला मैदान एवं प्रदर्शनी स्थल

निवेश इकाई क्रमांक-7 में 20 हेक्टेयर भूमि मकरोनिया उपनगर की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मेला मैदान एवं प्रदर्शनी स्थल हेतु प्रस्तावित किया गया है।

(इ) पर्यावरण वानिकी

सागर तालाब के दक्षिण में 42 हेक्टेयर भूमि पर्यावरण वानिकी हेतु प्रस्तावित किया गया है यह नगर के प्रमुख आर्कषण सागर तालाब के पर्यावरण सुधार एवं तालाब के जल ग्रहण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में उपयोगी सिद्ध होगा साथ ही नालों के किनारे से लगी भूमियों पर भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण वानिकी हेतु प्रस्तावित है।

(क) प्राणी उद्यान

प्राणी उद्यान विकसित करने की दृष्टि से निवेश इकाई क्रमांक-5 में शासकीय भूमि प्रस्ताव दिये गए हैं।

(ख) वनस्पति उद्यान

निवेश इकाई क्रमांक-5 एवं निवेश इकाई क्रमांक 7 में शासकीय भूमि पर वनस्पति उद्यान विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) नगर वन/वृक्षारोपण

सागर नगर चारों दिशाओं में विश्वविद्यालय पहाड़ी ,पथरिया जाट पहाड़ी, आमेट पहाड़ी भैसा पहाड़ी, बम्होरी पहाड़ी से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण करना प्रस्तावित है जिसके द्वारा पर्यावरण उन्नयन साथ-साथ पहाड़ियों का भू-दृश्यकरण भी होगा।

2.10 असंगत भूमि उपयोग

सागर विकास योजना 2031 के अधीन कोलाहल उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के साथ-साथ सामान उतारने चढ़ाने की सुविधा से रहित भीड़-भाड़ एवं पहुँच विहीनता के कारण कार्यशीलता में अक्षमता वाले कुछ उपयोगों को उनके वर्तमान स्थल से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सारणी 2-सा-11 अनुसार प्रस्तावित है।

सागर : असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

2-सा-13

क्र.	उपयोगों का स्थानांतरण	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	भूमि रिक्त होने पर उपयोग
1	2	3	4	5
1.	आवासीय आवासीय भवन	गौर भवन (व्ही.सी. बंगला के समीप शासकीय आवास	निवेश क्रमांक-4 न्यू कालोनी और मकरोनिया	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (शासकीय कार्यालय)

क्र.	उपयोगों का स्थानांतरण	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	भूमि रिक्त होने पर उपयोग
1	2	3	4	5
2.	पशु पालन (डेरियों)	गोपालगंज, परकोटा, कृष्णगंज, रविशंकर वार्ड वल्लभ नगर सिंधी कालोनी	निवेश इकाई क्रमांक-1	आवासीय क्षेत्र
3.	वाणिज्यिक (अ) परिवहन अभिकरण (ब) पशु एवं घास बाजार (स) फल एवं सब्जी बाजार (द) कबाड़ी बाजार	भगवानगंज, गुजराती बाजार एवं मध्य क्षेत्र राहतगढ़ नाका नया बाजार कटरा बाजार एवं मस्जिद के आसपास नया बाजार एवं मकरोनिया तिगड्डा	निवेश इकाई क्रमांक-1 एवं निवेश इकाई क्रमांक-5 निवेश इकाई क्रमांक -1 साबूलाल मार्केट निवेश इकाई क्रमांक-1	आवासीय तथा वाणिज्यिक रिपेयर वर्कशाप यातायात एवं परिवहन आवासीय तथा वाणिज्यिक
4.	औद्योगिक (अ) रिपेयर्स वर्कशाप (ब) आरा मशीनें (स) दाल एवं तेल मिल	भगवानगंज, तिलकगंज वल्लभ नगर भोपाल मार्ग, स्टेशन मार्ग, भगवानगंज, तिलकगंज, पगारामार्ग तिलक गंज, भगवानगंज ,कटरा	राहातगढ़ बस स्टेण्ड के स्थान पर निवेश इकाई क्रमांक-1 निवेश इकाई क्रमांक-1	आवासीय तथा वाणिज्यिक आवासीय तथा वाणिज्यिक आवासीय तथा वाणिज्यिक
5.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (अ) पुलिस	किला	निवेश इकाई	आमोद-प्रमोद एवं

क्र.	उपयोगों का स्थानांतरण	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	भूमि रिक्त होने पर उपयोग
1	2	3	4	5
	प्रशिक्षण संस्थान (ब) सेन्ट्रल कोतवाली पुलिस चौकी (स) नगर सेना कार्यालय परिसर (द) जेल परिसर	चकराघाट कटरा मस्जिद के पास बस स्टेण्ड-सिविल लाईन मार्ग आई. जी. कार्यालय के समीप	क्रमांक-2 भूतेश्वर मंदिर के सामने निवेश इकाई क्रमांक-1 बम्होरी तिराहा नगर सेना कार्यालय निवेश इकाई क्र. 2	सांस्कृतिक यातायात पुलिस चौकी वाणिज्यिक वाणिज्यिक
6	यातायात एवं परिवहन (अ) वर्तमान बस स्टेण्ड एवं प्राइवेट बस स्टेण्ड	डिग्री कॉलेज के पास	निवेश इकाई क्रमांक 6 में ट्रान्सपोर्ट नगर के सामने	वाणिज्यिक केन्द्र
	(ब) बस डिपो	बस स्टेण्ड परिसर	बटियागढ मार्ग निवेश इकाई क्र.-4	बस स्थानक

2.11 ग्राम विकास

सागर निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा।

प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

3.1 प्रस्तावित यातायात तंत्र

सागर नगर, बीना-कटनी रेलखण्ड का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है यहाँ पर सागर से गुजरने वाली लगभग सभी यात्री गाडिया रुकती है जिसके कारण सागर का देश के समस्त प्रमुख नगरों से सम्पर्क है। नगरीय यातायात तंत्र का नियोजन भी एक कठिन कार्य है क्योंकि यह नगरीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन को प्रभावित करता है। नगर की यातायात प्रणाली निम्न नीति बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तावित की गई है:-

- दक्ष एवं बहुआयामी जन परिवहन प्रणाली की व्यवस्था।
- मंदगति वाहनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक प्रवाह हेतु मार्गों का विकास।
- मुख्य गतिविधि पुंजक एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुँच मार्गों की व्यवस्था करना।
- क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण।
- मिश्रित यातायात के अनुरूप मार्ग संरचना विकसित करना।

3.2 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर का भौतिक विकास का स्वरूप मुख्यतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है। भूमि उपयोग एवं यातायात आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है। वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि वाहनों की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है। टेम्पों एवं आटो रिक्शा, सायकल रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन हैं जो नगर के यातायात संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अन्य प्रचलित हल्के वाहनों में कार, जीप, मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड आदि हैं।

वर्तमान में नगर में सार्वजनिक यात्री परिवहन हेतु टेम्पों, आटो रिक्शा वाहन एवं माल परिवहन हेतु मुख्यतः आँटो रिक्शा, सायकल रिक्शा एवं हाथ ठेलों का उपयोग प्रचलन में है। दक्ष सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अभाव नागरिकों द्वारा अनुभव किया जाता है, जिसके कारण नागरिकों को अपने कार्यकेन्द्रों पर एवं अन्य कालोनियों/रहवासी क्षेत्रों एवं गतिविधि स्थलों तक पहुँचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः नगर में एक प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है।

3.3 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

वर्तमान में नगर यातायात हेतु क्षेत्रीय/स्थानीय मार्गों यथा सागर-भोपाल, सागर-खुरई, सागर-झॉसी, सागर-छतरपुर, सागर-नरसिंहपुर, सागर-सिलवानी-भोपाल एवं सागर-रहली मार्ग विद्यमान हैं, इनमें से सागर-जबलपुर, सागर-भोपाल एवं सागर-छतरपुर मार्ग पर यातायात का अधिकतम दबाव है।

नगर के मध्य से गुजरने वाले क्षेत्रीय मार्गों की अर्न्तसंबद्धता स्थापित करने हेतु सागर विकास योजना 2011 में जितने भी क्षेत्रीय/नगरीय मार्ग प्रस्तावित किये गए थे उनका क्रियान्वयन नहीं हो सका एवं मार्ग संरचना के अंतर्गत अवैध निर्माण भी हो चुके हैं। इस कारण से 2011 में प्रस्तावित मार्ग संरचना को वर्तमान स्थिति के अनुरूप यथा संशोधन के साथ प्रस्तावित करने का प्रयास किया गया है।

(क) बायपास मार्ग/वृत्तीय मार्ग

पूर्व अनुमोदित विकास योजना में नगर क्षेत्रीय/स्थानीय मार्गों यथा भोपाल-सागर मार्ग से नरसिंहपुर मार्ग को जोड़ने हेतु एवं नरसिंहपुर-जबलपुर मार्ग को जोड़ने हेतु बायपास मार्ग प्रस्तावित किया गया था जिसका विकास स्थल पर नहीं हो सका है उसे पुनर्विलोकित विकास योजना में यथावत प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में नरसिंहपुर-झांसी फोरलेन मार्ग के समानांतर 9 मीटर मार्ग सर्विस मार्ग के रूप में प्रस्तावित किया जाता है।

(ख) उप क्षेत्रीय मार्ग

प्रस्तावित बायपास मार्ग को नगर के वर्तमान मार्गों से जोड़ते हुए यातायात संरचना के आधार पर उपक्षेत्रीय मार्गों से जोड़ने के प्रस्ताव किये हैं। इन मार्गों की चौड़ाई 24.00 मीटर रखी गई है।

(ग) वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग

नगर से गुजरने वाले मुख्य मार्ग यातायात उपयोग में आते हैं तथा भविष्य में भी इन मार्गों का उपयोग नगरीय मार्गों के यातायात हेतु होता रहेगा। इन मार्गों का प्रस्ताव इस प्रकार किया गया है कि मार्ग के मध्य नगरीय यातायात सुचारु रूप से भावी विकास होने वाले कार्य केन्द्रों को सुगम यातायात उपलब्ध हो सके। इन मार्गों की चौड़ाई 18.00 मीटर रखी गई है।

(घ) उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग

निवेश इकाई केन्द्रों तक पहुँच के लिये इन मार्गों को प्रस्तावित किया गया है। परिक्षेत्रिक योजना अथवा विकास योजना के प्रस्तावों का विस्तृतीकरण करते समय इनके प्रस्ताव दिये जावेंगे। उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्गों की चौड़ाई 12.0 मीटर प्रस्तावित है।

(ङ) स्थानीय मार्ग

स्थानीय मार्गों की चौड़ाई 9.0 मीटर प्रस्तावित है, इनके विशेष प्रस्ताव परिक्षेत्रिक योजना अथवा विकास योजना प्रस्तावों के विस्तृतीकरण करते समय दिये जावेंगे।

(च) मार्गों की चौड़ाई

मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित करते समय इनके क्रियान्वयन का महत्व, दीर्घकालीन यातायात की सघनता, यातायात का स्वरूप व विशेषतायें आदि ध्यान में रखी गई है। सारणी 3-सा-1 में निवेश क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई दर्शायी गई है।

सागर : मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

3-सा-1

क्र.	मार्ग के नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-26 (झांसी मार्ग)		
(अ)	मकरोनिया चौराहे से केन्ट बेरियर तक	24	30.00
(ब)	केंट बेरियर से कबुला पुल तक	30	36.00
(स)	कबुला पुल से कजली वन तक	21	30.00

क्र.	मार्ग के नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
(द)	कजली वन से निवेश क्षेत्र सीमा तक	36	90.00
2.	राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 26 (नरसिंहपुर मार्ग)		
(अ)	मकरोनिया चौराहा से प्रस्तावित बाय-पास मार्ग संगम तक	30	36.00
(ब)	प्रस्तावित बाय-पास मार्ग से निवेश क्षेत्र सीमा तक	32	90.00
(स)	नरसिंहपुरमार्ग (ग्राम सिरौंजा) से स्वर्णिम चतुर्भूज मार्ग तक	22	120.00
3.	राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 26-ए (खुरई -बीना मार्ग)		
(अ)	राहातगढ़ रेल्वे संगम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तक	23	30.00
(ब)	औद्योगिक प्रशिक्षणसंस्था से वर्तमान बाय-पास संगम तक	27	36.00
(स)	वर्तमान बायपास संगम से निवेश क्षेत्र सीमा तक	30	90.00
4.	राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 86 (छतरपुर-कानपुर मार्ग)		
(अ)	मकरोनिया चौराहा से रेल्वे क्रासिंग तक	24	36.00
(ब)	रेल्वे क्रासिंग से बहेरिया चौराहे तक	24	36.00
(स)	बहेरिया चौराहे से निवेश क्षेत्र सीमा तक	—	90.00
5.	राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 86 (राहतगढ़ मार्ग)		
(अ)	राहतगढ़ रेल्वे मार्ग संगम से मोतीनगर थाने तक	15-22	24.00
(ब)	मोतीनगर थाना से भोपाल खुरई बायपास मार्ग संगम	24	50.00
(स)	खुरई भोपाल मार्ग संगम से निवेश क्षेत्र सीमा तक	—	90.00
6.	राज मार्ग क्रमांक 14 (जबलपुर मार्ग)		
(अ)	बहेरिया चौराहा से निवेश क्षेत्र सीमा तक	24	60.00
7.	राज मार्ग क्रमांक (रहली मार्ग) 15-ए		36.00
(अ)	व्ही0 सी0 बंगले से सागर विश्वविद्यालय परिसर तक	15-19	24.00
(ब)	विश्वविद्यालय परिसर से ग्राम पथरिया जाट तिराहा तक	15	30.00
(स)	ग्राम पथरिया जाट से नरसिंहपुर मार्ग (ग्राम सिरौंजा) तक	18	24.00
(द)	ग्राम पथरिया जाट से बम्होरी बीका चौराहा तक	24	30.00
(द)	बम्होरी बीका चौराहा से निवेश क्षेत्र की सीमा तक	—	60.00
8.	मुख्य मार्ग		
	मुख्य मार्ग क्रमांक-1	—	36.00
	मुख्य मार्ग क्रमांक-2	—	36.00
	मुख्य मार्ग क्रमांक-2-अ	—	36.00
	मुख्य मार्ग क्रमांक-3	—	36.00

क्र.	मार्ग के नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
	मुख्य मार्ग क्रमांक-4	—	36.00
	मुख्य मार्ग क्रमांक-5	—	45.00
	मुख्य मार्ग क्रमांक-6	—	45.00
	मुख्य मार्ग क्रमांक-6-अ	—	45.00
	मुख्य मार्ग क्रमांक-7	—	45.00
	मुख्य मार्ग क्रमांक-8	—	45.00
	मुख्य मार्ग क्रमांक-9	—	45.00
	मुख्य मार्ग क्रमांक-10	—	45.00
	मुख्य मार्ग क्रमांक-11	—	36.00
	मुख्य मार्ग क्रमांक-12	—	36.00
	मुख्य मार्ग क्रमांक-13	—	36.00
	मुख्य मार्ग क्रमांक-14	—	36.00
9.	वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग	—	30.00
10.	उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग	—	24.00

नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई सारणी 3-सा-2 में दर्शायी गई है।

सागर : वर्तमान मार्गों हेतु प्रस्तावित चौड़ाई

3-सा-2

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
(अ)	प्रमुख नगर मार्ग		
1	मकरोनिया मार्ग		
	(अ) तीन मड़िया से महिला डिग्री कालेज चौराहा तक।	12	15.00
	(ब) महिला डिग्री कॉलेज चौराहा से पीली कोटी होते हुए सिविल लाईन चौराहा तक।	18-20	24.00
	(स) सिविल लाईन से मकरोनिया चौराहा।	18.00	30.00
	(द) मकरोनिया चौराहा से जबलपुर मार्ग (एस.ए.एफ.मार्ग)	18.00	24.00
	(इ) ककरायाउ घाटी से छावनी क्षेत्र से पश्चात् दादा दरबार होते	12.00	18.00

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
	हुए) एकता वाला रोड।		
2	तिली चिकित्सालय मार्ग		
	(अ) तीन मड़िया से बकोली चौराहा (रामाश्रम) तक।	18-27	30.00
	(ब) बकोली चौराहा से संजय ड्राइव मार्ग संगम तक।	12	24.00
	(स) संजय ड्राइव से तिली तिगड्डा तक।	18-24	30.00
3.	गोपालगंज मार्ग		
	(अ) बकोली चौराहा से बंगाली काली तिगड्डा तक।	11.00	12.00
	(ब) बंगाली काली तिगड्डा से लाल स्कूल तक।	14-18	24.00
	(स) लाल स्कूल से डी.आई.जी. बंगला तिगड्डा तक।	12-24	24.00
	(द) डी.आय.जी. बंगला तिगड्डा से तिली तिगड्डा तक।	18-27	30.00
4	सिविल लाईन चौराहा से व्ही.सी. बंगला तक।	28	30.00
5	व्ही.सी. बंगले से डी.आई.जी. तिगड्डा तक।	18	30.00
6	व्ही.सी. बंगले से मधुकरशाह स्कूल तक।	9-12.	12.00
7	तिली तिगड्डा से धर्मश्री चौराहे तक।	20-26	30.00
8	धर्मश्री चौराहे से मोतीनगर तक।	12	18.00
9	तिली तिगड्डा से किशोर न्यायालय तक।	17-24	30.00
10	किशोर न्यायालय से ग्राम पथरिया जाट तक।	30.00	60.00
11	टंकी मार्ग-राधा टाकीज तिगड्डा से छावनी क्षेत्र सीमा तक।	12-14	18.00
12	राधा टाकीज तिगड्डा से रेल्वे क्रासिंग तक।	12-14	18.00
13	रेल्वे क्रासिंग से भगवानगंज तिगड्डा तक (आंबेडकर मूर्ति तक)।	21-14	18.00
14	अप्सरा टाकीज से रेल्वे स्टेशन मार्ग (छावनी क्षेत्र सीमा) तक।	12	18.00
15	कबुला पुल से भगवानगंज तिगड्डा तक।	15-18	18.00
16	भगवान गंज तिगड्डा से राहातगढ़ रेल्वे क्रासिंग तक।	12-14	18.00
(ब)	मध्यवर्ती क्षेत्र मार्ग		
17	कटरा बाजार मार्ग (गौर मूर्ति से जामा मस्जिद तक)।	36.00	36.00
18	गुजराती बाजार मार्ग		
	(अ) जामा मस्जिद से राधा टाकीज तिगड्डा तक।	12-18-20	24.00
19	विजय टाकीज मार्ग		
	(अ) जामा मस्जिद से माणिक चौक तक।	27.00	30.00
	(ब) माणिक चौक से माता मड़िया तिगड्डा तक।	6-8	12.00

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
	(स) माता मड़िया तिगडडा से राहतगढ़ रेल्वे क्रासिंग तक।	7-12	18.00
20	नमक मण्डी मार्ग (जामा मस्जिद से रजा तिगडडा तक)	24	30.00
21	लिंग मार्ग (मनोहर टाकीज से विजय टाकीज तक)।	8.00	12.00
22	आर्य समाज मार्ग (आर्य समाज स्कूल से गल्ला मण्डी चौराहा)।	9.00	9.00
23	शास्त्री मार्केट से गल्ला मण्डी चौराहा।	9-12	12.00
24	भट्टो मार्ग (गल्ला मण्डी चौराहा से छावनी क्षेत्र तक)।	12.00	12.00
25	गल्ला मण्डी चौराहा से रजा तिगडडा तक।	9	12.00
26	रजा तिगडडा से भण्डारी तिगडडा तक।	7-8	12.00
27	भण्डारी तिगडडा से गौर मूर्ति तक।	6-8	12.00
28	गौर मूर्ति से कोतवाली तक।	8-9	12.00
29	कोतवाली से चमेली चौक तक।	6-9	12.00
30	चमेली चौक से मोती नगर थाना तक।	9-11	12.00
31	सराफा तिराहा से सरस्वती मंदिर तक।	9.00	09.00
32	सरस्वती मंदिर से गोला कुआँ तक।	12.00	12.00
33	गोला कुआँ से पुराना धर्मश्री चौराहा।	12-18	18.00
34	धर्मश्री रजौआ मार्ग।	15-20	30.00
35	गोला कुआँ से बागराज मार्ग।	6	9.00
36	चैतन्य नर्सिंगहोम से कनेरादेव (संजय ड्राईग) मार्ग।	15	24.00
37	बीड़ी अस्पताल चौराहा-कनेरादेव होते हुए बायपास मार्ग।	24	30.00

यदि मार्गों की वर्तमान चौड़ाई उनकी प्रस्तावित चौड़ाई से स्थल पर अधिक चौड़ाई उपलब्ध होती है तो ऐसे मार्गों की उपलब्ध अतिरिक्त चौड़ाई का उपयोग पार्किंग हेतु किया जावेगा।

3.4 यातायात पद्धति में सुधार


यातायात के वर्तमान लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि नगर में यातायात यांत्रिकी के सुधार की बहुत संभावना है, जिससे वर्तमान मार्ग पद्धति की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यह क्षमता बढ़ाने हेतु मार्गों को चौड़ा बनाना, फुटपाथों का निर्माण करना, ट्रेफिक आईलैण्ड का निर्माण करना आदि शामिल है। पूर्व अंगीकृत विकास योजना में निम्नलिखित चौराहों के विकास/सुधार के प्रस्ताव दिये गए थे लेकिन योजना काल में इनके विकास हेतु कोई ध्यान नहीं दिया गया, अतः पुनर्विलोकित विकास योजना में इनका विकास/सुधार किया जाना यथावत प्रस्तावित किया गया है :-

1. कटरा स्थित मस्जिद चौराहा
2. गौर टावर तिराहा

सागर
3.1 वर्तमान परिभ्रमण संरचना



- सड़के एवं गलियाँ
- छावनी क्षेत्र
- बस स्थानक
- रेल्वे स्टेशन
- रेल्वे लाईन



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

3. गौर मूर्ति तिराहा
4. राहतगढ़ बस स्टेण्ड तिराहा
5. नमक मण्डी तिराहा
6. लछछु चौराहा
7. तिली तिराहा
8. मोतीनगर थाना मार्ग संगम
9. कृषि उपज मण्डी चौराहा
10. खुरई-भोपाल वर्तमान बायपास भोपाल मार्ग संगम
11. बम्हारी बीका चौराहा
12. बहेरिया गदगद चौराहा
13. नया धर्मश्री चौराहा

3.4.1 वाहन विराम स्थल

मध्य क्षेत्र में पर वाहनों के पार्किंग हेतु कोई स्थल अभी तक विकसित नहीं किया गया है। पार्किंग मुख्यतः मार्गों के किनारे की जाती है, जिससे यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है। यातायात सुचारु रूप से हो सके इसके लिये वर्तमान मुख्य मार्गों के किनारे उचित विकास कर पार्किंग व्यवस्था की जा सकती है। इस हेतु मध्य क्षेत्र में निम्न स्थल प्रस्तावित है :-

- 1- बक्षीखाना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स-गुजराती बाजार।
- 2- निर्माणाधीन दीन दयाल कॉम्प्लेक्स-सुभाष मार्केट के पास।
- 3- नमक मण्डी मार्ग।
- 4- चमेली चौक बड़ा बाजार।
- 5- गौर मूर्ति-जामा मस्जिद-मार्ग के दोनों ओर।
- 6- मनोहर टाकीज से वंदना होटल-गुजराती बाजार मार्ग तक।
- 7- भोपाल रोड-राहातगढ़ बस स्टेण्ड से मोती नगर थाना तक।

3.4.2 ओव्हर ब्रिज

सागर नगर का विकास उत्तरी दिशा में रेल्वे लाइन होने के कारण अवरुद्ध हुआ है इसलिये इस रेल्वे लाइन पर नगरीय/क्षेत्रीय यातायात सुचारु रूप से संचालित करने के लिये ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित रेल्वे क्रॉसिंग पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है:-

1. मकरोनिया रेल्वे क्रॉसिंग पर
2. रेल्वे क्रॉसिंग राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 26 रेल्वे गेट नं 28 पर
3. खुरई-भोपाल वर्तमान बायपास पर स्थित रेल्वे क्रॉसिंग पर

3.4.3 रेल्वे स्टेशन

सागर रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म क्रमांक 2 की ओर मालगोदाम होने से ट्रकों की आवाजाही के कारण यात्रियों के आवागमन में असुविधा होती है, अतः रेल्वे माल गोदाम को लिधोरा में स्थानांतरित होने के पश्चात् तीसरा प्लेटफार्म विकसित कर यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही उपनगर मकरोनिया में हो रहे विकास को देखते हुए यहाँ रेल्वे विभाग द्वारा स्टेशन का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

3.4.4 बस स्थानक

वर्तमान बस स्टेण्ड रिक्त कराकर इस स्थल पर वाणिज्यिक विकास किया जाना प्रस्तावित है। नगर की भावी आवश्यकताओं को देखते हुए पूर्व बायपास मार्ग (बहेरिया गदगद चौराहा से झांसी मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग) पर ग्राम बामोरा में प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर के सामने 2 हेक्टेयर भूमि तथा ग्राम अमावनी में खुरई-भोपाल बायपास मार्ग पर बायीं ओर प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर के सामने 4 हेक्टेयर भूमि पर बस स्टेण्ड प्रस्तावित किया गया है।

3.4.5 यातायात नगर

ग्राम अमावनी में 15 हेक्टेयर भूमि तथा ग्राम बामोरा में 12 हेक्टेयर भूमि पूर्व विकास योजना में यातायात नगर हेतु प्रस्तावित की गई थी परन्तु योजना काल में इन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो सका, इस कारण विकास योजना में इन्हे यथावत प्रस्तावित किया गया है।

3.5 सेवा एवं सुविधायें

3.5.1 स्वास्थ्य

नगर में वर्तमान में एक 340 बिस्तरों वाला शासकीय चिकित्सालय है, जिसमें प्रसूति, नेत्र तथा क्षय रोग संबंधी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। पूर्व विकास योजना काल में मेडिकल कॉलेज हेतु निवेश इकाई क्रमांक-3 में स्थान प्रस्तावित किया गया था किन्तु वह प्रस्तावित स्थल पर विकसित न होकर शासकीय चिकित्सालय के विस्तार हेतु आरक्षित की गई भूमि पर विकसित किया गया है। उपरोक्त स्वास्थ्य सुविधा के अतिरिक्त खुरई मार्ग पर इंदिरा नेत्र चिकित्सालय एवं प्रसूति एवं नर्सिंग होम, आबादी क्षेत्र में स्थित हैं। पूर्व विकास योजना में निवेश इकाई क्रमांक-1 में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु 8 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी जिसे विकास योजना प्रस्तावों के अनुसार विकसित किया गया है।

नगर की भावी जनसंख्या हेतु एक और सामान्य चिकित्सालय निवेश इकाई क्रमांक-6 एवं निवेश इकाई क्रमांक 7 में प्रस्तावित है, इस हेतु क्रमशः 20.00 हेक्टेयर एवं 2 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी एवं मेडिकल कालेज हेतु निवेश इकाई क्रमांक 3 में 30 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी परन्तु योजना काल में इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। इस हेतु विकास योजना में इन्हे यथावत प्रस्तावित किया गया है निवेश इकाई स्तर पर विकास योजना में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु उपदर्शित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार प्रसूति गृह स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, इसी प्रकार खण्ड स्तर पर भी स्वास्थ्य केन्द्र/डिस्पेन्सरी के प्रस्ताव विकास योजना में सम्मिलित हैं।

3.5.2 शैक्षणिक

सागर नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में शासकीय वाणिज्य एवं कामर्स महाविद्यालय तथा शासकीय कन्या उत्कृष्ट महाविद्यालय है, उनमें से शासकीय बालक महाविद्यालय निवेश इकाई क्रमांक-7 में तथा शासकीय

कन्या उत्कृष्ट महाविद्यालय निवेश इकाई क्रमांक-2 में स्थित है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निवेश इकाई क्रमांक-1 में स्थित है शासकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय निवेश इकाई क्र-4 में है एवं निवेश इकाई क्रमांक-1 ओर 3 में 10 हेक्टेयर भूमि महिला महाविद्यालय एवं 4 हेक्टेयर भूमि गृह विज्ञान महाविद्यालय हेतु तथा निवेश इकाई क्रमांक-7 में 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वाणिज्यिक एवं कला महाविद्यालय प्रस्तावित किये गये है।

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 23 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 23 हाईस्कूल, 92 माध्यमिक शालाएँ एवं 64 प्राथमिक शालाएँ भी संचालित है।

वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या की शैक्षणिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कराने हेतु निवेश इकाई, खण्ड स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर विभिन्न स्तर की शैक्षणिक संस्थाएँ आवश्यकता अनुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	ग्राम का नाम	विश्वविद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	निवेश इकाई क्रमांक	वर्तमान क्षेत्रफल हे.
1	सागर खास	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान	निवेश इकाई क्रमांक 3	8.45
2	सागर खास	जेल प्रशिक्षण केन्द्र	निवेश इकाई क्रमांक 3	1.00
3	गौर नगर	डॉ हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	निवेश इकाई क्रमांक 4	530.00
4	सिरोंजा	विवेकानंद विश्वविद्यालय	निवेश इकाई क्रमांक 6	13.12
5	तिली	शासकीय बुदेलखण्ड मेडिकल कालेज	निवेश इकाई क्रमांक 4	10.00
6	बहेरिया गदगद	शासकीय इंदिरा गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय	निवेश इकाई क्र. 06	40.00
7	बम्होरी दूढर	बाबा लोकनाथ फार्मसी महाविद्यालय	निवेश इकाई क्र. 06	4.10
8	सिरोंजा	बाबूलाल ताराबाई अभियांत्रिकी महाविद्यालय	निवेश इकाई क्र. 6	4.08
9	सिरोंजा	ज्ञानसागर अभियांत्रिकी महाविद्यालय	निवेश इकाई क्र. 4	04.11
10	पथरिया जाट	ओजस्विनी अभियांत्रिकी एवं नर्सिंग महाविद्यालय	निवेश इकाई क्र. 4	7.22
11	बदोना	एडिना अभियांत्रिकी/फार्मसी महाविद्यालय	निवेश इकाई क्र. 2	4.89
12	पथरिया हाट	डॉ हरिगौर विरही फार्मसी महाविद्यालय	निवेश इकाई क्र. 1	2.91
13	करीला	भाग्योदय तीर्थ नर्सिंग एवं फार्मसी महाविद्यालय	निवेश इकाई क्र. 1	6.75

3.5.3 सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियाँ

नगर में सामाजिक व सांस्कृतिक सुविधाओं का अभाव है। विकास योजना में सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएँ सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई हैं। निवेश इकाई क्रमांक-1, 3, 4 एवं 7 में क्रमशः 5.00 हे., 2.00 हे., 2.5 हे. एवं 2.00 हे. क्षेत्र, इस उपयोग हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस उपयोग अंतर्गत सभागृह, कलावीथिका, पुस्तकालय सह वाचनालय इत्यादि स्थापित हो सकेंगे। विकास योजना में निवेश इकाई एवं खण्ड स्तर पर ऐसी गतिविधियाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

3.6 भौतिक अधोसंरचना

3.6.1 जल प्रदाय

वर्तमान में निवेश क्षेत्र के समीप ग्राम में बहने वाली बेवस नदी पर बना राजघाट बांध जल प्रदाय का प्रमुख स्रोत है। नगर में वर्तमान में 55 एल.पी.सी.डी. प्रति व्यक्ति पानी का वितरण किया जाता है इसके अतिरिक्त 553 हेण्ड पंप जो नगर के विभिन्न भागों में स्थित है पर जल प्रदाय हेतु नगर की आबादी आश्रित है। वर्ष 2031 के लिए लगभग 110 एल.पी.सी.डी. पानी की आवश्यकता होगी।

3.6.2 विद्युत प्रदाय

वर्तमान में नगर में म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्राम करीला, ग्राम बम्होरी रेंगुआ, ग्राम गंभीरिया, ग्राम बड़तूमा, ग्राम तिली माफी एवं सागर खास एवं मुख्य फीडर मकरोनिया में स्थित 33/11 के. व्ही. सब स्टेशन द्वारा विद्युत प्रदाय किया जाता है। नगर का भावी विकास के अनुरूप विद्युत कम्पनी द्वारा व्यवस्था की जावेगी।

3.6.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

वर्तमान में नगर पालिका द्वारा अपशिष्ट एकत्र कर विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य मार्गों के किनारे विसर्जित किया जाता है जो पर्यावरण को दूषित करता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चक्रीकरण प्रणाली अपनायी जा सकती है जो स्थानीय संस्थाओं के आय का स्रोत सिद्ध होगी। पुनर्चक्रीकरण प्रणाली द्वारा ठोस अपशिष्ट, कागज, लोह धातु, कोंच, रबर, प्लास्टिक जैसे उत्पादों को पृथक कर विभिन्न उद्योगों द्वारा पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। इस प्रकार छोटे उद्योगों की स्थापना सुदृढ़ होगी तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठोस अपशिष्ट के अन्य शेष अंशों का उपयोग ऊर्जा एवं जैविक खाद उत्पादों में किया जा सकता है, जो आस-पास के ग्रामीण कृषि क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

ठोस अपशिष्ट विसर्जन हेतु ग्राम हफसिली (खुरई मार्ग) में लगभग 8.0 हेक्टेयर भूमि प्रशासन द्वारा नगर पालिक निगम सागर को आवंटित की गई है, यह भूमि लेण्ड फिल साइट के रूप में उपयोग में लायी जावेगी।

3.6.4 अग्निशमन सेवा केन्द्र

अग्निशमन केन्द्र वर्तमान में नगर पालिक निगम परिसर में स्थित है, जिसका आधुनिक उपकरणों सहित विस्तार प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

3.6.5 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान

नगर में वर्तमान में जो भी श्मशान/कब्रिस्तान विद्यमान है वे तब तक उपयोग में रहेंगे जब तक ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुपयुक्त न हो जावें। नगर के भावी विकास को देखते हुए नये कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट आमोद-प्रमोद एवं मार्ग उपयोग को छोड़कर अन्य समस्त उपयोगों के अन्तर्गत अनुज्ञेय होंगे, किन्तु इनके स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर, स्थानीय संस्था एवं नगर तथा ग्राम निवेश की सहमति से किया जावेगा।

3.6.6 डेयरी

वर्तमान में नगर के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में दूध डेयरियाँ स्थित है, जिससे पर्यावरण तथा अन्य समस्यायें उत्पन्न हो रही है। डेरियों को एक स्थान पर संगठित करने की दृष्टि से निवेश इकाई क्रमांक-1 में 8 हेक्टेयर भूमि विकास योजना में प्रस्तावित की गई है, इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उपयोग के अंतर्गत डेयरी स्थापित की जा सकती है।

3.6.7 जल-मल निकास

वर्तमान में नगर में भूमिगत जल-मल निकास एवं विसर्जन की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में स्थानीय संस्था द्वारा 9119.81 लाख की योजना तैयार की गई है, जिसका क्रियान्वयन योजना काल में किया जाना प्रस्तावित है।

विकास नियमन

4.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, यह नियमन निवेश क्षेत्र के अन्दर समस्त विकास की गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे।

4.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (1) के अन्तर्गत हेतु गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे। मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में समय-समय पर होने वाले संशोधनों को विकास योजना का भाग माना जावेगा।
2. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है, यह सम्भावना है, कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े ऐसे संशोधन के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अन्तिम होगा, जो कि विकास योजना प्रस्तावों का एक भाग माना जावेगा।
3. विकास योजना मानचित्र में दर्शित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं तथा उक्त प्रस्ताव मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किये गए हैं, उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आन्तरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि हेतु क्षेत्रफल सम्मिलित है, इसी प्रकार नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आदि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित है। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में पृथक से नहीं दर्शाए गए हैं।
4. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व से विधिवत स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान उपयोग हेतु यथावत् रहेंगे।
5. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवाकार्य से जुड़े होते हैं, यदि झुग्गी-झोपड़ियों को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में सिर्फ नदियों/जलाशय के संदर्भ में प्रतिबंधित क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों का व्यवस्थापन ग्राह्य होगा।
6. विकास योजना मानचित्र जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की लम्बाई-चौड़ाई अथवा क्षेत्रफल को नहीं नापा जाये। लम्बाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल सर्वे मानचित्र, जो 1:4000 की माप पर हो के आधार पर नापा जाये।

7. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुरूप अलग-अलग विकास नियमन/परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जावेगी। प्रथम चरण के क्षेत्र की विकास योजना प्रस्ताव के अनुसार परिक्षेत्रिक योजना अधिनियम के प्रावधानों अनुसार त्वरित गति से तैयार करना नितांत आवश्यक है।
8. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई शर्तें, स्थिति एवं विद्यमान वर्तमान मार्ग सीमाएँ स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जावेगा।
9. जिन अभिन्यासों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अथवा म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत भू-व्यपवर्तन हेतु दी गई हो एवं स्वीकृति की समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है अथवा नगर तथा ग्राम निवेश की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर/शासन द्वारा कोई शासकीय भूमि किसी प्रयोजन हेतु आरक्षित अथवा आवंटित की गई हो तो उस दशा में यह माना जावेगा कि वह अभिन्यास/भू-आरक्षण/आवंटन स्वीकृत विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है।
10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधियों हेतु विकास अनुमति दे।
11. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप तथा उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होंगे।
12. अधिनियम की धारा 30 एवं 30 (क) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र में संशोधन आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी सभी आवश्यक संशोधन मानचित्र में अंकित कर पुनः संबंधित को वापिस करेंगे। स्वीकृति केवल संशोधित मानचित्र पर ही अंकित की जावेगी।
13. वन भूमि से लगी भूमि के संदर्भ में वन विभाग से अपत्ति लेना अनिवार्य होगा।

4.3 परिभाषाएँ

- | | |
|----------------------------|--|
| उपयोग परिक्षेत्र | — मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्य कलापों में से किसी एक कार्य कलाप का क्षेत्र। |
| उपयोग परिसर | — उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के विभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो। |
| अभिन्यास | — अभिन्यास से तात्पर्य योजना की रूप रेखा से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो। |
| भूमि उपयोग मानचित्र | — सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र, भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा। |

- परिक्षेत्रिक योजना** – निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जो अधिनियम की धारा 20 के अर्न्तगत बनाई गई हो।
- नगरीय ग्राम** – भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अर्न्तगत आने वाले ग्रामीण आबादी नगरीय ग्राम कहलाएंगे।
- नगरीय विरासत** – नगरीय विरासत से तात्पर्य ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो तथा संबंधित अधिनियम के अर्न्तगत अधिसूचित हो।
- बहु-इकाई भूखण्डीय विकास** – नवीन क्षेत्रों में भूखण्डीय विकास विशेषतः मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किए जावेंगे। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किए जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रावधित की जावें। ऐसे विकास हेतु भूखण्ड का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए एवं उनके समक्ष न्यूनतम 12.0 मीटर चौड़ा मार्ग स्थित/प्रावधित होना चाहिये।
- सक्षम प्राधिकारी** – म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 अनुसार
- अन्य परिभाषाएं** – म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार लागू होंगी।

4.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को 9 प्रमुख उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उप विभाजित किये गए हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग/उपयोग गतिविधियां शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 4-सा-1 में दिया गया है।

उपयोग परिक्षेत्र

4-सा-1

अनु.क्र.	उपयोग परिक्षेत्र	उपयोग श्रेणियां
1	2	3
1.	आवासीय	वर्तमान आवासीय तथा प्रस्तावित आवासीय/निम्न घनत्व आवासीय
2.	वाणिज्यिक	सामान्य वाणिज्यिक, विशेषीकृत वाणिज्यिक, मण्डी, यातायात नगर
3.	औद्योगिक	उद्योग/कृषि आधारित उद्योग
4.	सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक	वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक/प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

अनु.क्र.	उपयोग परिक्षेत्र	उपयोग श्रेणियां
1	2	3
5.	सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिताएं	वर्तमान सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिताएं तथा प्रस्तावित सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिताएं
6.	यातायात एवं परिवहन	रेल्वे स्टेशन, रेल्वे लाईन/बस स्टैण्ड/बस पिकअप स्टेशन/मार्ग।
7.	आमोद-प्रमोद	नगर उद्यान, स्टेडियम/खेल मैदान/मनोरंजन स्थल, मेला मैदान, पर्यावरण वानिकी।
8.	कृषि	कृषि, ग्रामीण परिक्षेत्र (कंडिका 4.11 के अनुसार ग्रामीण आबादी के विस्तार सहित)
9.	जल स्रोत	तालाब, नदियां, नहरें एवं नाले

4.5 आवासीय उपयोग परिक्षेत्रों हेतु नियमन

4.5.1 उपयोग परिक्षेत्र का उपयोग परिसरों में उप-विभाजन

- इन नियमनों का उद्देश्य विभिन्न परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने हेतु मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधानों जैसे-भौतिक संरचनाएं, जल-प्रदाय, जल-मल निकास आदि नगर पालिका के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
- भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात अधिकतम 1:3 होना चाहिए।
- भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, एफ.ए.आर. भूतल आच्छादन, भवन की ऊंचाई तथा स्वीकार्य आवासीय ईकाइयों के मानकों की आवश्यकता होती है। भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है तथा भवन अनुज्ञा हेतु यह पूर्णतः विकसित होना चाहिए। कार्पोरेट विकास की दशा में विकास/भवन अनुज्ञा साथ-साथ दी जा सकेगी।
- एक भूखण्ड में चार ईकाइयों से अधिक समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किए गए अभिन्यास की स्वीकृति तब ही दी जावेगी जब आवश्यक सेवाएं जैसे- जल प्रदाय, मल निकास, विधुतीकरण पार्किंग सुविधा आदि का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवा एवं सुविधाएं वास्तविक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार के निर्माण हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 288 वर्गमीटर होगा तथा उसके समक्ष न्यूनतम 12.0 मीटर चौड़ा मार्ग स्थित अथवा प्रावधानित होना चाहिये।
- वर्तमान विकसित क्षेत्र में पूर्णतः या आंशिक रूप से विकसित एकल/संयुक्त परिवार ईकाई को आवश्यक सेवा तथा सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के पश्चात् बहुईकाई भूखण्डीय विकास में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है।

6. आवासीय अभिन्यासों में राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं समय-समय पर प्रसारित आदेशानुसार समाज के कमजोर वर्ग/निम्न वर्ग/अनौपचारिक वर्ग तथा अन्य किसी वर्ग हेतु भूखण्ड/भवन का आरक्षण प्रावधान करना होगा।
7. अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार करते समय मध्य-प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-ज) में निहित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।

4.5.2 आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर
2. आवासीय अभिन्यास में न्यूनतम खुला क्षेत्रफल 10 प्रतिशत
3. सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.5 प्रतिशत
4. सुविधाजनक दुकानें हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत
5. आवासीय प्रयोजन के स्वीकृत अभिन्यास के भूखण्डों पर भवन निर्माण संबंधी नियोजन मापदण्ड सारणी क्रमांक 4-सा-2 अनुसार होंगे
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु प्रावधान म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956/म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961/म.प्र. पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप।

आवासीय भूखण्ड विकास नियमन

4-सा-2

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्र (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए. आर. अधिकतम	एम. ओ. एस (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी. में)	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय इकाईयाँ
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4.0×8.0	20-32	पंक्ति	60	1.25	3.0	0.0	0.0	0.0	6	9	2
2	4.0×12.0	33-48	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6	9	2
3	5.0×15.0	49-75	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6	9	2
4	7.0×15.0	76-105	पंक्ति	50	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	9	2
5	9.0×15.0	106-135	अर्द्ध पृथक्कृत	50	1.20	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10×18.0	136-200	अर्द्ध पृथक्कृत	50	1.20	3.0	2.0	0.0	0.0	9.0	12.5	3

7	12.0×18.0	201-216	अर्द्ध पृथक्कृत	42	1.20	3.5	0.0	0.0	0.5	9.0	12.5	3
8	12.0×24.0	217-288	पृथक्कृत	40	1.15	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	12.0×24.0	288-360	पृथक्कृत	35	1.15	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	6
10	15.0×27.0	361-405	पृथक्कृत	33	1.15	7.5	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	7
11	18.0×30.0	406-540	पृथक्कृत	33	1.15	8.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	8
12	20×30.0	541-600	पृथक्कृत	33	1.15	9.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	9
13	25×30.0	601-750	पृथक्कृत	30	1.15	12.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	10
14	30×30.30	751-999	पृथक्कृत	30	1.15	12.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	10.

नोट : 1. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष यदि 12 मीटर या उससे अधिक चौड़ा मार्ग उपलब्ध है तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किए जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं प्रावधानित हो तो ऐसे भूखण्डों पर बहु आवासीय इकाईयां मान्य होगी अन्यथा केवल 4 आवासीय इकाईयों की संख्या मान्य होगी।

2. यदि आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊंचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊंचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, क्रमशः भवन ऊंचाई तथा एफ.ए.आर. से नहीं की जाएगी।

4.5.3 विकसित क्षेत्रों के मध्य उपलब्ध भूमियों/भूखण्डों पर अपार्टमेंट हाउसिंग के नियमन

- (1) न्यूनतम भूमि/भूखण्ड का क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर से अधिक
- (2) भूमि/भूखण्ड का फ्रन्टेज 21 मीटर
- (3) भूमि/भूखण्ड के समक्ष मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर
- (4) अधिकतम एफ.ए.आर. 1.30 (12.5 मीटर ऊंचाई तक के मकानों के लिये)
- (5) एम.ओ.एस. - सामने 6.0 मीटर
अन्य ओर 4.5 मीटर
- (6) भवन की ऊंचाई 12.5 मीटर
- (7) दो अपार्टमेंट के ब्लॉकों के मध्य की दूरी सबसे ऊंचे अपार्टमेंट की ऊंचाई के 1/3 के बराबर होगी।
- (8) पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की दर से।
- (9) आगंतुक कार/वाहन पार्किंग हेतु भूखण्ड के क्षेत्र का 2 प्रतिशत क्षेत्रफल, आरक्षित रखना होगा।
- (10) वृक्षारोपण/उद्यान अंतर्गत क्षेत्रफल = (भूखंड/भूमि का क्षेत्रफल-ग्राउण्ड कवरेज) गूणा 25 प्रतिशत

- (11) 12.5 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के लिए मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानानुसार होंगे।
- (12) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग हेतु म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 /म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961/म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

4.5.4 समूह आवास हेतु नियोजन मापदण्ड –

- (1) इस तरह के विकास हेतु न्यूनतम भूमि/भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.40 हेक्टेयर होगा।
- (2) भूमि/भूखण्ड के समक्ष न्यूनतम मार्ग की चौड़ाई 15.0 मीटर
- (3) न्यूनतम ग्राउण्ड कवरेज = 35 प्रतिशत
- (4) भूमि/भूखण्ड का न्यूनतम फ्रन्टेज = 24 मीटर
- (5) अधिकतम एफ.ए.आर. 12.5 मीटर तक ऊँचे भवनों हेतु 1 : 1.40
- (6) एम.ओ.एस. सामने 7.50 मीटर
अन्य ओर 6.00 मीटर
- (7) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग हेतु प्रावधान म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956/म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961/पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
- (8) पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की दर से।
- (9) भवन ब्लाकों के मध्य की दूरी परिसर में प्रस्तावित/निर्मित सबसे ऊँचे भवन की ऊंचाई के 1/3 बराबर
- (10) 12.5 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों का निर्माण म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानानुसार।

4.5.5 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

12.5 मीटर से ऊंचे भवनों के मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे। यह प्रावधान सभी भू-उपयोगों (आमोद-प्रमोद एवं कृषि को छोड़कर) मान्य होंगे।

4.5.6 फार्म हाउस

फार्म हाउस का निर्माण म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 अनुसार मान्य होगा।

4.6 वाणिज्यिक क्षेत्र

4.6.1 वाणिज्यिक क्षेत्रों में विकास हेतु नियमन –

वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु विकास योजना में थोक एवं सामान्य वाणिज्यिक हेतु व्यापक स्वरूप के प्रस्ताव दिये गये हैं, जिनमें निम्नलिखित गतिविधियां विकसित हो सकेंगी :-

नगरीय केन्द्र, उपनगरीय केन्द्र, स्थानीय शापिंग, सुविधाजनक शापिंग सेन्टर, खेरची दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय इत्यादि।

4.6.2 वाणिज्यिक विकास हेतु नियमन –

वाणिज्यिक विकास हेतु सारणी 4-सा-3 के अनुसार स्थान उपलब्ध होने पर विकास स्वीकार्य होगा।

वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र के अभिन्यास हेतु नियमन

4-सा-3

क्र	वाणिज्यिक केन्द्र का स्तर	आवश्यक न्यूनतम भूमि का क्षेत्रफल (हे.में)	सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में)	न्यूनतम खुला क्षेत्र (प्रति. में)	पार्किंग क्षेत्र (प्रति. में)	इंफार्मल सेक्टर (प्रति.में)	मार्ग एवं उपयोगिता एवं सेवाये (प्रति. में)	अधिकतम स्वीकार्य भू-खण्डीय क्षेत्रफल (प्रति. में)	भूमि का न्यूनतम अग्र भाग मीटर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नगरीय केन्द्र, थोक वाणिज्यिक (मंडी सहित)	4.0 से अधिक	30	10	10.0	3.0	35	50	75.00
2	उप नगरीय केन्द्र, सामान्य (0.15 से 0.5 लाख आबादी हेतु)	2.00 से अधिक	24.00	10	10.0	2.5	35	50	50.00
3	समुदायिक केन्द्र	1.00	18.00	10	7.5	2.0	35	50	40.00
4	स्थानीय शापिंग (अभिन्यास स्तर पर)	0.5 से अधिक	12.00	10	7.5	1.5	35	—	30.00
5	सुविधाजनक दुकानें (अभिन्यास स्तर पर)	0.10 से अधिक	9.00	10	5.0	1.5	35	—	20.00

टीप :- *स्थानीय दुकानें एवं सुविधाजनक दुकानें कुल अभिन्यास क्षेत्रफल के अधिकतम 5 प्रतिशत भाग पर ही स्वीकार्य होंगी।

4.6.3 उप विभाजित वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु नियमन

वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत विभिन्न वाणिज्यिक केन्द्र हेतु अनुमोदित अभिन्यास में वाणिज्यिक भू-खण्डों पर निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 4-सा-4 में दर्शाए अनुसार मान्य होगा :-

उपविभाजित वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु नियमन

4-सा-4

क्रमांक	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र (कवरेज)	एफ.ए.आर
1	2	3	4
1	नगरीय केन्द्र / थोक वाणिज्यिक (मंडी)	50 प्रतिशत	2.50
2	उप नगर केन्द्र / सामान्य	50 प्रतिशत	2.00
3	समुदायिक केन्द्र	50 प्रतिशत	1.75
4	स्थानीय दुकानें (अभिन्यास स्तर पर)	50 प्रतिशत	1.50
5	सुविधाजनक दुकानें (अभिन्यास स्तर पर)	50 प्रतिशत	1.25

4.6.4 स्थानीय दुकानों में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां

1. औषधि दुकानें
2. कार्यालय
3. पैथोलॉजी लैब
4. हल्के वाहन (800 सी.सी. तक) / मशीनरी सुधार की दुकानें
5. बैंक
6. ए.टी.एम.
7. गेस्ट हाउस
8. अनौपचारिक दुकानें
9. कोचिंग केन्द्र
10. प्रशिक्षण केन्द्र
11. रेस्टोरेन्ट
12. साप्ताहिक हाट
13. मीट एवं मछली की फुटकर दुकानें
14. कम्युनिटी हॉल
15. विद्युत उप केन्द्र
16. आवासीय फ्लैट : कुल अनुज्ञेय एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत अधिकतम।

4.6.5 सुविधाजनक दुकानों में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां

1. फुटकर दुकानें
2. स्थानीय स्तर पर हल्के वाहन एवं मशीनरी मरम्मत की दुकानें
3. सेवा गतिविधियाँ
4. कार्यालय
5. बैंक
6. ए.टी.एम.
7. अनौपचारिक दुकानें
8. साप्ताहिक बाजार
9. सब्जी बाजार

4.6.6 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ टेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए सारणी 4-सा-5 में दिये गये मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किये गये हैं-

अनौपचारिक वर्ग के लिए योजना प्रावधान

4-सा-5

क्र.	विवरण	मानक
1	2	3
1.	फुटकर व्यापार, खण्ड केन्द्र, उपखण्ड केन्द्र, सुलभ शॉपिंग	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें या मानकों में दर्शाये अनुसार सुविधा दुकानें अन्य परिसरों में अनौपचारिक दुकानें।
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	5 से 6 इकाई प्रति 1000 कर्मकारों के लिये।
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानों के लिए।
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तरों के लिए
5.	बस विराम स्थल	प्रति 1 बस स्थल के लिए दो इकाईयां
6.	विद्यालय-प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, एकीकृत विद्यालय	3 से 4 इकाईयां 5 से 6 इकाईयां
7.	उद्यान-क्षेत्रीय, नगर उद्यान, निकटवर्ती उद्यान	8 से 10 इकाईयां प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2 से 3 इकाईयां
8.	आवासीय	1 इकाई प्रति 1000 जनसंख्या
9.	औद्योगिक	5 से 6 इकाई प्रति 1000 कर्मकार
10.	रेल्वे स्टेशन/बस स्थानक	परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर आधारित

टीप :- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

4.7 औद्योगिक परिक्षेत्र

- (1) औद्योगिक परिक्षेत्र के अभिन्यासों में आन्तरिक मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 15 मीटर होगी।
- (2) औद्योगिक परिक्षेत्र में अभिन्यासों एवं औद्योगिक भूखण्डों के विकास के मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 अनुसार मान्य होंगे।

4.8 अन्य सुविधाएं –

अभिन्यासों में सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताएं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 अनुसार मान्य होंगी।

4.8.1. सुविधाओं हेतु विकास मानक

सुविधाओं को स्थापित करने हेतु विकास मानक सारणी 4-सा-6 में दिये गये हैं। इन मानकों का पालन यंत्रीकृत साधनों की आवश्यकता को कम किये जाने की दृष्टि से किया जाना चाहिये।

सुविधाओं के विकास मानक

4-सा-6

सुविधाएँ/सेवाएँ	अनुशासित अधिकतम पैदल दूरी (कि.मी.)
1	2
झूलाघर/नर्सरी विद्यालय	0.30
प्राथमिक शालाएं	0.80
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1.50
टाट लाट	0.30
नेबरहुड खेल मैदान एवं उद्यान	0.30
पार्क एवं खेल मैदान	0.50
दुकानें व खेल मैदान	0.50
स्वास्थ्य केन्द्र	0.50
डाकघर	0.50
सामुदायिक भवन, वाचनालय	0.50
स्थानीय क्लब इत्यादि	0.75

4.8.2 खुले स्थलों एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड

खुले स्थलों एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड सारणी 4-सा-7 में दिये गये हैं।

खुले स्थलों एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड

4-सा-7

सुविधायें	निम्नतम भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर) प्रति हजार	निम्नतम प्रति इकाई (हेक्टेयर)	निम्नतम प्रति इकाई की चौड़ाई (मीटर)	सेवा हेतु सामान्य जनसंख्या	सेवा क्षेत्र की अधिकृत त्रिज्या (कि.मी.)
1	2	3	4	5	6
टाटलाट	0.03	0.03	15	1000	0.15
क्रीड़ा क्षेत्र	0.06	0.30	45	5000	0.30

क्रीड़ा मैदान	0.10	1.50	138	15000	0.50
नेवरहुड पार्क	0.20	0.75	60	5000	0.30
वृत्तखण्ड उद्यान	0.20	1.50	100	15000	0.30

नोट :- टाटलाट, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ांगन तथा दो स्तरों के स्थानीय उद्यानों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में परिभ्रमण एवं वाहन विराम की आवश्यकतायें शामिल हैं।

4.8.3 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन/पर्यावरण वानिकी संबंधी नियमन

संवेदनशील क्षेत्रों/पर्यावरण वानिकी वाले क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों का नियंत्रण, निम्न नियमन के आधार पर किया जावेगा –

1. तालाबों के किनारे न्यूनतम 30 मीटर का क्षेत्र हरित/वृक्षारोपण हेतु आरक्षित रखना होगा। नालों के किनारे हरित/वृक्षारोपण म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
2. कीचड़, मल निकास, सेप्टिक टैंक निकास किसी भी स्थिति में नदी-नालों व तालाबों में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।
3. पेट्रोलियम आधारित उर्वरकों का उपयोग कर जल स्रोतों के केचमेंट एरिया में कृषि कार्य को प्रतिबंधित किया जावेगा, जिससे कि तालाबों में जलीय घासफूस एवं अन्य ऐसी गतिविधियाँ जो भूमि कटाव करती हैं को रोका जा सके। संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक उपाय किया जाना चाहिए।
4. तालाबों के किनारे के क्षेत्रों में अपने भवनों को व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक, गरडल मल लाईन, जब उसका निर्माण हो जाये, जोड़ना होगा।
5. नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले वर्तमान भवनों में अच्छादित क्षेत्र में या फर्शी क्षेत्रानुपात में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी, बशर्ते कि पूर्व में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गयी हो।
6. तालाबों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के संवर्धन हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
7. अमावनी नाले के किनारे न्यूनतम 30 मीटर का हरित क्षेत्र नाले के दोनों ओर आरक्षित रखना होगा।
8. पुरातत्व महत्व के स्थानों के आसपास के क्षेत्रों का विकास, पुरातत्व विभाग के प्रावधानों अनुसार मान्य होगा।
9. पहाड़ी क्षेत्रों जिनका ढलान 10 प्रतिशत से अधिक हो, ऐसे क्षेत्रों में भवन निर्माण मान्य नहीं होगा।
10. केन्टोनमेंट (छावनी) क्षेत्र के चारों ओर केन्टोनमेंट बोर्ड के प्रावधानों अनुसार क्षेत्र आरक्षित रखना होगा।

4.8.4 प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र

सागर प्रदेश के संवेदनशील भूकम्प क्षेत्र से बाहर होकर बी.आई.एस. जोन-2 के अंतर्गत आता है। फिर भी प्राकृतिक परिसंकट से सुरक्षा की दृष्टि से भवनों का निर्माण भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होना चाहिए। सभी प्रकार के भवनों चाहे वे शासकीय, अर्द्ध-शासकीय अथवा निजी हों, में निर्माण/पुनर्निर्माण की भवन अनुज्ञा देते समय म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों अनुसार संरचनात्मक डिजाईन मानकों का पालन स्थानीय निकायों द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

4.9 यातायात एवं परिवहन

4.9.1 मार्गों/गलियों की अनुशंसित चौड़ाई

नगर मार्ग तंत्र के विभिन्न स्तरों के मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई यातायात एवं परिवहन अध्याय में दी गई है। आवासीय क्षेत्रों में कल्डीसेक या लूप गलियों की चौड़ाई 7.5 से 9 मीटर अनुशंसित है। उच्च आय वर्ग के आवासीय क्षेत्र, जहां निजी वाहनों की संख्या अधिक होती है, में इन मार्गों की चौड़ाई 9 से 12 मीटर रखी जा सकती है। निकास मार्गों की अनुशंसित चौड़ाई सारणी 4-सा-8 अनुसार है।

निकास मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई

4-सा-8

मार्ग/वर्गीकरण	अनुशंसित मार्ग चौड़ाई (मार्गाधिकार) मीटर में	अभ्युक्ति
1	2	3
लूप मार्ग	9	अधिकतम लंबाई 500 मीटर
कल्डीसेक	7.5	अधिकतम लंबाई 150 मीटर घूर्णन वृत्त की त्रिज्या 9 मीटर
गली (सामान्य आवासीय क्षेत्र)	7.5	अधिकतम लंबाई 150 मीटर
गली (निम्न आय वर्ग आवासीय क्षेत्र)	4.5	अधिकतम लंबाई 100 मीटर
गंदी बस्तियों में पादचारी मार्ग	0.9 से 1.5	अधिकतम लंबाई 5 से 20 मीटर
साइकिल पथ	2-5	—
सामान्य पादचारी मार्ग	1.5-4.5	—

4.9.2 मंदगति वाहनों हेतु मानक

साइकिल पथ का निर्माण उन मार्गों के साथ किया जाना चाहिये जहाँ मोटर वाहनों की संख्या 200 प्रति घण्टे से अधिक हो। प्रत्येक साइकिल पथ की न्यूनतम चौड़ाई 2.00 मीटर होना चाहिये तथा प्रत्येक अतिरिक्त लेन की चौड़ाई 1.00 मीटर होना चाहिये। इन साइकिल पथों का रूपांकन ऐसा हो जिससे अन्य वाहनों से यह सुरक्षित रहे। इस दृष्टिकोण से मार्ग संगम स्थलों पर इनके रूपांकन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। साइकिल पथों की चौड़ाई भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुसार होगी।

4.9.3 विराम स्थल

सड़कों के किनारे विराम स्थलों के मानक सारणी 4-सा-9 अनुसार होंगे। शेष वाहन विराम स्थलों संबंधी मानक म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 अनुसार होंगे।

सड़कों के किनारे कार विराम हेतु स्थल का आकार

4-सा-9

विराम का प्रकार	कर्व से वास्तविक चौड़ाई	कर्व लाइन से समानान्तर नापी गई प्रत्येक कार के लिए लंबाई की आवश्यकता (मीटर में)
1	2	3
समानांतर	2.50	5.90
30 ⁰	4.66	5.00
45 ⁰	5.31	3.54
60 ⁰	5.58	2.89
90 ⁰	5.00	2.50

टीप :- 1. मार्ग चौड़ाई 20 मीटर से अधिक के लिए।

2. मार्ग मध्य से पेडस्टल की दूरी भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा अनुशंसित मानक के अनुरूप होगी।

4.10 यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक

यातायात/मैकेनिक नगर के मानक पैरा 4.9.1 अनुसार होंगे :-

4.10.1 यातायात/मैकेनिक नगर नियोजन मापदण्ड

अधिकतम भूखण्डों का प्रतिशत	:	40 प्रतिशत
आन्तरिक मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	:	18 मीटर
सार्वजनिक सेवायें/सुविधायें	:	05 प्रतिशत न्यूनतम
पार्किंग	:	15 प्रतिशत न्यूनतम
उद्यान	:	10 प्रतिशत न्यूनतम

यातायात/मैकेनिक नगर में सुविधाओं के मानक सारणी 4-सा-10 अनुसार मान्य होंगे।

यातायात/मैकेनिक नगर के मानक

4-सा-10

अनुक्रमांक	कार्य का प्रकार	इकाईयाँ प्रति 100 ट्रक	अनुशंसित क्षेत्रफल की सीमा प्रति इकाई वर्गमी.
1.	2.	3.	4.
1.	माल बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम	30-40	29-450
2.	कल पुर्जों की दुकानें	10-15	9-72
3.	यांत्रिक एवं विद्युत वर्कशाप	15-25	7.5-135

4.	टायर ट्यूब बिक्री दुकानें	12-20	7.5-90
5.	ढाबा	5-7	30-90
6.	चाय नास्ता दुकान	8-19	9-14
7.	पान सिगरेट दुकान	10-14	2-5
8.	नाई/सिलाई दुकान	1	10-15

4.10.2 यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड

प्रति 100 ट्रक के लिए विभिन्न सेवाओं के प्रावधान सारणी 4-सा-11 के अनुरूप होंगे।

यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड

4-सा-11

अनु. क्रमांक	सुविधा	क्षेत्रफल प्रति इकाई (वर्गमी.)	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	बैंक	100	200 ट्रक पर कम से कम एक
2.	डाकघर	100	प्रत्येक अवसान बिन्दु पर एक
3.	पेट्रोल पंप	800	निर्गम/आगमन बिन्दु पर
4.	होटल, लॉज	600	रूपर मंजिल पर
5.	चौकी	200	सामरिक स्थानों पर
6.	उपचार गृह	200	—
7.	अग्निशमन केन्द्र	200	—
8.	धर्मकांटा	300	निर्गम/आगमन बिन्दु पर

टीप :-

1. परिभ्रमण तंत्र

अभिन्धास के मुख्य मार्ग न्यूनतम 18 मीटर चौड़े।

सेवाओं के सम्मुख द्वितीय मार्ग 12 से 15 मीटर चौड़े।

खुले क्षेत्रों के चारो ओर के मार्ग 12 से 15 मीटर चौड़े।

2. पार्किंग हेतु खुले स्थल 36 वर्गमीटर प्रति ट्रक के मान से जो मार्ग के समानान्तर पार्किंग बे मे या खुले यार्ड के रूप में होना आवश्यक है। यह क्षेत्र खुले क्षेत्र के अतिरिक्त होगा।

4.11 मिश्रित उपयोग हेतु नियमन

मिश्रित उपयोग अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियां पेरा 4.11.1 अनुसार मान्य होंगे। इन गतिविधियों के नियोजन मापदण्ड, इस अध्याय में उल्लेखित मापदण्डों अनुसार होंगे।

4.11.1 आवासीय परिसर में स्वीकार्य अन्य उपयोग एवं गतिविधियाँ

- (अ) मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आवासीय भूखण्ड या प्लेट में अन्य उपयोग गतिविधियों की अनुज्ञा।
- (ब) परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय पुराने शहर एवं प्रस्तावित विकास क्षेत्र के अलावा मिश्रित उपयोग गतिविधि मार्गों का चयन निम्नानुसार किया जाना चाहिये।
- (1) स्वीकार्य मिश्रित उपयोग के कारण अतिरिक्त यातायात भार से संबंधित मार्ग में वहन करने की क्षमता का विश्लेषण किया जावेगा।
- (2) मिश्रित उपयोग के कारण नगरीय सेवायें एवं क्षेत्र विशेष की पर्यावरणीय आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता के अनुरूप विश्लेषण किया जावेगा।
- (3) यातायात/पार्किंग समस्या के निराकरण हेतु यातायात अध्ययन के एक भाग के रूप में मुक्त पदयात्री मार्ग/क्षेत्र एवं एकांकी मार्गीय यातायात व्यवस्था आंकलन कर निर्धारण किया जावेगा।
- ऐसी स्थिति में जब किसी क्षेत्र/मार्ग पर मिश्रित उपयोग की ग्राह्यता के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति दी जाती है तो यह स्वीकृति निम्न बिन्दुओं द्वारा नियंत्रित होगी :-
- (1) स्वीकृत वाणिज्यिक गतिविधि केवल भूतल पर 12 मीटर अथवा इससे अधिक चौड़े मार्ग पर ही मान्य होगी, जो कि स्वीकार्य कुर्सी क्षेत्रफल में मार्ग चौड़ाई की गहराई तक ही सीमित होगी।
- (2) उपरोक्त मिश्रित उपयोग अंतर्गत निम्न गतिविधियाँ निषिद्ध होगी :-
- (क) फुटकर दुकानें-भवन निर्माण सामग्री गतिविधि (लकड़ी, लकड़ी का उत्पाद, लोहा, स्टील और रेत, जलाऊ कोयला)
- (ख) मरम्मत की दुकानें-ऑटोमोबाइल्स, रिपेयर एवं कर्मशाला
- (ग) सेवा दुकानें, बैंक
- (घ) उपचार गृह (नर्सिंग होम)
- (ङ) गोदाम, भण्डागृह, भण्डारण
- (च) निर्माण इकाईयों (गृह उद्योग को छोड़कर)
- (छ) कबाड़खाना
- (द) ऐसे प्रकरणों में जहाँ मिश्रित भू-उपयोग विचारणीय होगा, आवेदक को सामने से सेटबैंक को बिना शर्त स्थानीय संस्था को मार्गाधिकार एवं पार्किंग हेतु देना होगा।
- ऐसे क्षेत्र का अभिन्यास (स्थल मानचित्र) निम्न बिन्दुओं के साथ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा :-

- (अ) मानक क्षमता के अनुरूप पार्किंग सुविधा
- (ब) अन्य सेवा-सुविधाएं
- (स) भू-दृश्यीकरण
- (द) निर्धारित सड़क राइट आफ वे।
- (इ) उपयोग गतिविधि में परिवर्तन हेतु हितग्राही से निम्न पर आधारित शुल्क दिया जावेगा :-

1. पार्किंग, भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना की प्रस्तावित लागत।
2. आवासीय तथा गैर आवासीय गतिविधि/उपयोग क्षेत्रों का अंतर मूल्य।

4.11.2 उद्देशित मिश्रित भू-उपयोग-

आवासीय क्षेत्र में यथोचित स्थल पर ऐसे भूखण्ड समूह प्रावधानित किये जावे जिनमें भूतल पर उद्देशित दुकानें एवं गृह उद्योग तथा प्रथम तल पर आवास प्रस्तावित हो।

4.12 उपयोग परिक्षेत्र के विकास नियमन

4.12.1 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकार्य उपयोग

विकास योजना में उपयोग परिक्षेत्र एवं उपयोग श्रेणियों में सारणी 4-सा-12 अनुसार स्वीकृत उपयोग परिसर अनुमत होंगे :-

उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति

4-सा-12

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
1.	आवासीय	
	आवासीय सामान्य	महाविद्यालय, अन्य व्यावसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान। आवासीय भूखण्डीय विकास, एपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मेरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्प्यूनिटी, हॉल, मेरिज गार्डन, बाल

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		<p>गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएं/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, आरचर्ड/नर्सरी, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कम्प्यूटर सेंटर, स्थानीय निकाय कार्यालय/फायर ब्रिगेड।</p>
2	वाणिज्यिक	
	सामान्य वाणिज्यिक	<p>अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मेरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम/कम्प्यूनिटी, हॉल, मेरिज गार्डन, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल का मैदान, पार्क, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय,</p>

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मनोरंजन क्लब, लाइब्रेरी, म्यूजियम बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब।
	विशेषीकृत वाणिज्यिक	थोक बाजार, अत्यावश्यक अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, कम्प्यूनिटी, हॉल, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, पार्क, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मनोरंजन क्लब, लाइब्रेरी, म्यूजियम, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट, कम्प्यूटर सेंटर, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब, मैरिज हॉल, बारात घर, मांगलिक भवन, कल्याण मंडल।
	मण्डी	मण्डी, अत्यावश्यक अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, कम्प्यूनिटी, हॉल, मेरिज गार्डन, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेल मैदान, पार्क, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मनोरंजन क्लब, लाइब्रेरी, म्यूजियम बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब। नोट :- उपरोक्त समस्त गतिविधियां मण्डी परिसर के अभिन्यास के साथ ही स्वीकृत होगी।

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
	यातायात नगर	<p>यातायात नगर, अत्यावश्यक अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, कम्प्यूनिटी, हॉल, छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मनोरंजन क्लब, लाइब्रेरी, म्यूजियम बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब।</p> <p>नोट :- उपरोक्त समस्त गतिविधियां यातायात नगर परिसर के अभिन्यास के साथ ही स्वीकृत होगी।</p>
3.	औद्योगिक	
	औद्योगिक सामान्य	<p>औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलेटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थाएं/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट।</p>
	कृषि आधारित	<p>औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक</p>

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
	उद्योग	स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल का मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, कृषि आधारित फेलेटेड फैक्टरी, कृषि आधारित स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), कृषि आधारित एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, कृषि आधारित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कृषि आधारित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थाएँ/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट।
4.	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक	अतिथि गृह/ रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/ डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर / डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी*, स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्नीक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी, प्ले-स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएँ / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है। गैर प्रदूषणकारी उद्योग**।

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
5.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर / स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएँ, संचार सुविधाएँ, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य।
6.	यातायात एवं परिवहन	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन/रेल्वे साइडिंग/यार्ड/आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल, नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशाप, अनुशांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटेल, होटल, पेट्रोल पम्प।
7.	आमोद-प्रमोद	
	क्षेत्रीय/नगर उद्यान/ मनोरंजन	खेल का मैदान, पार्क, घुड़सवारी, वोट क्लब, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, वाटर पार्क, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस ,सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर,पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं। नोट : उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न गतिविधियां उन नगर उद्यानों में स्वीकृत होंगी जिनका क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक हो :- एम्युजमेंट पार्क, क्लब रिसोर्ट, जिम्नेजियम, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, फ्लाइंग क्लब, केम्पिंग साईट, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर, संग्रहालय।
	स्टेडियम/खेल मैदान	स्टेडियम/खेल मैदान/मनोरंजन साईट, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण, जिम्नेजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, खेल उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास,पम्प हाउस, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
	मेला मैदान	मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब, घुड़सवारी, जिम्नेजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लार्डिंग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साईट, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	पर्यावरण वानिकी	पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, वोट क्लब, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट-अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
8	वन	वन विभाग के प्रावधानों अनुसार वन क्षेत्र से लगी 250 मीटर दूरी पर विकास योजना प्रस्ताव अनुसार विकास अनुमति के पूर्व वन विभाग की आपत्ति लेना आवश्यक होगा।
9.	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। श्मशान घाट/कब्रस्तान, जल-मल शोधन केन्द्र, ईट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो/पेट्रोल पम्प, फार्म हाउस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/अर्द्ध-शासकीय/पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्प्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बालगृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता),स्थानीय संस्थाओं/अर्द्ध शासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट) ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग** उद्योग कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य हो।

व्याख्या :-

1. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
2. **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
3. ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) में वर्णित अनुसार।

टीप :- उपरोक्त 1 एवं 2 के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

*, **, *** म.प्र. राजपत्र, दिनांक 12 अक्टूबर 2018 द्वारा अंतः स्थापित

4.12.2 उपयोग परिक्षेत्रों/परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण -

सारणी क्र. 4-सा-12 में उल्लेखित उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड, सारणी क्र. 4-सा-13 से 4-सा-14 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

4-सा-13

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
शैक्षणिक गतिविधियां											
1.	वोकेशनल संस्थान (व्यवसाय संबंधी)	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
2.	विश्वविद्यालय	यू.जी.सी. मानक अनुसार	30.00	—	—	—	—	—	—	—	फ्रण्टेज = 100 मी.
	अ-प्रशासकीय	भूमि का 45 प्रतिशत	—	30	1:1.25	12.50	30.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्ट एम.ओ.एस. केवल फ्रण्ट साईड में
	ब-आवासीय	भूमि का 25 प्रतिशत	—	30	1:1.25	12.50	30.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्ट एम.ओ.एस. केवल फ्रण्ट साईड में

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
	स-खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधि	भूमि का 15 प्रतिशत	—	10	1:0.15	12.50	30.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्ट एम.ओ.एस. केवल फ्रण्ट साईड में
	द-पार्क एवं लैंड स्केप (प्राकृतिक भू दृश्यीकरण)	भूमि का 15 प्रतिशत	—	5	1:0.05	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	—	एम.ओ.एस. छोड़कर ही निर्माण कार्य हेतु
3.	शैक्षणिक महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 60 मी.
4.	चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मी.
5.	अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मी.
6.	पॉलीटेक्नीक	म.प्र.भू.वि.नि	18.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्र.= 60 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
7.	माध्यमिक / सेकण्डरी विद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
8.	प्राथमिक विद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
9.	नर्सरी स्कूल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
10.	प्ले स्कूल	म.प्र. 0.10 अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
11.	समन्वित आवासीय विद्यालय	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
12.	विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=100	फ्रण्टेज = 30 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
13.	व्यवसायिक प्रबंधन संस्थान	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
14.	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
15.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=75	फ्रण्टेज = 40 मी.
16.	संगीत / नृत्य / नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
17.	कोचिंग इन्स्टीट्यूट (शिक्षण संस्थान)	0.20	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
18.	कोचिंग सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
19.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
20.	शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.
21.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
22.	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
23.	होटल मैनेजमेंट संस्थान	0.80	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
24.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 50 मी.
25.	अन्य शैक्षणिक संस्थान	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 50 मी.
26.	आई.टी.आई.	तकनीकी शिक्षा विभाग अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
27.	किंडर गार्डन स्कूल	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
28.	ड्राईविंग स्कूल	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
29.	प्रयोगशाला	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 50 मी.
स्वास्थ्य गतिविधियाँ											
30.	सामान्य चिकित्सालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज = 40.00 मी.
31.	विशिष्ट / सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज = 40.00 मी.
32.	क्लिनिक / डिस्पेंसरी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
33.	प्रसूति गृह	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
34.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
35.	नर्सिंग होम	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
36.	पॉलिक्लिनिक	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
37.	क्लीनिकल प्रयोगशाला	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
38.	पेथोलॉजी लैब	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
39.	पालतू पशु क्लिनिक	0.05	12.00	35	1:0.50	7.50	6.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 15 मी.
40.	पालतू पशु औषधालय	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
41.	डायग्नोस्टिक सेन्टर	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.
42.	ब्लड बैंक	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
43.	रेड क्रॉस केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
44.	फिजियोथेरेपी केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
45.	एक्सरे / रेडियोलॉजी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
रहवासी गतिविधियाँ											
46.	कामकाजी महिला छात्रावास	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
47.	बालगृह	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्र. = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
48.	बाल सुधार गृह	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
49.	झूलाघर / डे-केयर सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
50.	अनाथालय	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
51.	वृद्धाश्रम	0.25	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
52.	धर्मशाला	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	A=50	फ्र. = 25 मी.
53.	लॉजिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
54.	लॉजिंग एवं बोर्डिंग	0.15	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
55.	होस्टल	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
56.	बोर्डिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्र. = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
57.	रेस्ट हाउस / अतिथि गृह	0.40	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
58.	रात्रि विश्राम गृह	0.05	12.00	35	1:1.50	7.50	6.00	4.50	4.50	-	फ्रण्टेज = 25 मी.
59.	सर्किट हाउस	0.75	30.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मी.
60.	भूखण्डीय विकास	2.00	6.00	30-60 एकल भूखण्ड पर	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1) फ्रण्टेज=ले-आउट अनुसार, (2) खुला क्षेत्र =10 प्रतिशत, (3) सेवा क्षेत्र = 1.5 प्रतिशत

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
61.	ग्रुप हाउसिंग	0.40	15.00	35	1:1.50	12.50	9.00	7.50	7.50	A=100	-
62.	अपार्टमेन्ट हाउसिंग	0.0425	12.00	33	1:1.40	12.50	7.50	4.50	4.50	A=100	(1) फ्रण्टेज = 25 मी., (2) ऐसे भूखण्ड, भूखण्डीय विकास का भाग होना चाहिये
63.	स्वयं का आवास	0.005	9.00	30	1:1.25	12.50	6.00	3.00	3.75	A=100	(1) फ्रण्टेज = 15 मी., (2) इससे छोटे भूखण्ड केवल तभी मान्य होंगे जहां भूखण्डीय विकास या ग्रुप हाउसिंग या अपार्टमेंट हाउसिंग मान्य करना संभव न हो।

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
वाणिज्यिक गतिविधियाँ											
64.	शापिंग मॉल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.50	12.00	7.50	7.50	A=50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
65.	मल्टीप्लेक्स	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.50	12.00	7.50	7.50	A=50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
66.	सुपर मार्केट / डिपार्टमेंटल स्टोर्स	0.25	18.00	33	1:1.75	12.50	15.00	7.50	7.50	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.
67.	केफेटेरिया	0.15	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
68.	कन्वेनशन सेंटर	2.00	30.00	30	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=20	फ्रण्टेज = 100 मी.
69.	सुविधाजनक दुकानें	—	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	(1) फ्रण्टेज = 20 मी. (2) भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल भूमि के 3% के बराबर

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
70.	स्थानीय दुकाने	—	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50 %	(1) फ्रण्टेज = 30 मी. (2) भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल भूमि के क्षेत्रफल के 5% बराबर
71.	साप्ताहिक हाट बाजार	0.30	12.00	35	1:1.25	04.50	9.00	4.50	4.50	A=25	फ्रण्टेज = 40 मी.
72.	व्यवसायिक कॉर्पोरेट कार्यालय	0.20	18.00	35	1:1.75	12.50	12.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
73.	सिनेमा हाल	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=30	फ्रण्टेज = 30 मी.
74.	होटल	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
75.	मोटल	0.75	24.00	25	1:0.75	12.50	15.00	10.0	10.0	A=25	(1) राष्ट्रीय राजमार्गों / राजमार्गों / स मस्त क्षेत्रीय मार्गों / बायपास मार्गों पर (2) फ्रण्टेज = 40 मी.
76.	रेस्टॉरेंट	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.
77.	ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	—
78.	व्यवसाय	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 15 मी.
79.	ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशाप	0.15	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
80.	स्टोरेज / गोदाम अज्वलनशील पदार्थ	0.10	12.00	30	1:0.75	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
81.	स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ डीजल आदि	संबंधित मानक अनुसार	18.00	25	1:0.50	12.50	30.00	20.00	20.00	A=50	(1) फ्रण्टेज = 35 मी. (2) निर्मित क्षेत्र के चारों ओर 20.00 मी. स्थान खुला रखना होगा।
82.	जंकयार्ड	0.20	12.00	25	1:0.25	12.50	15.00	10.00	10.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
83.	वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ.एम.सी. जी. गोदाम	0.60	15.00	30	1:0.75	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
84.	कॉल सेन्टर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
85.	ए.टी.एम.	—	12.00	—	—	—	—	—	—	—	3.00 मीटर X 3.00 मीटर का निर्माण एम. ओ. एस. स्पेस को छोड़कर, निर्मित किये जा सकने वाले क्षेत्र में स्वीकार्य होगा।
86.	मैरिज हाल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
87.	बारात घर	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
88.	कल्याण मंडपम	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
89.	मांगलिक भवन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
90.	मेरिज गार्डन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 50 मी.
91.	कार्गो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	1.00	30.00	25	1:0.50	12.50	15.00	6.00	6.00	A=30	फ्रण्टेज = 100 मी.
92.	ऑटो मोबाईल शोरूम मय सर्विस स्टेशन/वाहन विक्रय केन्द्र के या बिना इन सुविधाओं के	0.20	24.00	30	1:1.0	12.50	15.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
93.	प्रिंटिंग प्रेस	0.10	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
94.	पेट्रोलियम उत्पाद डिपो	2.00	30.00	30	1:1.00	12.50	30.00	20.00	20.00	A=50	फ्रण्टेज = 60 मी.
95.	गैस गोडाउन	—	18.00	30	1:1.00	12.50	—	—	—	A=50	(1) फ्रण्टेज = 25 मी. (2) निर्मित क्षेत्र के चारों ओर 15.00 मी. स्थान खुला रखना होगा।
96.	अनाज मण्डी	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=50	फ्रण्टेज = 75 मी.
97.	सब्जी / फल मण्डी	0.60	24.00	35	1:1.50	12.50	24.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 45 मी.
98.	लोहा मण्डी	2.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.
99.	भवन सामग्री यार्ड	1.50	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
100.	सी.एन.जी. केन्द्र	0.15	24.00	15	1:0.15	6.00	12.00	10.00	10.00	A=15	फ्रण्टेज= 35 मी.
101.	सर्विस स्टेशन	0.10	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
102.	ब्यूटी पार्लर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
103.	तौल कांटा	0.15	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
104.	थोक मार्केट	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.
105.	दवाई मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
106.	स्टेशनरी मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
107.	ऑटोमोबाईल मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
108.	फायर वर्क्स मार्केट	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
109.	सर्राफा मार्केट	1.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
110.	क्राकरी मार्केट	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
111.	कपड़ा मार्केट	1.00	24.00	35	1:1.50	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
112.	बर्तन बाजार	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
113.	मरम्मत बाजार	0.20	24.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
114.	टिम्बर मार्केट	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
115.	केमिकल बाजार	0.40	24.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
116.	ई-चौपाल	0.25	18.00	30	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्र. = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
117.	कम्प्यूटर सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.25	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
118.	इन्फार्मल शॉपिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.25	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
119.	बैंक्वेट हॉल	0.50	24.00	35	1:1.50	12.50	24.00	10.00	10.00	A=20	फ्रण्टेज = 50 मी.
120.	एफ.एम.सी.जी. गोडाउन	0.50	24.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
121.	वेयर हाउस	0.50	24.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
122.	कोल यार्ड	0.50	24.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
123.	मीट मार्केट	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
124.	सायबर केफे	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
125.	ढाबा	0.30	24.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
126.	रेल / एयर टिकिट घर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
सांस्कृतिक गतिविधियाँ											
127.	खुला रंगमंच	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	1:0.15	12.50	15.00	9.00	9.00	A=20	फ्रण्टेज = 30 मी.
128.	योग केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
129.	अध्यात्मिक केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
130.	सांस्कृतिक / सूचना केन्द्र	0.15	15.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
131.	सामाजिक कल्याण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
132.	लाइब्रेरी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्र. = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
133.	धार्मिक परिसर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
134.	कॉन्फ्रेन्स हॉल / प्रदर्शनी केन्द्र	1.00	24.00	30	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
135.	नाट्य गृह	0.40	24.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=40	फ्रण्टेज = 30 मी.
136	कम्प्यूनिटी हॉल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 25 मी.
137.	स्वयं सेवी संस्थान	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
138.	क्रेच / झुलाघर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
139	आर्ट / गैलेरी संग्रहालय	0.05	18.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
खेल / मनोरंजन गतिविधियां											
140	खेल का मैदान / नेबरहूड पार्क	खेल / पार्क की आवश्यकता नुसार	खेल / पार्क की आवश्यकता नुसार	.	.	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	फ्रण्टेज 25 मी.
141	गोल्फ कोर्स	भारतीय खेल प्राधि. के मानक अनुसार	18.00	15	1:0.15	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1)एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। (2)फ्रण्टेज = 75 मी.
142	एम्पूजमेंट पार्क / मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस पलोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	4.0	18.00	20	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1)एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में (2)फ्रण्टेज = 75 मी.
143	क्लब / रिसोर्ट	0.40	15.00	20	1:0.30	12.50	15.00	10.00	10.00	A=25	फ्र.=40मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
144	घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल	4.00	18.00	20	1:0.25	12.50	10.00	10.00	6.00	A=25	(1) भारतीय खेल प्राधि. की निर्धारित शर्तों अनुरूप। (2) फ्रण्टेज = 100 मी.
145	जिम्नेजियम मय पूल गेम, स्नेकस एवं जूस शॉप, योग केन्द्र या इन सुविधाओं बिना	0.20	18.00	30	1:0.00	12.50	12.00	7.50	10.00	A=50	फ्रण्टेज=30 मी.
146	बोट क्लब	भारतीय खेल प्राधि. के मानक अनुसार	15.00	15	1:0.15	आवश्यक तानुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1)एम.ओ. एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। बोट क्लब का निर्माण जल तट से

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
											लग कर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा। (2) फ्रण्टेज = 75 मी.
147	आंतरिक स्टेडियम	खेल की आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.75	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
148	स्टेडियम	खेल की आवश्यकता अनुसार	30.00	30	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 75 मी.
149	स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स	खेल की आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:0.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.
150	आरचर्ड	0.10	12.00	20	1:0.25	7.00	9.00	6.00	6.00	A=75	-

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
151	तरणताल	0.40	12.00	25	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.
152	पिकनिक हट	0.25	12.00	15	1:0.25	7.50	12.00	9.00	9.00	A=20	-.
153	पलाइंग क्लब	0.40	18.00	30	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
154	फिटनेस क्लब	0.25	15.00	35	1:1.25	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.
155	मेला मैदान	आवश्यकता नुसार	18.00	20	1:0.75	7.50	15.00	9.00	9.00	A=15	फ्रण्टेज = 30 मी.
156	नर्सरी	0.10	12.00	30	1:0.75	9.00	9.00	6.00	6.00	A=15	-.
157	पक्षी अभयारण्य	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
158	वनस्पति उद्यान	2.00	18.00	20	1:0.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 75 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
159	प्राणी उद्यान	2.00	18.00	20	1:0.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 75 मी.
160	मत्स्यालय	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
161	केम्पिंग साइट	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
162	वाटर पार्क मय राईड्स, कियोस्क संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	4.00	18.00	20	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1)एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। (2) फ्रण्टेज = 75 मी.
163	रिसार्ट पर्यटक / कुटीर	1.00	18.00	20	1:0.25	9.00	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 75 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
शासकीय गतिविधियां											
164	शासकीय / अर्द्ध शासकीय कार्यालय / उप क्रम, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित,	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	10.00	5.00	5.00	A=75	(1)फ्रण्टेज = 25 मी.। (2)स्टाफ क्वार्टर का अधिकतम क्षेत्र निर्माण हेतु स्वीकार्य क्षेत्र का 20 प्रतिशत
165	न्यायालय	आवश्यकता अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
166	जेल	आवश्यकता अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
167	स्थानीय निकाय कार्यालय	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
168	पुलिस स्टेशन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
169	पुलिस पोस्ट	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
170	बैंक	0.10	18.00	35	1:1.50	12.50	12.00	7.50	7.50	A=40	फ्रण्टेज = 30 मी.।
सार्वजनिक सेवाएँ सुविधाएं											
171	शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय / उपक्रम, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित,	आवश्यकता अनुरूप	9.00	35	1:1.25	12.50	10.00	5.00	5.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
172	पोस्ट ऑफिस	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
173	दूरसंचार टावर / स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
174	जल शोधन संयंत्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 40 मी.
175	कम्बाईन्ड ट्रीटमेंट प्लान्ट	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 40 मी.
176	वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 40 मी.
177	दूर संचार केन्द्र	0.15	12.00	35	1:1.25	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.
178	ट्रांसमिशन टावर / वायर लेस स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
179	रेडियो स्टेशन	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.।
180	वैधशाला	आवश्यकता अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
181	अग्निशमन केन्द्र	आवश्यकता अनुसार	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
182	टेलीविजन स्टेशन	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.।
183	मौसम कार्यालय	आवश्यकता अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी
184	विद्युत सब स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	आवश्यकता अनुसार
185	शमशान / कब्र स्तान / सिमीट्री	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	आवश्यकता अनुसार
186	दूर संचार टावर	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	आवश्यकता अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
187	गौशाला	0.25	12.00	35	1:0.50	9.00	12.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 18 मी.
188	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:0.25	12.50	24.00	12.00	12.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
189	दूरभाष केन्द्र	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
190	विन्ड मिल्स / फार्म	आवश्यकता अनुसार	12.00	20	1:0.25	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
191	सार्वजनिक मुत्रालय	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	5.00	3.00	3.00	-	फ्रण्टेज = 9 मी.
192	विद्युत शवदाह गृह	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
193	ओवर हेड पानी की टंकी	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	फ्रण्टेज = 18 मी.
194	भूमिगत पानी की टंकी	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	6.00	6.00	-	फ्रण्टेज = 18 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
195	ऑक्सीडेशन पॉड	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	फ्रण्टेज = 24 मी.।
196	सेप्टिक टैंक	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	फ्रण्टेज = 18 मी.।
197	सार्वजनिक शौचालय	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	4.50	4.50	-	फ्रण्टेज = 18 मी.।
198	घूरा एवं कचराघर	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	फ्रण्टेज = 18 मी.
199	धोबी घाट	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	फ्रण्टेज = 18 मी.
200	औद्योगिक सुविधायें एग्रो स्तर उद्योग	0.20	15.00	40	1:1.0	12.50	12	6.00	6.00	A=75	(1) भूखण्ड के चारों ओर 3.0 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करना होगा। (2) फ्रण्टेज = 25 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
201	डेयरी प्लांट	0.75	18.00	35	1:1.00	12.50	15	6.00	6.00	A=20	(1) भूखण्ड के चारों ओर 3.0 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करना होगा। (2) फ्रण्टेज = 30 मी.।
202	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	.
203	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	0.10	15.00	35	1:1.50	12.50	10.00	5.00	5.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.।
204	डेरी प्लांट	0.40	18.00	35	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.।
205	स्लाटर हाउस	0.20	15.00	35	1:1.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
206	फेलेटेड फैक्ट्री	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	—
207	एक्सटेंसिव / विशिष्ट एक्सट्रेटिव उद्योग	.	12.00	—	—	—	—	—	—	-	खनिज विभाग के नियम अनुसार
208	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	10.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.।
209	फूड पार्क	2.00	24.00	40	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=40	फ्रण्टेज = 75 मी.।
210	साफ्टवेयर पार्क	2.00	24.00	40	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=40	फ्रण्टेज = 75 मी.।
211	दुग्ध केन्द्र	0.50	18.00	40	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=40	फ्रण्टेज = 75 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
यातायात सुविधायें											
212	बस स्टेण्ड	1.50	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी.।
213	बस टर्मिनल	1.50	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी.।
214	पिकअप स्टेशन	0.80	18.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 50 मी.।
215	बस स्टॉप	आवश्यकतानुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	—	—	—	आवश्यकताअनुसार	मार्ग की भूमि को छोड़कर, बाईं लेन में।
216	यातायात नगर	4.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी.।
217	मेकेनिक नगर	2.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 75 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
218	ऑटो स्टेण्ड / टैक्सी स्टेण्ड	0.25	15.00	15	1:0.30	07.50	15.00	9.00	9.00	पार्किंग एक कार प्रति 15.00 वर्ग मी. उपलब्ध भूमि की दर से	फ्रण्टेज = 75 मी.।
219	मल्टी लेवल पार्किंग	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	फ्रण्टेज = 75 मी.।
220	बस डिपो / कर्मशाला	1.50	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी.।
221	कार्गो	2.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी.।
222	पार्किंग	आवश्यकता नुसार	12.00	—	—	—	6.00	6.00	6.00		फ्रण्टेज = 18 मी.।
223	कन्टेनर डिपो	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
224	ड्राई पोर्ट / कन्टेनर डिपो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.।
225	हेलीपेड	आवश्यकता अनुसार	18.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	A=15	फ्रण्टेज = 150 मी.।
226	रेल्वे स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	30.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	A=15	फ्रण्टेज = 75 मी.।
227	धर्म कांटा / वेविंग ब्रिज	0.15	24.00	15	1:0.25	7.50	15.00	9.00	9.00	A=15	फ्रण्टेज = 30 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
ग्रामीण क्षेत्र गतिविधियां											
228	मुर्गी पालन केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
229	फॉर्म हाउस	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
230	डेयरी	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
231	पशु पालन केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
232	पशु शोध केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
233	ग्रामीण केन्द्र	0.20	9.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
234	अनाज गोदाम	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
235	भवन सामग्री योर्ड	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
236	मेरिज गार्डन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
237	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।
238	कृषक परामर्श / सहायता केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।
239	आंगनवाड़ी	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।
240	औषधालय	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग/गति-विधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
241	कृषि उपकरण कर्मशाला	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।
242	चौपाल	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	-	फ्रण्टेज = 24 मी.।
243	उत्सव स्थल	0.40	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	A=25	फ्रण्टेज = 24 मी.।

* 12-50 से ऊंचे भवनों हेतु सभी मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 अनुसार मान्य होंगे। "म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार" से आशय है "मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों अनुसार से"

नोट :- 1. सक्षम अधिकारी, उपरोक्त सारणी क्र 4-सा-12 में उल्लेखित गतिविधियों के समतुल्य अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकेगा। सक्षम अधिकारी सारणी क्र 4-सा-13 में उल्लेखित परिसरों में सहायक गतिविधियों सारणी 4-सा-14 में उल्लेखित मापदण्डों के आधार पर दे सकेगा।

4.11.3 उपयोग परिसरों में सहायक गतिविधियों संबंधी नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

सारणी क्र. 4-सा-12 एवं 4-सा-13 में उल्लेखित उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियां सारणी क्र. 4-सा-14 अनुसार मान्य होंगी। उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियों का निर्धारण इस दृष्टि के साथ प्रस्तावित है कि यह सहायक गतिविधियां, उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के संचालन में जहां सहायक होगी, वही उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के लिये आवश्यक सहायक सेवाएँ, उसी परिसर में सरलता से उपलब्ध हो सके तथा उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के कारण नगर में न्यूनतम यातायात उत्पन्न हो। उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियों का निर्धारण, इस दृष्टि के साथ भी प्रस्तावित है कि इन गतिविधियों से, उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के विकास/निर्माण/संचालन/संधारण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सके।

मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत

उपयोग परिसरों के नियोजन मापदंड एवं अन्य नियंत्रण

4-सा-14

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
001	वोकेशनल संस्थान (व्यवसाय संबंधी)	वोकेशनल प्रशिक्षण	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन	अधिकतम 05	
		स्टॉप क्वार्टर	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं एवं खेल	अधिकतम 05	
002	विश्वविद्यालय	शैक्षणिक एवं रिसर्च	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर एवं सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
003	शैक्षणिक महाविद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम., स्टेशनरी, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
004	अ-इंजीनियरिंग महाविद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
	ब-चिकित्सा महाविद्यालय	शैक्षणिक / चिकित्सालय	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
005	अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
006	पॉलीटेक्नीक	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
007	माध्यमिक / सेकण्डरी विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
008	प्राथमिक विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम,	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं		
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
009	नर्सरी स्कूल	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम., स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 20	
010	प्ले स्कूल	शैक्षणिक	न्यूनतम 25	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		केण्टीन, स्टेशनरी	अधिकतम 05	
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 60	
011	समन्वित आवासीय विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम., स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
012	विकलांग बच्चों के	शैक्षणिक	न्यूनतम 55	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	लिए विद्यालय	प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		फिजियो थेरेपी	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	अधिकतम 05	
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 05	
013	व्यवसायिक प्रबंधन संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम., स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	अधिकतम 05	
014	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
015	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	अनुसंधान एवं विकास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
016	संगीत / नृत्य / नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षणिक	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
017	कोचिंग इंस्टीट्यूट (शिक्षण संस्थान)	शैक्षणिक	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सुविधाएं		
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
018	कोचिंग सेंटर	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
019	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
020	शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
021	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
022	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमांक
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
023	होटल मैनेजमेंट संस्थान	होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
024	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	अनुसंधान एवं विकास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
025	अन्य शैक्षणिक संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
026	आई.टी.आई.	शैक्षणिक / प्रशिक्षण	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
027	किंडर गार्डन स्कूल	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 20	
028	ड्राइविंग स्कूल	शैक्षणिक / प्रशिक्षण	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
029	प्रयोगशाला	अनुसंधान एवं विकास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
स्वास्थ्य गतिविधियां				
030	सामान्य चिकित्सालय	चिकित्सा	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, दवाई की दुकान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
031	विशिष्ट / सुपर	चिकित्सा	न्यूनतम 55	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	स्पेशियलिटी			
	चिकित्सालय	प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, दवाई की दुकान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
032	क्लिनिक / डिस्पेंसरी	चिकित्सा	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
033	प्रसूति गृह	चिकित्सा	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, दवाई की दुकान, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
034	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	चिकित्सा	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम., स्टेशनरी, दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
035	नर्सिंग होम	चिकित्सा	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	
036	पॉलिक्लिनिक	चिकित्सा	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	
037	क्लिनिकल प्रयोगशाला	प्रयोगशाला, एक्सरे, पथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि	न्यूनतम 85	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
038	पथोलॉजी लेब	प्रयोगशाला, एक्सरे	अधिकतम 90	
		केण्टीन, दवाई की दुकान, वेटिंग	अधिकतम 10	
039	पालतू पशु क्लिनिक	चिकित्सा	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		दवाई दुकान, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
040	पालतू पशु औषधालय	चिकित्सा	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 15	
		दवाई की दुकान, वेटिंग, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
041	डायग्नोस्टिक सेन्टर	चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		केप्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, मनोरंजन, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		वार्ड	न्यूनतम 15	
042	ब्लड बैंक	ब्लड बैंक	न्यूनतम 85	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केप्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
043	रेड क्रॉस केन्द्र	चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, मनोरंजन, जनरल स्टोर, वेटिंग जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		वार्ड	न्यूनतम 10	
044	फिजियोथेरेपी केन्द्र	फिजियोथेरेपी, चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे आदि	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		वार्ड	न्यूनतम 10	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
045	एक्सरे/रेडियोलॉजी	एक्सरे, रेडियोलॉजी प्रयोगशाला	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
रहवासी गतिविधियां				
046	कामकाजी महिला छात्रावास	छात्रावास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		एटीएम, दवाई की दुकान, फोटोकॉपी, स्टेशनरी, लॉन्ड्री, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		मनोरंजन लायब्रेरी	न्यूनतम 10	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
047	बाल गृह	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
048	बाल सुधार गृह	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
049	झूलाघर/डे-केयर	छात्रावास	न्यूनतम 70	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	सेंटर	प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
050	अनाथालय	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
051	वृद्धाश्रम	निवासकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
052	धर्मशाला	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
053	लॉजिंग	शयनकक्ष	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी,	अधिकतम 10	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं		
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
054	लॉजिंग एवं बोर्डिंग	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
055	होस्टल	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
056	बोर्डिंग	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
057	रेस्ट हाउस / अतिथि गृह	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
058	रात्रि विश्राम गृह	शयनकक्ष	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर केप्टीन जैसी सुविधाएं	अधिकतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
059	सर्किट हाउस	शयनकक्ष	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, स्टोर	न्यूनतम 10	
		वेटिंग	न्यूनतम 10	
		मिटिंग कक्ष	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
060	भूखण्डीय विकास	आवासीय भूखण्ड	अधिकतम 58	
		मार्ग	अधिकतम 28	
		खुला क्षेत्र	न्यूनतम 10	
		सर्विस क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		अन्य सुविधाएं	जनसंख्या के मान से म.प्र.भू. वि.नि. अनुसार	
		आगन्तुक पार्किंग	न्यूनतम 02	
061	ग्रुप हाउसिंग	आवासीय फ्लेट्स	अधिकतम 75	
		मार्ग	आवश्यकता अनुसार	
		भूखण्ड का खुला क्षेत्र	न्यूनतम 20	
		सर्विसेस क्षेत्र भूखण्ड का	न्यूनतम 02	
		अन्य सुविधाएं : शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक	जनसंख्या के मान से म.प्र.भू. वि.नि. अनुसार	
		आगन्तुक पार्किंग	न्यूनतम 03	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
062	अपार्टमेन्ट हाउसिंग	आवासीय फ्लेट्स	अधिकतम 75	
		मार्ग	आवश्यकता अनुसार	
		भूखण्ड का खुला क्षेत्र	न्यूनतम 15	
		सर्विसेस क्षेत्र भूखण्ड का	न्यूनतम 05	
		आगन्तुक पार्किंग	न्यूनतम 05	
063	आवासीय भूखण्ड	आवासीय	न्यूनतम 75	
		व्यवसायिक या स्वास्थ्य कंसलटेन्सी सेवाएँ	अधिकतम 25	
064	शापिंग मॉल	शापिंग मॉल	न्यूनतम 60	
		स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 15	
		कार्पोरेट ऑफिस	अधिकतम 15	
065	मल्टीप्लेक्स	शापिंग	न्यूनतम 30	
		होटल	अधिकतम 10	
		सिनेमा	न्यूनतम 25	
		प्ले झोन / गेमिंग झोन	अधिकतम 15	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		फूड झोन	न्यूनतम 10	
		कार्पोरेट ऑफिस, स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	
066	सुपर मार्केट / डिपार्टमेंट स्टोर्स	शापिंग मॉल	न्यूनतम 60	
		स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 15	
		कार्पोरेट ऑफिस	अधिकतम 15	
067	केफेटेरिया	केफेटेरिया	न्यूनतम 70	
		स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		शापिंग	न्यूनतम 15	
		प्ले झोन	न्यूनतम 05	
068	कन्वेंशन सेंटर	कॉन्फ्रेंस एरिया	न्यूनतम 22	
		मीडिया एरिया	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 20	
		शापिंग मॉल	न्यूनतम 15	
		सिनेमा	न्यूनतम 05	
		प्ले झोन	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 01	
		फूड झोन	न्यूनतम 05	
		प्रदर्शनी झोन	न्यूनतम 08	
		कार्पोरेट ऑफिस, स्टोर / प्रशासकीय	न्यूनतम 10	
		क्लब / स्विमिंग पूल	न्यूनतम 02	
सर्विस एरिया	न्यूनतम 02			
069	सुविधाजनक दुकानें	शापिंग	न्यूनतम 85	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		इनफारमल शापिंग	न्यूनतम 10	
070	स्थानीय दुकानें	शापिंग	न्यूनतम 60	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		इनफारमल शापिंग	न्यूनतम 15	
		कार्यालय स्टोर / प्रशासकीय	न्यूनतम 15	
		सर्विस एरिया	न्यूनतम 05	
071	साप्ताहिक हाट बाजार	शापिंग	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		इनफारमल शापिंग	न्यूनतम 60	
		कार्यालय	न्यूनतम 15	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सर्विस एरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	
072	व्यवसायिक कॉर्पोरेट कार्यालय	कॉर्पोरेट ऑफिस	न्यूनतम 60	
		स्टोर प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 15	
		शापिंग	अधिकतम 15	
073	सिनेमा हाल	सिनेमा हाल	न्यूनतम 60	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		रेस्टॉरेन्ट / केफेटेरिया	अधिकतम 15	
		शॉपस्	अधिकतम 05	
		स्टोर प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		फोयर	न्यूनतम 05	
074	होटल	होटल	न्यूनतम 50	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		शॉपस्	अधिकतम 03	
		कॉन्फ्रेंस	अधिकतम 10	
		डॉईनिंग एरिया	न्यूनतम 10	
		किचन	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		स्टोर / प्रशासकीय	न्यूनतम 05	
		वॉशिंग	न्यूनतम 03	
		लॉन्ड्री	न्यूनतम 02	
075	मोटल	मोटल रूम	न्यूनतम 50	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		शॉपस्	अधिकतम 05	
		कॉन्फ्रेंस	अधिकतम 10	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		डॉईनिंग एरिया	न्यूनतम 10	
		किचन	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		वॉशिंग	न्यूनतम 03	
076	रेस्टॉरेंट	रेस्टॉरेंट	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रशासन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		शापिंग	न्यूनतम 15	
		प्ले झोन	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
077	ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र	ईंधन भराव क्षेत्र	भू.वि.नि. अनुसार	
		सर्विस स्टेशन	भू.वि.नि. अनुसार	
		जनरल शॉप	भू.वि.नि. अनुसार	
		ऑटो पार्ट शॉप	भू.वि.नि. अनुसार	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	05	
		स्टॉफ क्वार्टर	05	
078	व्यवसाय	व्यवसाय	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टोर एवं अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
079	ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशाप	सर्विस स्टेशन	न्यूनतम 70	
		जनरल शॉप	अधिकतम 05	
		ऑटो पार्ट शॉप	अधिकतम 13	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		एटीएम	अधिकतम 02	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
080	स्टोरेज / गोदाम अज्वलनशील पदार्थ	स्टोरेज / गोदाम	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
081	स्टोरज ज्वलनशील पदार्थ डीजल आदि	स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 10	
082	जंकयार्ड	जंकयार्ड भूखण्ड क्षेत्र का	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
083	वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ.एम.सी.जी. गोदाम	वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ.एम.सी.जी. गोदाम	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		फावर्डिंग एजेंन्सी कार्यालय	अधिकतम 05	
084	कॉल सेन्टर	कॉल सेन्टर	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 10	
		स्टोर एवं अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 10	
085	ए.टी.एम.	ए.टी.एम.	अधिकतम 80	
		अन्य सुविधाएं	अधिकतम 20	
086	मैरिज हाल	मैरिज हॉल	न्यूनतम 40	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		किचन/पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
087	बारात घर	हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		किचन/पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
088	कल्याण मंडपम	हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		किचन/पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
089	मांगलिक भवन	हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		किचन/पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
090	मैरिज गार्डन	मैरिज हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	अधिकतम 10	
		अन्य सुविधाएं	अधिकतम 05	
		किचन/पेन्ट्री	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
091	कार्गो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	कार्गो/वेयर हाउस/स्टोरेज/एफ.एम.सी. जी. गोदाम	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट/मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		फार्वर्डिंग एजेन्सी कार्यालय	अधिकतम 05	
		रेस्टॉरेन्ट/केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
092	ऑटो मोबाइल शोरूम मय सर्विस स्टेशन/वाहन विक्रय केन्द्र के या बिना इन सुविधाओं के	शोरूम	न्यूनतम 40	
		सर्विस स्टेशन	अधिकतम 30	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		प्लान्ट/मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		रेस्टॉरेन्ट/केफेटेरिया	अधिकतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
093	प्रिंटिंग प्रेस	प्रिंटिंग प्रेस	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		स्टेशनरी	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
094	पेट्रोलियम उत्पाद डिपो	पेट्रोलियम डिपो	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
095	गैस गोडाउन	गैस गोडाउन	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
096	अनाज मण्डी	अनाज मण्डी	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 03	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 03	
		वाहन मरम्मत	अधिकतम 03	
		मृदा परीक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रशिक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	अधिकतम 03	
097	सब्जी / फल मण्डी	सब्जी / फल मण्डी	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 04	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 02	
		वाहन मरम्मत	अधिकतम 03	
		मृदा परीक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रशिक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 02	
098	लोहा मण्डी	लोहा मण्डी	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 04	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 02	
099	भवन सामग्री यार्ड	भवन सामग्री यार्ड	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 05	
100	सी.एन.जी. केन्द्र	सी.एन.जी. केन्द्र	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
101	सर्विस स्टेशन	सर्विस स्टेशन	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 10	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
102	ब्यूटी पार्लर	ब्यूटी पार्लर	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा स्थान	न्यूनतम 05	
103	तौल कांटा	तौल काटा	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
104	थोक मार्केट	थोक मार्केट दुकानें	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 02	
		दवाई मार्केट दुकानें	न्यूनतम 75	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
105	दवाई मार्केट	प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 01	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 02	
106	स्टेशनरी मार्केट	स्टेशनरी मार्केट दुकानें	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 01	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
107	ऑटोमोबाइल मार्केट	ऑटोमोबाइल मार्केट दुकानें	न्यूनतम 45	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 15	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 04	
108	फायर वर्कस् मार्केट	फायर वर्कस् मार्केट दुकानें	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	
109	सर्राफा मार्केट	सर्राफा मार्केट	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	
110	क्राकरी मार्केट	क्राकरी मार्केट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
111	कपड़ा मार्केट	कपड़ा मार्केट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
112	बर्तन बाजार	बर्तन बाजार	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
113	मरम्मत बाजार	मरम्मत बाजार	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
114	टिम्बर मार्केट	टिम्बर मार्केट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
115	केमिकल बाजार	केमिकल बाजार	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
116	ई-चौपाल	ई-चौपाल	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, फूड झोन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
117	कम्प्यूटर सेंटर	कम्प्यूटर सेंटर	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
118	इन्फार्मल शॉपिंग	इन्फार्मल शॉपिंग	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
119	बैंकवेट हॉल	बैंकवेट हॉल	अधिकतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन, किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम, ठहरने के कमरे	अधिकतम 15	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
120	एफ.एम.सी.जी.	एफ.एम.सी.जी. गोडाउन	अधिकतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
121	वेयर हाउस	वेयर हाउस	अधिकतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
122	कोल यार्ड	कोल यार्ड	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
123	मीट मार्केट	मीट मार्केट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक, ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
124	सायबर केफे	सायबर केफे	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
125	ढाबा	ढाबा	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		सुविधा / मरम्मत दुकानें	अधिकतम 10	
126	रेल / एयर टिकट घर	रेल / एयर टिकट घर	न्यूनतम 70	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
127	खुला रंग मंच	खुला रंग मंच	अधिकतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
128	योग केन्द्र	योग केन्द्र	अधिकतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
129	आध्यात्मिक केन्द्र	आध्यात्मिक केन्द्र	अधिकतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
130	सांस्कृतिक / सूचना केन्द्र	सांस्कृतिक / सूचना केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
131	सामाजिक कल्याण केन्द्र	सामाजिक कल्याण केन्द्र	अधिकतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केन्टीन/किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक/ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
132	लाइब्रेरी	लाइब्रेरी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
133	धार्मिक परिसर	धार्मिक परिसर	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन/किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
134	कॉन्फ्रेन्स हॉल / प्रदर्शनी केन्द्र	कॉन्फ्रेन्स हॉल / प्रदर्शनी केन्द्र	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.,	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
होटल	न्यूनतम 10			
135	नाट्य गृह	नाट्य गृह	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 05	
प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05			
136	कम्यूनिटी हॉल	कम्यूनिटी हॉल	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
137	स्वयं सेवी संस्थान	स्वयं सेवी संस्थान	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन/किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
138	क्रेच/झुलाघर	क्रेच/झुलाघर	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन/किचन, पेन्ट्रीडाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
139	आर्ट / गैलरी संग्रहालय	आर्ट गैलरी / संग्रहालय	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
140	खेल का मैदान / नेवरहुड पार्क	खेल का मैदान / नेवरहुड पार्क	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री,	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 03	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 05	
141	गोल्फ कोर्स	गोल्फ कोर्स	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 02	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 02	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 02	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 02	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 02	
		जिम, फिटनेस क्लब,	अधिकतम 02	
		ऑडिटोरियम, थियेटर	अधिकतम 03	
142	एम्यूजमेंट पार्क / मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	एम्यूजमेंट पार्क / मय राईड्स,	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 02	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 03	
		जिम, फिटनेस क्लब,	अधिकतम 02	
		ऑडिटोरियम, थियेटर	अधिकतम 05	
		होटल	न्यूनतम 05	
143	क्लब / रिसोर्ट	क्लब, रिसोर्ट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 02	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 02	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 03	
		जिम, फिटनेस क्लब,	अधिकतम 02	
		ऑडिटोरियम, थियेटर	अधिकतम 05	
144	घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल	घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट, केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 03	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 03	
		जिम, फिटनेस क्लब,	अधिकतम 02	
		ऑडिटोरियम	अधिकतम 05	
145	जिम्नेशियम मय पूल गेम, स्नेकस् एवं जूस शॉप, योग केन्द्र या इन सुविधाओं बिना	जिम्नेशियम मय पूल गेम, स्नेकस् एवं जूस शॉप, योग केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 03	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		लायब्रेरी	अधिकतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 10	
146	बोट क्लब	बोट क्लब	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 10	
		टिकट काउण्टर	अधिकतम 02	
147	आंतरिक स्टेडियम	आंतरिक स्टेडियम	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें / मॉल	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 02	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 02	
		क्लब	न्यूनतम 02	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्वीमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		होस्टल/होटल	न्यूनतम 05	
148	स्टेडियम	स्टेडियम	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन/रेस्टोरेंट/केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें/मॉल	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 03	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 03	
		क्लब	न्यूनतम 03	
		स्वीमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		होस्टल/होटल	न्यूनतम 05	
149	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन/रेस्टोरेंट/केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 02	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		सुविधा दुकानें/मॉल/	अधिकतम 10	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 02	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 03	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		क्लब	न्यूनतम 03	
		स्वीमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		होस्टल / होटल	न्यूनतम 05	
150	आरचर्ड	आरचर्ड	—	—
		स्टोर	—	7.5 x 7.5 मी.
		रेस्ट रूम	—	10.0 x 10.0 म.
		प्रसाधन सुविधाएँ	—	6.0 x 6.0 मी
		किचन, पेन्ट्री,	—	6.0 x 6.0 मी.
		नर्सरी	—	10.0 x 10.0 मी.
151	तरणताल	तरणताल	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / गेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 03	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 03	
		शॉपिंग	अधिकतम 05	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
152	पिकनिक हट	पिकनिक हट	—	प्रत्येक हट 7.5 x 7.5 मी.

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	—	7.5 x 7.5 मी.
		रेस्ट रूम	—	10.0 x 10.0 मी.
		प्रसाधन सुविधाएँ	—	6.0 x 6.0 मी
		किचन, पेन्ट्री, नर्सरी	—	6.0 x 6.0 मी
			—	10.0 x 10.0 मी
153	फ्लाइंग क्लब	फ्लाइंग प्रशिक्षण	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम	10
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम	05
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम	02
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	05
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05
		लायब्रेरी	न्यूनतम	03
154	फिटनेस क्लब	फिटनेस क्लब / जिम	न्यूनतम	50
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	05
		रेस्ट रूम	अधिकतम	10
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम	05
		ए.टी.एम.	अधिकतम	02
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम	05
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	05

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		लायब्रेरी / कंसलटेशन	न्यूनतम 03	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
155	मेला मैदान	मेला मैदान	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 02	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 01	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 01	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 01	
		मीडिया रूम	अधिकतम 01	
		ओपन एयर थियटर	अधिकतम 05	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 05	
156	नर्सरी	नर्सरी	न्यूनतम 65	
		कार्यालय / स्टोर	अधिकतम 15	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
157	पक्षी अभ्यारण	पक्षी अभ्यारण	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 05	
		नर्सरी	अधिकतम 05	
158	वनस्पति उद्यान	वनस्पति उद्यान	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
159	प्राणी उद्यान	प्राणी उद्यान	न्यूनतम 50	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
160	मत्स्यालय	मत्स्यालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मानोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
161	केम्पिंग साइट	केम्पिंग साइट	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
162	वाटर पार्क मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	वाटर पार्क	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
163	रिसार्ट / पर्यटक कुटीर	रिसार्ट / पर्यटक कुटीर	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मानोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
	शासकीय गतिविधियाँ			
164	शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय /	शासकीय / अर्द्ध शासकीय / उपक्रम कार्यालय प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 50	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	उपक्रम, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित	केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 02	
		स्टोर	न्यूनतम 08	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	अधिकतम 03	
		ए.टी.एम.	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा कक्ष	अधिकतम 01	
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 02	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		प्ले एरिया	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 05	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 02	
		नर्सरी	अधिकतम 05	
165	न्यायालय	न्यायालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 04	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
नर्सरी	अधिकतम 05			

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
166	जेल	जेल	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम. / बैंक	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 03	
		प्ले एरिया	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 03	
		नर्सरी	न्यूनतम 01	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		मानोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 03	
		आर्ट एवं क्राफ्ट	अधिकतम 03	
स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05			
167	स्थानीय निकाय कार्यालय	स्थानीय निकाय कार्यालय	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम. / बैंक	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्ले एरिया	अधिकतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 03	
		नर्सरी	न्यूनतम 01	
		संग्रहालय	अधिकतम 01	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 02	
		वर्कशॉप	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
168	पुलिस स्टेशन	पुलिस स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम. / बैंक	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
169	पुलिस पोस्ट	पुलिस पोस्ट	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
170	बैंक	बैंक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
	सार्वजनिक सेवाएँ सुविधाएँ			
171	शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय / उपक्रम अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित	शासकीय अर्ध शासकीय अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 03	
		प्राथमिक उपचार	न्यूनतम 02	
		मानोरंजन / सांस्कृतिक / लायब्रेरी / जिम	अधिकतम 05	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
172	पोस्ट आफिस	पोस्ट आफिस	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
173	दूर संचार टावर/स्टेशन	दूर संचार टावर/स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		174	जल शोधन संयंत्र	जल शोधन संयंत्र
प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05			
केन्टीन	न्यूनतम 05			
स्टोर	न्यूनतम 05			
रेस्ट रूम	अधिकतम 02			
प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03			
ए.टी.एम./बैंक	अधिकतम 01			
प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02			
सुविधा दुकानें	अधिकतम 03			
लायब्रेरी	न्यूनतम 02			
प्ले एरिया	अधिकतम 03			
प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02			
प्रदर्शनी	अधिकतम 03			
नर्सरी	न्यूनतम 01			

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		मनोरंजन/सांस्कृतिक	अधिकतम 03	
		वर्कशॉप	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
175	कम्बाईन्ड ट्रीटमेंट प्लान्ट	कम्बाईन्ड ट्रीटमेंट प्लान्ट	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 07	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 04	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
176	वेस्ट वाटर शोधन/उपचार संयंत्र	वेस्ट वाटर शोधन/उपचार	न्यूनतम 60	
		संयंत्र	अधिकतम 05	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	अधिकतम 02	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
177	दूर संचार केन्द्र	दूर संचार केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
178	ट्रॉसमिशन टावर / वायर लेस स्टेशन	ट्रॉसमिशन टावर / वायर लेस स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
179	रेडियो स्टेशन	रेडियो स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
180	वैदशाला	वैदशाला	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
181	अग्निशमन केन्द्र	अग्निशमन केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
182	टेलीविजन स्टेशन	टेलीविजन स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
183	मौसम कार्यालय	मौसम कार्यालय	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
184	विद्युत सब स्टेशन	विद्युत सब स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
185	श्मशान / कब्रस्तान / सिमीट्री	श्मशान / कब्रस्तान / सिमीट्री	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
186	दूर संचार टॉवर	दूर संचार टॉवर	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
187	गौशाला	गौशाला	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन	न्यूनतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
188	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		189	दूरभाष केन्द्र	दूरभाष केन्द्र
प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05			
केन्टीन	न्यूनतम 05			
स्टोर	न्यूनतम 07			
रेस्ट रूम	अधिकतम 02			
प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03			
ए.टी.एम.	अधिकतम 01			
प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03			
सुविधा दुकानें	अधिकतम 03			
लायब्रेरी	न्यूनतम 02			
प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02			
स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05			
जनरेटर	न्यूनतम 02			

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
190	विन्ड मिल्स/फार्म	विन्ड मिल्स/फार्म	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
191	सार्वजनिक शौचालय	सार्वजनिक शौचालय	न्यूनतम 90	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
192	विद्युत शवदाह गृह	श्मशान/कब्रस्तान/सिमिट्री	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
193	ओवर हेड पानी की टंकी	ओवर हेड पानी की टंकी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
194	भूमिगत पानी की टंकी	भूमिगत पानी की टंकी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
195	आक्सीडेशन पौंड	आक्सीडेशन पौंड	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
196	सेप्टिक टैंक	सेप्टिक टैंक	न्यूनतम 100	
197	सार्वजनिक शौचालय	सार्वजनिक शौचालय	न्यूनतम 90	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
198	घूरा एवं कचराघर	घूरा / कचराघर	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
199	धोबी घाट	धोबी घाट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	औद्योगिक सुविधाएं			
200	एग्रो स्तर उद्योग	एग्रो स्तर उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
201	डेयरी प्लांट	डेयरी प्लांट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
202	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	
203	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट	अधिकतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		जिम, हेल्थ क्लब	न्यूनतम 02	
204	डेरी प्लांट	डेरी प्लांट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
205	स्लाटर हाउस	स्लाटर हाउस	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
206	पलेटेड फैक्टरी	पलेटेड फैक्टरी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
207	एक्सटेंसिव / विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग	एक्सटेंसिव / विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
208	सूचना प्रौद्योगिकी	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	न्यूनतम 60	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	उद्योग	प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें, बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		जिम, हेल्थ क्लब	न्यूनतम 02	
209	फूड पार्क	फूड पार्क	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें, बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 01	
210	सॉफ्टवेयर पार्क	सॉफ्टवेयर पार्क	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट	अधिकतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें, बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 01	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 01	
		जिम, हेल्थ क्लब	न्यूनतम 02	
		होटल, गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		टेस्टिंग लेब, रिसर्च लेब	न्यूनतम 02	
		मॉल / मल्टीप्लेक्स / सुपर मार्केट	न्यूनतम 05	
		क्लब / स्वीमिंग पूल	अधिकतम 02	
		आवासीय फ्लेट्स	अधिकतम 05	
211	दुग्ध केन्द्र	दुग्ध केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें, बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
	यातायात सुविधाएं			
212	बस स्टेण्ड	बस स्टेण्ड	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	अधिकतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं/सुलभकॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत/वर्कशॉप	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं/होटल/गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज/पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम/टिकट काउण्टर	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी. पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
213	बस टर्मिनल	बस टर्मिनल	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट/केफेटेरिया	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 02	
		लॉजिंग / बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम / टिकट काउण्टर	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी. पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
214	पिकअप स्टेशन	पिकअप स्टेशन	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 03	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		क्लॉक रूम / टिकट काउण्टर	न्यूनतम 03	
215	बस स्टॉप	बस स्टॉप / प्रतीक्षालय	न्यूनतम 80	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
216	यातायात नगर	गोदाम, ट्रांसपोर्ट संबंधी दुकानें	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टॉरेंट / केफेटेरिया / ढाबा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ कॉम्पलेक्स	न्यूनतम 02	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 02	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 02	
		वाहन मरम्मत/वर्कशॉप	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं/होटल/गेस्ट हाउस	न्यूनतम 02	
		वेविंग ब्रिज/पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी. पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
		ट्रांसपोर्ट संबंधी शोरूम	अधिकतम 05	
217	मेकेनिक नगर	ट्रांसपोर्ट वाहन सुधार संबंधी दुकानें/वर्कशॉप	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट/केफेटेरिया/ढाबा	अधिकतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ कॉम्पलेक्स	न्यूनतम 02	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी. पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
		ट्रांसपोर्ट संबंधी शोरूम	अधिकतम 05	
218	ऑटो स्टेण्ड / टेक्सी स्टेण्ड	ऑटो स्टेण्ड / टेक्सी स्टेण्ड	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		वाहन मरम्मत संबंधी दुकानें / वर्कशॉप	न्यूनतम 15	
217	मेकेनिक नगर	ट्रांसपोर्ट वाहन सुधार संबंधी दुकानें / वर्कशॉप	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टॉरेंट / केफेटेरिया / ढाबा	अधिकतम 03	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 02	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं/होटल/गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज/पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी. पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
		ट्रांसपोर्ट संबंधी शोरूम	अधिकतम 05	
218	ऑटो स्टेण्ड/टेक्सी स्टेण्ड	ऑटो स्टेण्ड/टेक्सी स्टेण्ड	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		वाहन मरम्मत संबंधी दुकानें/वर्कशॉप	न्यूनतम 15	
219	मल्टी लेवल पार्किंग	मल्टी लेवल पार्किंग	न्यूनतम 70	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 03	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		वाहन मरम्मत संबंधी दुकानें / सुविधा दुकानें	अधिकतम 06	
220	बस डिपो / कर्मशाला	बस डिपो / कर्मशाला	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टॉरेन्ट / केफेटेरिया	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ काम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम / टिकट काउण्टर	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी., पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
221	कार्गो	गोदाम/ट्रांसपोर्ट संबंधी दुकानें एवं कार्यालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी	अधिकतम 04	
		केन्टीन/रेस्टॉरेन्ट/केफेटेरि/ढाबा	अधिकतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 04	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 04	
		प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ काम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत/वर्कशॉप	न्यूनतम 04	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं/होटल/गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज/पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी., पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
		कम्पनी शोरूम	अधिकतम 05	
222	पार्किंग	पार्किंग	म. प्र. भूमि विकास नियम अनुसार	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
223	कन्टेनर डिपो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	कन्टेनर डिपो / गोदाम, ट्रांसपोर्ट / फारवर्डिंग एजेन्सी संबंधी कार्यालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 04	
		केन्टीन / रेस्टॉरेंट / केफेटेरि / ढाबा	अधिकतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 04	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 04	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ काम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 04	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी., पी.सी ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
कम्पनी शोरूम	अधिकतम 05			
224	ड्राई पोर्ट मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग	ड्राई पोर्ट मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों	कन्टेनर डिपो अनुसार	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	या बिना इन सुविधाओं के		
225	हेलीपेड	हेलीपेड	विमान तल प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुसार	
226	रेल स्टेशन	रेल स्टेशन	रेल प्राधिकारी के मापदण्डों अनुसार	
227	धर्म कांटा / वेविंग ब्रिज	धर्म कांटा / वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
	ग्रामीण क्षेत्र गतिविधियां			
228	मुर्गी पालन केन्द्र	मुर्गी पालन केन्द्र	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 05	
229	फार्म हाउस	फार्म हाउस	म.प्र. भू. वि. नि अनुसार	
230	डेयरी	डेयरी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
231	पशु पालन केन्द्र	पशु पालन / डेयरी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
232	पशु शोध केन्द्र	पशु शोध केन्द्र	न्यूनतम 50	
		पशु पालन / डेयरी	न्यूनतम 10	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
233	ग्रामीण केन्द्र	ग्रामीण विकास केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
234	अनाज गोदाम	अनाज गोदाम	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
235	भवन सामग्री यार्ड	भवन सामग्री यार्ड	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
236	मेरिज गार्डन	मेरिज गार्डन	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 06	
		स्टोर	न्यूनतम 06	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 03	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 04	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		गेस्ट रूमस्	अधिकतम 05	
237	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
238	कृषक परामर्श/सहायता केन्द्र	कृषक परामर्श/सहायता केन्द्र	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		239	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी
प्रशासकीय	अधिकतम 05			
रेस्ट रूम	न्यूनतम 05			
स्टोर	न्यूनतम 05			
प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05			
स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05			
सुविधा दुकानें	अधिकतम 05			

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
240	औषधालय	औषधालय	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
241	कृषि उपकरण कर्मशाला	कृषि उपकरण कर्मशाला	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
242	चौपाल	चौपाल	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
243	उत्सव स्थल	उत्सव स्थल	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	

अनु.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 02	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 01	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 01	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 01	
		मीडिया रूम	अधिकतम 01	
		ओपन एयर थियटर	अधिकतम 05	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन/सांस्कृतिक	अधिकतम 05	

नोट :

1. न्यूनतम श्रेणी की गतिविधियां अनिवार्य स्वरूप की है तथा अधिकतम श्रेणी की गतिविधियां ऐच्छिक स्वरूप की है।
2. ऐच्छिक स्वरूप की गतिविधियों के प्रतिशत में, प्रोजेक्ट/परियोजना की आवश्यकता अनुरूप, सक्षम अधिकारी परिवर्तन कर सकेगा।

4-13 orĕku fodfl r {ks= grq fodkl fu; eu

भवन की ऊंचाई, अहाते की दीवार की ऊंचाई एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के अनुरूप ही रहेंगे।

¼½ orĕku vkokl h; {ks=

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास निम्न मापदण्डों से नियंत्रित होगा।

HkM [k. M dk {ks=	vkPNkfnr {ks= 1/2	Q' khZ {ks= uq kr
90 वर्गमीटर से कम	75% प्रतिशत	1.50
90 से 180 वर्गमीटर तक	66% प्रतिशत	1.25
180 वर्गमीटर से अधिक	60% प्रतिशत	1.25

टीप :-मार्ग की चौड़ाई 9.00 वर्गमीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक वाले भूखण्डों के लिये फर्शी क्षेत्रानुपात 1.50 तक अनुज्ञेय होगा।

(ब) आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गये हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जावेगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु, उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

(स) वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक मार्गों पर पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी—

- (क) मार्गों की चौड़ाई विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो।
- (ख) अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हो, तो आवासीय क्षेत्र, भू-तल पर प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा।
- (ग) फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा।
- (घ) वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर स्थित हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 2 गुना या 30 मीटर जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा।
- (ङ) वाणिज्यिक भू-खण्ड का अधिकतम आकार 400 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा किन्तु होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर एवं वाणिज्यिक परिसर हेतु आवंटित भू-खण्डों पर यह सीमा लागू नहीं होगी।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा :-

- 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड 100 प्रतिशत
- 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड 80 प्रतिशत
- फर्शी क्षेत्र अनुपात 2.00

टीप :-

- (1) वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जावेगी।
- (2) किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है, तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड पर निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात, अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

1/2 or 1/3 I ko't fud , oa v) I I ko't fud

उक्त हेतु निम्न मापदण्ड अपनाए जावेंगे -

I ko't fud r fkk v) I I ko't fud grq fodkl fu; eu

4-सा-16

क्र.	विवरण	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	महाविद्यालय	40 प्रतिशत	1.5
2	उच्चतर माध्यमिक शाला	40 प्रतिशत	1.5
3	प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.5
4	नर्सरी स्कूल	50 प्रतिशत	1.5
5	अस्पताल	40 प्रतिशत	1.5
6	स्वास्थ्य केन्द्र	50 प्रतिशत	1.5
7	पुलिस थाना	50 प्रतिशत	1.5
8	अग्निशमन स्थल	50 प्रतिशत	1.5
9	सामुदायिक भवन	40 प्रतिशत	1.0
10	शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय	40 प्रतिशत	1.5

टीप :- 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन गैरेज तथा सायकिल स्टैण्ड के लिए अनिवार्य होगा।

4.14 सामान्य अनुशंसाएं

समस्त शासकीय भूखण्ड, जो नगर में इधर-उधर बिखरे हुये हैं, को किसी व्यक्ति विशेष को पट्टे पर नहीं देते हुये क्रियान्वयन संस्था/प्राधिकारी को विकास हेतु सौंप देना चाहिए। यह आशा की जाती है कि इस नीति से नियोजित एवं समन्वित विकास हो सकेगा तथा साथ ही शासकीय भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोका जा सकेगा।

विकास योजना का क्रियान्वयन

सागर विकास योजना 2031 का क्रियान्वयन अपेक्षानुरूप न होने का मूल कारण विकास से संबंधित स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थाओं द्वारा योजनकाल की समयबद्धता के परे अन्य कार्य करना है, जिसके फलस्वरूप जन-साधारण से संबंधित मूलभूत अधोसंरचना का विकास प्रस्ताव अनुरूप नहीं हो सका। योजना क्रियान्वयन का ठोस प्रयास न केवल नगरीय विकास बल्कि नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु अति आवश्यक है जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध नीति अनुसार अमलीकरण आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन अंतर्गत निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित है :

1. भूमि का कुशलतम उपयोग।
2. विकसित भू-खण्ड एवं निर्मित आवास उपलब्ध कराना।
3. अधोसंरचना और सेवाओं का संवर्धन एवं विकास।
4. सहभागिता आधारित भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास प्रस्ताव।
5. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन।
6. सांस्कृतिक धरोहर क्षेत्रों का उद्घरण, संरक्षण एवं संवर्धन।

5.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन पर रूपये 634240 लाख का व्यय आंकलित है, जिसका विवरण सारणी 5-सा-1 में दिया गया है।

I kxj % ; kstuk fØ; kÙo; u dh ykxr&2031

5&l k&1

¼{k= gDV\$ j ea rFkk : i ; s yk[kka e½

Ø	Hkfe mi ; ksx	{ks=			Hkfe vtÙ ifr gs : - 6 yk[kk dh nj l s	vft̄r dh xbz Hkfe l s 60 ifr'kr Hkfe ij fodkl 0; ;			dy ykxr : i ; s ¼6\$9½
		iLrkfor	orÙku	'ksk Hkfe tks vft̄r dh tkuk gs		{ks=	fodkl nj ¼: i ; ½	Ykkxr ¼: i ; ½	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आवासीय	4090	1615	2475	148500	1485	100.00	148500	297000
2.	वाणिज्यिक	355	132	223	13380	134	160.00	21440	34820
3.	औद्योगिक	440	97	343	20580	206	160	32960	53540
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	1250	530	720	43200	432	110.00	47520	90720
5.	आमोद— प्रमोद	750	40	710	42600	426	50.00	21300	63900
6.	यातायात एवं परिवहन	1000	320	680	40800	408	120.00	48960	89760
7.	रेल्वे ओव्हर ब्रिज	3		3		3	1500	4500	4500
	; ksx %&	7885	2734	5151	309060	3091	&	325180	634240

5.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका सागर मुख्य क्रियान्वयनकारी संस्था है, इसके अतिरिक्त अन्य विकास कार्यों से संबंधित विभाग तथा निजी भू-स्वामी/संस्था/फर्म/कंपनी आदि भी विकास योजना का क्रियान्वयन करेंगे। निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगी—

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप।
2. भूमि का कुशलतम उपयोग।

3. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारण।
4. भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव।
5. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना।

उपरोक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है—

- (अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम।
- (ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम।

6. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के विकास हेतु अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जायेगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।
7. आवासीय परिक्षेत्रों में चिकित्सा एवं इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से संबंधित उपक्रम विद्युत शक्ति की सीमा से मुक्त होंगे।
8. आवासीय परिक्षेत्र में भू-खण्ड का आकार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।

5.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है, जो जल स्रोतों के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है।

अन्य पर्यावरण समस्याएं, जैसे नगरीय अपशिष्ट के उपचार, निराकरण, इसके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

5.3.1 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिपेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं—

1. जल स्रोतों में जल-मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टापडेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक उपयोग निषेध।
3. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
4. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

5.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा—

- संस्था का गठन
- विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।
- भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
- नगरवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्व:

1. नियंत्रित विकास।
2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन।
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना।
4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण।
5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा प्रक्रिया हेतु तंत्र उपलब्ध कराना।

5.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू-स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा। यहां समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थायें, प्रमुख सेवायें, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होंगी। परिसीमन विकास, आवास एवं पर्यावास नीति 2007 में उल्लेखित विकास संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार विकसित बड़े भूमि क्षेत्र का आवंटन, परिसीमन अधोसंरचना की सुगमता के अनुकूल राज्य आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के परिपेक्ष्य में गृह निर्माण संस्थाओं/आवास संघों एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा दिया जाएगा। उक्त व्यवस्था पर राज्य शासन द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

5.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

5.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जायेगा, जिससे पांच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा, जो कंडिका 5.6 के संदर्भ में रहेगा।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा-सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी।

योजना क्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोत्रों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है—

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण।
4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना।
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हों।
6. समन्वय अधिकारियों और अन्य वृत्त खण्डीय/एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

5.4.4 विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम उपयोग के साथ-साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन की नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि विकास नियमनों को पुनर्भाषित किया जाये। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय-4 में विकास नियमन वर्णित किए गए हैं।

5.5 योजना एवं कार्यक्रम

- (अ) आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए दो चरणों में प्रावधान है। प्रथम चरण सन् 2019 तक की आवश्यकताओं, द्वितीय चरण 2019 से 2025 तथा तृतीय चरण 2025 से 2031 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।
- (ब) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।
- (स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जाएगा।
1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
 2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके।
 3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं को साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियाँ तैयार करना।
 4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग 5 से 10 हेक्टेयर आकार के अर्द्धविकसित भू-खण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु भूमि विकास कार्यक्रम को मूर्त रूप देना।
 5. योजना के दोनों चरणों में आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोत का विकास।
 6. नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड एवं जलनिकास व्यवस्था का विकास।
 7. भूमि विकास कार्यक्रम, नगरीय विकास परियोजनायें साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए।
 8. एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है ताकि निवेश इकाईयों के विकास तथा सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके।
 9. मुख्य जल स्रोत में वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

5.5.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशन सिद्धांत निम्नानुसार है—

- यह सुनिश्चित करना कि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो।

- उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
- बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध करना।
- अर्द्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
- भू-स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

5.6 प्रथम चरण कार्यक्रम

1. निवेश इकाई क्र 1, 2, 3, 5 एवं 7 में 180.00 हेक्टेयर का आवासीय विकास।
2. निवेश इकाई क्र. 1 एवं 7 में यातायात नगर का विकास एवं निर्माण।
3. निवेश इकाई क्र. 3 में उप मण्डी का निर्माण।
4. निवेश इकाई क्र. 7 में साप्ताहिक बाजार का विकास एवं निर्माण।
5. निवेश इकाई क्र.1 में कबाडी बाजार का विकास एवं निर्माण।
6. निवेश इकाई क्र . 2 में ग्राम बदोना में पुलिस अकादमी का विकास एवं निर्माण।
7. निवेश इकाई क्र. 4 में संयुक्त कार्यालय भवन का विकास एवं निर्माण।
8. निवेश इकाई क्र. 4 में व्ही.सी. बंगले के सामने पी.एस.पी. उपयोग का विकास एवं निर्माण।
9. निवेश इकाई क्र. 1 में कृषि आधारित उद्योग का विकास एवं निर्माण।
10. निवेश इकाई क्र. 1 में टिम्बर स्टेट का विकास एवं निर्माण।
11. निवेश इकाई क्र. 1 में सेवा उद्योग का विकास एवं निर्माण।
12. निवेश इकाई क्र. 4, 5 एवं 7 में सेक्टर मार्गों का विकास एवं निर्माण।
13. निवेश इकाई क्र 5 मकरोनिया रेल्वे लाईन पर रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण।
14. निवेश इकाई क्र. 7 में मेला मैदान एवं प्रदर्शनी स्थल का विकास एवं निर्माण।
15. निवेश इकाई क्र. 3 में पर्यावरण वानिकी तालाब के समीप का विकास।
16. आमेट पहाडी पर वृक्षारोपण।

5.6.1 प्रथम चरण लागत

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि उपयोग के अंतर्गत लगभग 540 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 69,089.00 लाख होगी।

विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण आगामी सारणी में दिया गया है—

I kxj % i fke pj.k fØ; kuOk; u ykxr

5&I k&2

क्र.	कार्य का विवरण	भू-अर्जन का भौतिक लक्ष्य		अर्जित भूमि के 60 प्रतिशत क्षेत्र का विकास व्यय			कुल लागत (रु. लाख में) 4+7
		हेक्टेयर में	भू-अर्जन व्यय (रु. लाख में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	विकास दर (रु. लाख प्रति हेक्टेयर)	लागत (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आवासीय	1800	10800	108	100	10800	21600
2.	वाणिज्यिक	40	2400	24	160	3840	6240
3.	औद्योगिक	92	5580	55	160	8800	14320
4.	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक	55	3300	33	110	3630	6930
5.	आमोद-प्रमोद	92	5520	55	50	2750	8270
6.	यातायात एवं परिवहन						
(अ)	बस स्टेण्ड	1	—	—	—	100	100
(ब)	मार्ग	81	360	48	120	5760	10620
(स)	ओव्हर ब्रिज	1	1	1	1000	1000.00	1000
	योग :-	540	32400	323		36680	69080

5.6.2 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। वर्तमान में नगर विकास निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप संसाधन का अपव्यय होता है अन्यथा नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती थी। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक-पृथक रहे हैं, जिसमें उपलब्ध बहुल अवसरों एवं क्षमता को सागर जैसे नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीकरण के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को नियंत्रित करते हुए गतिशीलता दी जा सकती है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। इस संसाधन गतिशीलता के लिए संभावित उपाय बेटरमेंट शुल्क, भूमि उपयोग व्यपवर्तन शुल्क, स्वीकार्य गतिविधियों की अनुमति हेतु शुल्क (आवासीय के अलावा),

हस्तांतरण शुल्क, लीज शुल्क, खुले क्षेत्रों के उपयोग का शुल्क आदि हो सकते हैं। इस तरह से संकलित की गई राशि का उपयोग आलोच्य क्षेत्रों में अधोसंरचना में निवेश कि लिए ही केवल उपयोग किया जाना चाहिए।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिन्हित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा।

5.7 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है—

1. पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
2. आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण।
3. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रम से संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
4. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश कर निर्धारण।
5. आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण।
6. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
7. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
8. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम का परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।

योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है—

- (अ) स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
- (ब) नगर विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
- (स) नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
- (द) समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- (इ) वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन।

विकास योजना की सफलता, विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयवधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।

5.8 नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः सागर नगर पालिक निगम का होगा। अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थायें एवं विभाग भी सहभागी होंगे। अतः अन्य क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/130/32/97 दिनांक 20.01.98 एवं संशोधन आदेश क्रमांक एफ-3/55/32/98 दिनांक 12.08.1998 द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.

05.98 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी। सागर नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन होने तक यह दायित्व नगर पालिक निगम सागर वहन करेगा।

5.8.1 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नगर पालिक निगम सागर द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

5.9 योजना की व्याख्या

सागर विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है, अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :-

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना प्रतिवेदन में उल्लेखित विषय वस्तु के साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय 4 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा। नेवरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग, गतिविधियों जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (मेजर लेण्ड यूज जोन) में परिभाषित नहीं है, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग/स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में शामिल है, वे भू उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेंगे।
4. विकास प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय, स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जायेगा।
5. आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट

परिशिष्ट 'क'-1

(नियम 14 देखिए)

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 या 29(1) के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्ररूप

प्रति,

महोदय,

मैं नगर _____ तहसील _____ जिला _____ के कॉलोनी या मोहल्ला या बाजार _____ ग्राम _____ में स्थित खसरा क्रमांक _____ भूखण्ड क्रमांक _____ क्षेत्र _____ हेक्टर /वर्ग मीटर _____ (विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा _____ वास्तुविद या संरचना इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरो में) अनुज्ञप्ति क्रमांक _____ जो इसके विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक हस्ताक्षरित तथा प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ

- 1- मुख्य रेखांक नियम 16(3) अनुसार _____
- 2- स्थल रेखांक नियम 16(4) अनुसार _____
- 3- उपविभाग/अभिन्यास योजना नियम 16(5) अनुसार _____ (सब डिवीजन/ले-आउट प्लान)
- 4- सेवा आयोजना रेखांक नियम 16(7) अनुसार _____
- 5- प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट _____
- 6- स्थल के सम्बन्ध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले दस्तावेज नियम 16(11) अनुसार _____
- 7- नजूल अनापत्ति की कापी नियम 16(11) अनुसार _____
- 8- आवेदन शुल्क की पावती की प्रति नियम 21(2)(अ) अनुसार _____
- 9- इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें (जहाँ आवेदक स्वामी से भिन्न हो) _____
- 10- पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान _____

11- ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इलेक्ट्रानिक कॉपी -----

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित कार्यो को अनुमोदित किया जाए और मुझे/हम कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर-----

आवेदक का नाम-----

आवेदक का पता-----

ई-मेल पता -----

दूरभाष / मोबाईल नम्बर-----

दिनांक-----

मध्यप्रदेश राजपत्र (भाग- 2) दिनांक 14-11-1975 मे प्रकाशित

मध्यप्रदेश शासन

नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 1996/2166/तैतीस/75

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 1975

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्वारा सागर नगर हेतु निवेश क्षेत्र का गठन कर उसकी सीमाएँ निम्नलिखित अनुसूची में परिनिश्चित की जाती है:-

अनुसूची

सागर निवेश क्षेत्र की सीमाएँ

- 1 उत्तर में - ग्राम बहेरिया, बामोरा, जिन्दा, बरारु, कपूरिया, भैसा, बिहारीपुरा, गढोलीखुर्द एवं पथरिया हाट की उत्तरी सीमा तक
1. पश्चिम में - पथरिया हाट, हफसिली, रतोना, एवं बधोना की पश्चिम सीमा तक
3. दक्षिण में - बधोना, रजौआ, अर्जुनी, आमेट तथा पथरिया रय्यैतबाडी की दक्षिण सीमा तक
4. पूर्व में - पथरिया रैय्यतबाडी, मकरोनिया एवं बहेरिया के पूर्वी सीमा तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा ओदशानुसार

हस्ता/-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
(पर्यावरण शाखा)

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 2 सितंबर 1977

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमोक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के चरण (क) के अन्तर्गत राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1996/2166/तैतीस/75, दिनांक 24 जुलाई 1975 द्वारा गठित सागर निवेश क्षेत्र की सीमाओं में निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई सीमाएं सम्मिलित करती है:-

		अनुसूची	
1.	दक्षिण में	—	गौर नगर
2.	पूर्व में	—	गौर नगर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा ओदशानुसार

हस्ता/-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

उपसचिव

मध्य प्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट-4

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 21 दिनांक 25-1-1993 मे प्रकाशित

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 1993

क्रमांक एफ.16 (3) 86-बल्लीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के चरण (क) के अन्तर्गत राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1996/2166/तैतीस/75, दिनांक 24 जुलाई 1975 द्वारा गठित सागर निवेश क्षेत्र की सीमाओं में निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई सीमाएं सम्मिलित करती है:-

अनुसूची

सागर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएँ

1. उत्तर में – ग्राम पगारा, कुडारी, कपुरिया, बरारु, आमाखुर्द बाछलोन, बेरखेरीमाफी, खिरियाताज खां, रुसल्ला तथा केरवना की उत्तरी सीमा तक.
2. पूर्व में – ग्राम केरवना, बम्होरीडूडर, गुडा, नरवानी, लिधोरा हाट, पथरिया, खेजराबाग तथा ग्राम बमारी बीका की पूर्वी सीमा तक
3. दक्षिण में – ग्राम बधोना, रतोना, हफसिली, पथरियाहाट कुडारी तथा पगारा अर्जुनी, आमेट तथा पथरिया रय्यैतबाडी की पश्चिम सीमा तक
4. पश्चिम मे – ग्राम बधोना, रतोना, हफसिली, पथरिया हाट, कुडारी तथा पगारा की पश्चिम सीमा तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा ओदशानुसार

हस्ता/-

(आ. के. पाठक)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 119 दिनांक 16-4-1996 मे प्रकाशित

आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 1996

क्रमांक 936-अ.वि.यो.-न.ग्रा.नि.96-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में सागर निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये अतिरिक्त ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 4606-अ.वि.यो.-न.ग्रा.नि.-95, दिनांक 8 नवम्बर 1995 द्वारा किया गया था।

अब एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन सागर निवेश क्षेत्र के उक्त ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र पर रजिस्ट्रों का तदनुसार सम्यकरूप से दिनांक 12 मार्च 1996 को अंगीकृत किया जाता है तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में इस सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र मे प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यकरूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है।

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर की प्रति दिनांक 12 मार्च 1996 से संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सागर के कार्यालय में कार्य दिवसों में कार्यकारी दिवसों में, कार्यालयीन समय में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगे।

हस्ता/-

(स्वदीप सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश राजपत्र (भाग-2) दिनांक 18-11-1977 मे प्रकाशित
वर्तमान भूमि उपयोग अंगीकृत संबंधी अधिसूचना की प्रतिलिपि
नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग मध्यप्रदेश
क्षेत्रीय कार्यालय, सागर

सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण मे सर्वसाधारण की नियोजन हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सागर निवेश क्षेत्र में की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया है.

अनुसूची

सागर निवेश क्षेत्र की सीमाएँ

1. उत्तर में – ग्राम बहेरिया, बामोरा, जिन्दा, बरारु, कपूरिया, भैसा, बिहारीपुरा, गढोलीखुर्द एवं पथरिया हाट की उत्तरी सीमा तक
2. पश्चिम में – पथरिया हाट, हफसिली, रतोना, एवं बधोना की पश्चिम सीमा तक
3. दक्षिण में – बधोना, रजौआ, अर्जुनी, आमेट तथा पथरिया रय्यैतबाडी की दक्षिण सीमा तक
4. पूर्व में – पथरिया रय्यैतबाडी, मकरोनिया एवं बहेरिया के पूर्वी सीमा तक

उक्त अंगीकृत मानचित्र दिनांक 13-12-76 से 18-12-76 तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोडकर खुला रहेगा।

निरीक्षण स्थल :

उप संचालक नगर तथा ग्रामीण नियोजन
क्षेत्रीय कार्यालय, स्टेडियम बिल्डिंग, सागर

हस्ता/-

(आर.बी. शर्मा)
उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

परिशिष्ट 'छ'

म.प्र भूमि विकास नियम 2012 का
(नियम 49 टिप्पणी 4 देखिए)

विकास अथवा क्षेत्रिय अयोजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्ररूप

प्रति,

प्राधिकारी

मध्य प्रदेश

महोदय,

में एतद्द्वारा शहर/जिला ----- मोहल्ला/बाजार/तहसील -----
कालोनी/गली/मार्ग ----- मै भूखण्ड क्रमांक----- खसरा
क्रमांक----- की भूमि के विकास/पुर्नविकास करने का इच्छुक हूं। क्षेत्र से
संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रीक योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिए उपखण्ड
योजनाए तैयार करने के लिए उपलब्ध किये जा सकेगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना संबंधी
प्रस्तावो को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भुगतान किया जा चुका है और रसीद की अभिप्रमाणित
प्रति संलग्न है।

आवेदक के अथवा स्वामी के हस्ताक्षर-----

आवेदक अथवा स्वामी का नाम (स्पष्ट अक्षरो मे)-----

आवेदक के अथवा स्वामी का पता

दिनांक -----

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

@@vkn's k@@

भोपाल दिनांक 13.4.2010

क्रमांक-एफ-3-45/32/2010 राज्य शासन के आदेश क्रमांक. एफ-3-130 /32 /97 दिनांक 20.01.1998, आदेश क्रमांक-एफ-3-55/32/98 दिनांक 12.08.1998 एवं आदेश क्रमांक-एफ-3-130/32/97 दिनांक 2 मई-2000 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 'नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति' को एतद्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. | सांसद, संबंधित क्षेत्र | सदस्य |
| 3. | अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 4. | अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत | सदस्य |
| 5. | महापौर, संबंधित नगर पालिक निगम | सदस्य |
| 6. | निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधान क्षेत्रों के विधायक | सदस्य |
| 7. | अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका | सदस्य |
| 8. | अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत | सदस्य |
| 9. | म.प्र.गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 10. | संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत. | सदस्य |
| 11. | लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 12. | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 13. | म.प्र.विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 14. | संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण का मुख्यकार्यपालन अधिकारी, | सदस्य |
| 15. | संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, नग्नानि, संबंधित जिला कार्यालय | सदस्य सचिव |
- (अ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छह माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा
- (ब) सदस्य सचिव, विकास योजना के विभिन्न धटकों की प्राथमिकता का संधारण/निर्धारण कर वार्षिक योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(स) क्रियान्वयन संस्थाएं अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर तैयार करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता.
(वर्षा नावलेकर)
उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ.क्र.—एफ—एफ—3—45/32/2010

भोपाल, दिनांक 13.04.2010

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.
3. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, भोपाल
4. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय, भोपाल
5. समस्त कलेक्टर, म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निवेदन है, कि जिले के अंतर्गत आने वाले संसदीय क्षेत्र के सांसदों, विधान सभा क्षेत्र के विधायकों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों तथा नगर पंचायतों को इन आदेशों से अवगत कराने का कष्ट करें।
6. समस्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, म.प्र.।
7. समस्त अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण म.प्र. की ओर अग्रेषित।

हस्ता.

१०"kk/ ukoydj १/२

उपसचिव

मध्य प्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 17 जुलाई 2017
सूचना

क्र. एफ-3-34-2014-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सागर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, सागर, जिला सागर, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त नगरपालिक निगम, सागर, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्र. एफ-3-34-2014-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना दिनांक 17 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal the 17th July 2017

NOTICE

No. F-3-34-2014-XXXII.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for, Sagar (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Commissioner, Sagar Division, Sagar, Madhya Pradesh.
2. Collector, Sagar District Sagar, Madhya Pradesh.
3. Commissioner, Nagar Plika Nigam Sagar Madhya Pradesh.
4. Joint. Director, Town & Country Planning, Sagar, Madhya Pradesh.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh. Gazettee under section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
C.K. SADHAV, Dy. Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

6528

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अक्टूबर 2018

[भाग 1

क्र. एफ-3-52-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1728-सागर-वि.यो. 496-2018, भोपाल दिनांक 28 मार्च 2018 द्वारा प्रकाशित सागर विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सागर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, सागर संभाग सागर मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, सागर जिला सागर मध्यप्रदेश
3. आयुक्त नगरपालिक निगम सागर मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका/कोलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कोलम क्रमांक (5) एवं कोलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सागर विकास योजना 2031	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक कृषि	4	सारणी 4-सा-12	4	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
			4	सारणी 4-सा-12	9	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा ***, एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

